मंगलवार
29 मई 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ४, १९५६

(१५ मई से ३० मई, १९५६)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ४ में अंक ६१ से अंक ७२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ४—अंक ६१ से ७२—१५ मई से ३० मई, १९५६)

अंक ६१. मंगलवार, १५ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या २१९८, २२०१, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२११, २२३२, २२१३ से २२१६, २२१८, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२५, २२२७ और २२२८ २३९९–२४१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१९७, २१९९, २२००, २२०२, २२०३, २२०७, २२०८, २२१२, २२१७, २२२०, २२२२, २२२६, २२२९ से २२३१ और २२३३ से २२४० ... २४१९–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या २०३२ से २०८४ और २०८६ से २०८८ २४२६–४४

दैनिक संक्षेपिका **२४४५–४७**

अंक ६२. बुधवार, १६ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४१ से २२४५, २२४७, २२४९, २२५२, २२५३, २२५५, २२५६, २२५८, २२५९ और २२६० से २२६६ ... २४४८–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४८, २२५०, २२५१, २२५४, २२५७ और २२६७ से २२७९ २४६८–७३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २०९८, २१०० से २१०५ और २१०७ से २१४७ २४७३–९३

दैनिक संक्षेपिका **२४९४–९६**

अंक ६३. गुरुवार, १७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८० से २२८२, २२८७ से २२९३, २२९५ से २२९७, २३०० से २३०४, २३०६ से २३१२ और २२८४ २४९७–२५१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८३, २२८५, २२८६, २२९४, २२९८, २२९९, २३०५ और २३१३ २५१९–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४९ से २१७९ २५२१–३१

दैनिक संक्षेपिका **२५३२–३३**

अंक ६४. शुक्रवार, १८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या २३१५, २३१६, २३२३, २३२६, २३२८, २३३०, २३३२ से २३३६, २३३८, २३४०, २३४१, २३४३ से २३४६ और २३४८ से २३५० २५३४–५५

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ २५५६–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३१४, २३१७ से २३२२, २३२४, २३२५, २३२७, २३२९, २३३१, २३३७, २३३९, २३४२, २३४७ और २३५१ से २३५६ २५५८–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० से २२०६ और २२०८ से २२२५ २५६४–८०

दैनिक संक्षेपिका **२५८१–८३**

अंक ६५. सोमवार, २१ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३५७, २३५९, २३६२ से २३६८, २३७० से २३७२, २३७४, २३७५, २३७८ से २३८५ और २३८७ २५८५–२६०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३५८, २३६०, २३६१, २३६९, २३७३, २३७७, २३८६, २३८८ से २४०२ २६०६–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२२६ से २२३२, २२३४ से २२७२ २६१३–२८

दैनिक संक्षेपिका **२६२९–३१**

अंक ६६. मंगलवार, २२ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४०३ से २४११, २४१३, २४१५ से २४१९, २४२१ से २४२५ और २४२७ से २४३० २६३३–५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ २६५५–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४१२, २४१४, २४२०, २४२६ और २४३१ से २४४१ २६५७–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ से २२८४, २२८६ से २३००, २३०२, २३०३ और २३०५ ... २६६२–७१

दैनिक संक्षेपिका **२६७२–७४**

अंक ६७. बुधवार, २३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४४२ से २४४४, २४४६, २४४७, २४४९ से २४५३, २४५८, २४६४, २३६६ से २४७०, २४७१–क, २४७१ और २४७२ २६७५–९४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २६९४–९७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४४५, २४४८, २४५४, २४५५, २४५७, २४५९ से २४६१, २४६५, २४७३ से २४८३ और २४८५ से २४८९ २३९७–२७०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३०६ से २३४९ २७०५–२०

दैनिक संक्षेपिका **२७२१–२३**

अंक ६८. शुक्रवार, २५ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४९१, २४९२, २४९४ से २४९६, २४९८, २५०२, २५०४, २५०९, २५११, २५१३ से २५१६ और २५१८ से २५२१ ... २७२५–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४९०, २४९३, २४९७, २४९९ से २५०१, २५०३, २५०५ से २५०७, २५१२, २५१७ और २५२२ से २५२६ ... २७४६–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २३५० से २३५६ और २३५८ से २३९१ २७५०–६२

दैनिक संक्षेपिका **२७६३–६५**

अंक ६९. शनिवार, २६ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या२५२९, २५३२, २५३५, २५३६, २५३८, २५४२, २५४३, २५४५ से २५५०, २५५३, २५५६ से २५५८, २५६० से २५६२, और २५३७ २७६७–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२८, २५३०, २५३१, २५३३, २५३४, २५३९ से २५४१, २५४४, २५५१, २५५२, २५५५ और २५६३ से २५७२ ... २७८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३९२ से २४०४, २४०६ से २४०९ और २४११ से २४१४ ... ... २७९४–२८०२

दैनिक संक्षेपिका **२८०३–०४**

अंक ७०. सोमवार, २८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५७२–क, २५७३ से २५८०, २५८२ से २५८६, २५८९, २६०८ और २५९० से २५९३ ... ... २८०५–२७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २०, २१ और २२ २८२७–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५८१, २५८७, २५८८, २५९४, २५९५, २५९५-क, २५९६ से २६०७, २६०९ से २६११, २६१३ से २६१७, २६१७-क, २६१८ से २६२०, २७१० से २७३२ और २७३४ से २७३९ ... २८३२–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१५ से २४२२, २४२२-क, २४२३ से २४३३ और २५३२ से २५६३ ... ... २८५०–६९

दैनिक संक्षेपिका **२८७०–७३**

अंक ७१. मंगलवार, २६ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६३०, २६३२ से २६३४, २६३६, २६३७, २६३६ से २६४७ और २६५० से २६५२ ... २८७५—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ २७६७—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२१ से २६२३, २६३५, २६४१—क, २६४६, २६५३ से २६५८, २६५८-क, २६५८-ख, २६५६ से २६६३, २६६३-क, और २५०८ २८६६—२६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४३४ से २४७७, २४७६ से २४८५, २४८५-क, २४८७ से २४६३ २६०५—२४

दैनिक संक्षेपिका २६२५—८८

अंक ७२. बुधवार, ३० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६४ से २६७१, २६७३, २६७३-क, २६७४ से २६७६, २६७८, २६७८-क, २६७६ और २६८० २६२६—४६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २४, २५, २६, २७, और २८ २६४६—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६७२, २६७७, २६८१ से २६८६, २६८६-क, २६६० से २६६५, २६६५-क, २६६६ से २७०३, २७०५ से २७०६ और २५५६ २६५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४, २४६५, २४६५-क, २४६६ से २५१८, २५१८-क और २५१६ से २५३१ ... ... २६७०—८३

दैनिक संक्षेपिका ... २६८४—८६

बारहवें सत्र का संक्षिप्त विवरण २६८७—८८

M72LSD—190—20-3-58—GIPF.

Date 11-10-57
Time 3-30 P.M.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

मंगलवार, २९ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†*२६२४. **श्री आई० ईयाचरण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ अनुसूचित जातियों को नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) बोर्ड की सेवायें जात-पांत अथवा धर्म के भेद-भाव के बिना सब के लिये उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री आई० ईयाचरण** : क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कोई रकम पूर्णरूपेण पृथक् रखी गई है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई विशेष रकम अलग नहीं रखी गई है किन्तु अनुसूचित आदिम जातियों के क्षेत्रों में कुछ कल्याण विस्तार परियोजनायें स्थापित की गई हैं।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने शाखा बोर्डों को एक परिपत्र भेजा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कोई रकम खर्च न की जाये ?

†**डा० एम० एम० दास** : हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये राज्य सरकारों में पृथक् छात्रवृत्तियों की निश्चित योजना है और यही कारण है कि उन लोगों से कहा गया है कि ये काम दोहरे तौर पर न किये जायें

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिम्मय्या** : इस का सम्बन्ध छात्रवृत्तियों से नहीं है।

†**डा० एम० एम० दास** : इस प्रश्न का छात्रवृत्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभापति ने विभिन्न विद्यालयों, छात्रावासों एवं अन्य संगठनों को एक परिपत्र भेजा है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्य के लिये कोई अनुदान नहीं दे सकेगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कुछ विशेष प्रकार के कल्याण कार्य किये जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि बोर्ड के कार्यों का छात्रावासों आदि से क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री एन० राचय्या** : क्या यह सच है कि बोर्ड ने यह तय किया है कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को इस योजना के अधीन कोई सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि उनके लिये पृथक् योजनायें हैं और यदि पृथक् योजनायें मौजूद हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन कौन सी योजनायें हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : वास्तव में स्थिति इस से बिल्कुल विपरीत है। अनुदान की एक शर्त यह बनाई गई है कि जहां तक बोर्ड की सेवाओं का सम्बन्ध है, जात-पांत अथवा धर्म के कारण कोई भेदभाव नहीं रखा जाये।

†**श्री वेलायुधन** खड़े हुए—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने अनेक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे दी है। आदेश पत्र में ४५ प्रश्न हैं और मुझे कम से कम ३० प्रश्न तो पूरे करने दीजिये। प्रत्येक प्रश्न को जब हम लेते हैं तो वह तब तक महत्त्वपूर्ण लगता है, जब तक हम दूसरा प्रश्न नहीं लेते।

महानदी की बाढ़

†***२६२५. श्री संगण्णा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को १९५५ में महानदी की बाढ़ जन्य क्षति के मूल्यांकन के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा नियुक्त समिति का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां।

(ख) बाढ़ और सूखे की क्षति के सम्बन्ध में सहायता के लिये राज्य सरकार को २ करोड़ २७ लाख रुपये का अनुदान और ७३ लाख रुपये का ऋण पहले ही दिया जा चुका है।

†**श्री संगण्णा** : इस बाढ़ से वास्तविक जान माल की कितनी क्षति हुई ?

†**श्री दातार** : क्षति बहुत हुई है। मृतकों की संख्या ४५ है। ४,१७० ढोर बह गये। क्षतिग्रस्त मकानों का मूल्य ७१,८५,००० रुपये है, ४,१४,४०,००० रुपये की फसल नष्ट हो गई और ४२० स्थानों पर भूमि कट गई।

†**श्री संगण्णा** : उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम की भांति क्या वहां भी कोई बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री दातार** : मेरा इस विशेष विषय से सम्बन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राघवैय्या** : क्या सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के स्थान पर ऐसी कार्यवाही करना चाहती है जिस से भविष्य में ऐसी बाढ़ न आये ?

†**श्री दातार** : जहां तक मुझे याद है इस काम को सरकार ने पहले ही अपने हाथ में ले लिया है ।

†**श्री सारंगधर दास** : उड़ीसा सरकार ने कितनी सहायता मांगी थी और उसमें कितनी स्वीकृत की गई ?

†**श्री दातार** : मेरे पास उसके आंकड़े तो नहीं हैं किन्तु वित्त मंत्रालय ने कुछ नियम बनाये हैं जिन के आधार पर वे स्वीकृति देते हैं और इस प्रकार उड़ीसा को ३ करोड़ रुपये दिये गये हैं ।

बचत प्रमाण पत्रों का भुनाया जाना

†*२६२६. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस प्रकार के कोई अभ्यावेदन आये हैं कि विभाजन से पहले पाकिस्तान में काम करने वाले उन लोगों को राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को भुनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने भारत में नौकरी करना मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो ये कठिनाइयां किस प्रकार की हैं; और

(ग) उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) आमतौर से निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है :—

(१) पाकिस्तान से जांच सूचियों की प्राप्ति में विलम्ब ।

(२) विदित तिथि अर्थात् ३० जून, १९४९ से पहले पंजीकृत न किये गये प्रमाण पत्रों के हस्तांतरण के लिये आवेदन ।

(३) पाकिस्तान में प्राधिकर्ताओं (Pledgees) द्वारा मुक्त न किये गये और, प्रतिभूति के रूप में प्राधिकृत प्रमाण पत्र ।

(ग) (१) जांच सूचियों के शीघ्र आदान प्रदान के लिये अक्तूबर, १९५४ में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति ।

(२) अपंजीकृत दावों के निबटारे की सुविधाओं के लिये पाकिस्तान सरकार से चर्चा ।

(३) प्रतिभूति के रूप में प्राधिकृत प्रमाणपत्रों को जल्दी प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय दावा संगठनों को उत्तरदायी बनाना ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सरकार के पास ऐसे मामलों के आंकड़े हैं जिन में लोगों को यह कठिनाई होती है और उनका सम्बन्ध कितनी रकम से है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : किस शीर्षक के अधीन मैंने तीन प्रकार की कठिनाइयों का उल्लेख किया है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : ऐसे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों का कितनी रकम से सम्बन्ध है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मैंने बताया है कि कुछ दावे केन्द्रीय दावा संगठन को सौंप गये हैं और जब तक इस विषय को अन्तिम रूप न दे दिया जाय तब तक हम कुल संख्या नहीं बता सकते हैं । उसके लिये विशिष्ट सूचना की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दामोदर मेनन** : जिन लोगों ने निश्चित तिथि से पहले आवेदन नहीं किया है उनके मामलों की क्या स्थिति है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : स्थानान्तरण के लिये ?

†**श्री दामोदर मेनन** : जी हां । उनकी क्या स्थिति है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : उनसे कहा गया था कि वे केन्द्रीय दावा संगठन में आवेदन करें। इस नियम में यह रियायत की गई है कि वे उन के प्रमाणपत्रों की मुक्ति के उपरान्त छः महीने के भीतर अथवा ३० अप्रैल १९५६ तक, इन दोनों में जो भी समय बाद में आता हो तब तक, आवेदन कर सकते हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या इस विलम्ब का कारण यह है जो मुस्लिम अधिकारी पाकिस्तान में रहना चाहते थे, उन्हें उन के मांगने पर नकद रुपया अथवा नकद के प्रमाण पत्र नहीं दिये गये थे ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मैं कह नहीं सकता । इस प्रश्न का सम्बन्ध उन लोगों से है जो भारत में रहना चाहते थे । इस का सम्बन्ध पाकिस्तान वालों से नहीं है ।

†**श्री वेलायुधन** : मेरा अभिप्राय यह है कि इस कठिनाई का कारण क्या यह तो नहीं है कि जो कर्मचारी पाकिस्तान में रहना चाहते थे उनके मामले में विलम्ब होने के कारण हम भी जैसे का तैसा कर रहे हैं ?

†**श्री बी० आर० भगत** : नहीं, हमारी ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

शस्त्रास्त्र-आयात

†*२६२७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशों से अब भी शस्त्र आयात करता है;

(ख) क्या इस विषय में आत्मनिर्भर होने का कोई कार्यक्रम है; और

(ग) उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). शस्त्रों में आत्मनिर्भर बनने का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है और तेज़ी से प्रगति की जा रही है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : छोटे तथा मंझले आकार के शस्त्रों में सरकार कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगी ?

†**सरदार मजीठिया** : इस का सम्बन्ध देश के औद्योगिक विकास से है । जब उद्योगों का विकास होगा, तब यह स्थिति अपने आप पैदा हो जायेगी ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक रूप में दिया है । जब ऐसी वस्तुयें, जो हमारे कारखानों में बनाई जा सकती हैं, बाहर से मंगाई जा रही हैं तो फिर सरकार उन कारखानों में लोगों की छंटनी क्यों कर रही है जब कि इन वस्तुओं को हमारे यहां बनाने की गुंजाइश है ?

†**सरदार मजीठिया** : जो चीज यहां बनाई जाती है वह बाहर से नहीं मंगाई जाती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या लार्ड माउंट बेटन की हाल ही की यात्रा के कारण.....

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात कुछ समय पहले भी पूछी गई थी ।

†**श्री कामत** : जी नहीं । जो बात मैं पूछ रहा हूं वह पहले नहीं पूछी गई थी । आप ने मेरे पूरे प्रश्न को नहीं सुना है ।

प्रश्न यह है कि क्या लार्ड माउंटबेटन की भारत यात्रा के फलस्वरूप भारत ने लाखों पाउण्ड के शस्त्रों का ब्रिटेन को आर्डर दिया है और अन्य देशों के अच्छे प्रस्तावों को ठुकरा दिया है और यदि हां, तो वे कौन से देश हैं जिन के प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया है ?

†**सरदार मजीठिया** : मैं समझता हूं माननीय सदस्य स्वयं ज्यादा जानते हैं । प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से हम केवल उन्हीं वस्तुओं के लिये आर्डर दे रहे हैं, जिनकी हमें अपनी रक्षा के लिये आवश्यकता है । बड़े-बड़े प्रश्न हैं, जैसे कि एयर क्राफ्ट कैरियरज आदि । इनका उत्तर पहले कई बार दिया जा चुका है ।

†**श्री कामत** : श्रीमान् मुझे एक औचित्य प्रश्न उठाना है । प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या अन्य देशों द्वारा अच्छी शर्तें पेश की गयी थीं, और वे कौन-कौन से देश हैं जिन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह केवल वे ही वस्तुयें खरीदते हैं जो कि बाजार में उपलब्ध होती हैं । स्वभावतः वह सब से बढ़िया वस्तुयें खरीदेंगे ।

†**श्री कामत** : अन्य देशों के द्वारा भी शस्त्रास्त्र देने का वचन दिया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्त में वस्तुओं का चुनाव तो प्राधिकारियों को ही करना होता है । हम यह प्रश्न कैसे कर सकते हैं कि अमुक-अमुक स्थान से वस्तुयें क्यों नहीं ली गयीं ?

†**श्री कामत** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि किन-किन देशों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस रहस्य का उद्घाटन करना लोकहित में नहीं होगा ।

†**श्री कामत** : यदि लोकहित में नहीं है तो मंत्री महोदय स्वयं यह बात कहें ।

†**सरदार मजीठिया** : इसका रहस्योद्घाटन करना लोकहित में नहीं है ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : शस्त्रास्त्र शब्द एक अत्यन्त व्यापक शब्द है । क्या इसका तात्पर्य भारी शस्त्रों से है अथवा ब्रेनगनों, स्टैनगनों तथा राइफलों आदि छोटे शस्त्रों से भी तात्पर्य है ?

†**सरदार मजीठिया** : स्टैनगनों, राइफलों तथा अन्य प्रकार के छोटे शस्त्रों का हम स्वयं निर्माण कर रहे हैं ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या हम उनके बारे में स्वावलम्बी हैं ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : शस्त्रों के निर्माण के प्रश्न पर विचार करने से पूर्व मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हम नौसेना के लिये साधारण से कैप फ्रिल्ज ब्रिटेन स मंगा रहे हैं जब कि वही चीज हम अपनी कपड़े की मिलों में तैयार कर सकते हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या यह सच है कि ब्रेनगन आदि के समान कुछ एक शस्त्र, जिन्हें गत युद्ध के समय भारत में तैयार किया जा रहा था, अब वे विदेशों से मंगाये जा रहे हैं ?

†**डा० काटजू** : मैं नहीं समझता कि यह बात सच है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि जहां तक तोपखाने का सम्बन्ध है, हम पूर्णरूपेण विदेशों पर निर्भर करते हैं और क्या भारत सरकार ने इन्हें भारत में ही तैयार करने के बारे में कोई कार्यवाही की है ?

†**डा० काटजू** : मैंने कई बार कहा है कि भारत सरकार देश को शस्त्रों के निर्माण की दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यवाही कर रही है । परन्तु इसे एक ही वर्ष में पूरा कर लेना सम्भव नहीं है । हमारे पास जिस भी वस्तु की कमी होती है, उसे तो मंगाना ही पड़ता है; परन्तु हम इस कमी को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना चाहते हैं । परन्तु इस सम्बन्ध में अधिक ब्योरे देना लोकहित में नहीं है ।

घी सम्बन्धी गोलमाल का मामला

†*२६२८. **श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बल को दूध से तैयार किये जाने वाले घी के सम्भरण के सम्बन्ध में भारत सरकार को धोखा देने के षड्यन्त्र के अपराध में खाद्य मंत्रालय के भूतपूर्व प्रमुख क्रय निदेशक, श्री वी० पी० भार्गव तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड अभियोग कब चलाया गया था; और

(ख) इस मामले पर सरकार ने कितना खर्च किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) इस मामले में चार्ज शीट १९ अप्रैल, १९५२ को न्यायालय में दर्ज की गयी थी और उस पर निर्णय २ मई, १९५६ को दिया गया था ।

(ख) इस मामले पर किये गये खर्च का ठीक-ठीक हिसाब बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि विशेष पुलिस स्थापना में अलग-अलग मामलों का कोई हिसाब नहीं रखा जाता । सारी स्थापना का इकट्ठा हिसाब रखा जाता है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि घी के सम्भरण का ठेका शुद्ध घी व्यापार मण्डल, क्वीन्सवे, नई दिल्ली, नामक सार्थ को, जो कि उत्तर प्रदेश के कुछ एक घी व्यापारियों द्वारा प्रारम्भ किया गया था, दिया गया था, और यदि हां, तो यह ठेका लेने से कितने समय पहले वह सार्थ स्थापित हुआ था, और उसे कितने रुपयों का ठेका दिया गया था ?

†**श्री दातार** : यह सच है कि ठेका १८-१२-४८ को दिया गया था और सशस्त्र बल की २६०० टन घी के सम्भरण के लिये कीमत १,३० लाख रुपये से अधिक थी, इसमें सरकार को इस बात का अधिकार था कि वह अपनी इच्छा से इसे २५ प्रतिशत बढ़ा या घटा सकती थी ।

†**श्री गिडवानी** : अन्य अभियुक्त कौन-कौन थे; उनमें से कितने सरकारी थे और कितने गैर-सरकारी; क्या उन सभी को दोषी ठहराया गया है; और उनके लिये क्या सजा सुनाई गयी थी ?

†**श्री दातार** : कुल १६ अभियुक्त थे; उनमें से ७ को दोषी ठहराया गया था जिन में श्री भार्गव भी सम्मिलित थे । जैसा बताया गया है, श्री भार्गव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४२० के अधीन और १९४७ के अधिनियम २ की धारा ५ (२) के अधीन दोषी ठहराया गया है । उन्हें एक वर्ष का कठोर कारावास दण्ड दिया गया है तथा १०,००० रुपये का जुर्माना किया गया है । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा ५ (२) के अधीन उसे दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गिडवानी** : क्या उससे जुर्माना ले लिया गया है?

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : वकीलों पर कितना खर्च आया है।

†**श्री दातार** : खर्च का पृथक्-पृथक् हिसाब बताना सम्भव नहीं है।

†**श्री राघवैया** : क्या उससे जुर्माना प्राप्त हो गया है?

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या सरकार को जितनी हानि हुई थी वह उन पदाधिकारियों से प्राप्त कर ली गयी है जो कि अब अदा करने योग्य थे और क्या उन पर किये गये जुर्माने प्राप्त कर लिये गये हैं और सरकार को अदा कर दिये गये हैं?

†**श्री दातार** : हमारा सम्बन्ध अभियोग से है और अभियोग में हम केवल जुर्माना ही ले सकते हैं। और जहां तक जुर्माना प्राप्त करने का सम्बन्ध है, उसका निर्णय केवल २ मई, १९५६ को किया गया है, और इसलिये जुर्माना प्राप्त करने के लिये अभी बहुत समय नहीं बीता है।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि इसका निर्णय कई बार स्थगित कर दिया गया था, और यदि हां, तो कितनी बार स्थगित किया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : निर्णय अब दिया गया है।

†**श्री गिडवानी** : १९४८ से १९५६ तक इस पर बहुत सा समय लग गया है।

†**श्री दातार** : मामला प्रतिवादी के कहने पर स्थगित किया गया था। वे अपराध को झूठा सिद्ध करना चाहते थे तथा और भी कई काम करना चाहते थे। माननीय सदस्य देखेंगे कि मामला कितना लम्बा चौड़ा है, जब कि उसके निर्णय में १००० पृष्ठ हैं, अभियोक्ता के १२९ साक्षी हैं, प्रतिवादी के २३ साक्षी हैं और ६ न्यायालय साक्षी हैं जिन का परीक्षण किया गया था और लगभग १०,००० दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे।

सन्दिग्ध निष्ठा वाले पदाधिकारी

*२६२९. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की प्रशासन सुधार समिति की सिफारिशों पर एक आदेश जारी किया गया था कि सन्दिग्ध निष्ठा के पदाधिकारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त न किया जाये, जहां उनके लिये अपने स्वविवेक से काम करने की काफी गुंजाइश हो;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पदाधिकारियों को ऐसे पदों पर नहीं रखा गया या कितने पदाधिकारियों को ऐसे पदों से हटाया गया; और

(ग) सरकार किसी व्यक्ति की निष्ठा की जांच करने के लिये क्या कसौटी अपना रही है?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) (क) जी हां। जारी किये गये आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ख) ऐसी नियुक्तियों से हटाये गये पदाधिकारियों की कोई सूची नहीं है। चयन करते समय इन आदेशों को ध्यान में रखा जाता है और केवल वे ही पदाधिकारी चुने जाते हैं जिनकी निष्ठा की ख्याति संतोषजनक है।

(ग) सामान्यतः सरकारी कर्मचारी की निष्ठा की जांच उसके सामान्य आचरण, ख्याति और उसके कार्य की रिपोर्टों के आधार पर की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : श्रीमान्, क्या इसका अंग्रेजी में उत्तर मिल सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर अंग्रेजी में पढ़ दें ।

[उत्तर अंग्रेजी में पढ़ा गया]

श्री दिगम्बर सिंह : किस विभाग में इस किस्म के पदाधिकारी सबसे ज्यादा पाये गये हैं ?

श्री दातार : मैं उनका प्रश्न नहीं समझा ।

अध्यक्ष महोदय : और न ही मैं समझा हूं ।

श्री दिगम्बर सिंह : किस विभाग में सब से अधिक इस प्रकार के पदाधिकारी पाये गये हैं ?

श्री दातार : इस किस्म की सूची देना सम्भव नहीं है ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या १९५६ या १९५५ में आई० ए० एस०, आई० पी० एस० या आई० सी० एस० के कुछ पदाधिकारियों को उनकी सन्दिग्ध निष्ठा के कारण पदच्युत कर दिया गया है या निकाल दिया गया है ?

†**श्री दातार** : वह एक अलग प्रश्न है, परन्तु माननीय सदस्य को मैं बता देना चाहता हूं कि ये अनुदेश सभी पदाधिकारियों पर लागू होते हैं ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या सरकार का ध्यान महालेखापरीक्षक के इस लम्बे चौड़े प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है कि एक राजदूतावास पदाधिकारी को एक कार खरीदने के लिये तीन बार अग्रिमधन दिया गया है, और यह कि पदाधिकारी ने एक कार खरीदी है और उसका प्रयोग किये बिना ही उसे बेच डाला है ?

†**श्री दातार** : मैं यह जानकारी माननीय सदस्य से प्राप्त किये लेता हूं, और पता करूंगा कि सच्चाई क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य व्यक्तिगत मामलों के बारे में मंत्री महोदय को लिख सकते हैं ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : मंत्री महोदय ने महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को नहीं पढ़ा है जिसमें उसने विभिन्न पदाधिकारियों की निष्ठा के सम्बन्ध में लिखा है ।

†**श्री दातार** : मैंने यही तो कहा है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : परन्तु वह मुझ से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के कई व्यक्तिगत मामले हैं, और यदि वे नियमों को पढ़ेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि यदि वे कोई प्रश्न पूछना चाहें तो अच्छा यही है कि वे १५ या २० मिनट पहले सूचना दे दिया करें, ताकि मंत्री जी उत्तर देने के लिये तैयार हो कर आयें; यह नहीं समझना चाहिये कि मंत्री महोदय ने ये सभी प्रतिवेदन पढ़ लिये हैं और उन सभी व्यक्तिगत मामलों के बारे में उन्हें पूरा ज्ञान है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट इस बात को अनुभव करती है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर बड़े अफसरों को सलाम न किया जाये, यहां तक कि अगर उनकी लड़कियों की शादियों में डालियां न पहुंचायी जायें, तो वे अपने मातहत अफसरों के खिलाफ रिकार्ड लिख देते हैं ? क्या इस प्रकार की कार्यवाही के खिलाफ किसी प्रकार की रोक-थाम की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब कभी भी गुप्त अभिलेखों में कोई रिपोर्ट लिखी जाती है या पृष्ठांकन किया जाता है तो उच्चतर पदाधिकारियों द्वारा उनकी पड़ताल की जाती है और यदि कुछ गलत बात मालूम दे तो पृष्ठांकन करने वाले पदाधिकारी को दण्ड दिया जाता है।

†**श्री कामत** : क्या यह बात ठीक है कि सरकार कभी भी किसी उच्च पद पर या किसी भी पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करती है जिस की निष्ठा या अन्य किसी बात के लिये सरकार की किसी समिति या संसद् की समिति द्वारा जांच करने की मांग की गई हो ?

†**श्री दातार** : सरकार के पास यह मालूम करने के लिये पर्याप्त साधन हैं कि क्या किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि अच्छी है या नहीं । सरकार सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद नियुक्ति करती है ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच नहीं है कि . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कल भी यही प्रश्न पूछा था और मेरे विचार में वह आकाशवाणी के सम्बन्ध में था ।

†**श्री कामत** : जी, नहीं । क्या यह सच नहीं है कि एक व्यक्ति के संव्यवहार तथा कार्य के सम्बन्ध में संसद् की लोक लेखा समिति ने उच्च स्तर पर न्यायिक जांच की सिफारिश या मांग की थी और उस व्यक्ति को सरकार का बिना विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया है बल्कि उसे पदोन्नति देकर हाल ही में एक विभाग का मंत्री बनाया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री कामत** : इस का उत्तर क्यों नहीं दिया जाना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जन हित में नहीं दिया जाना चाहिये, यह कई बार पूछा जा चुका है।

†**श्री कामत** : यह प्रश्न कभी नहीं पूछा गया था । इस का उत्तर किस आधार पर नहीं देना चाहिये ? नि:संदेह प्रश्न को अस्वीकृत करने का आप को पूर्ण अधिकार है और मैं आप के प्राधिकार में सन्देह नहीं करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन बातों के सम्बन्ध में और इस सम्बन्ध में कि न्यायिक जांच क्यों नहीं की जानी चाहिये, एक बार या दो बार नहीं बल्कि कम से कम तीन बार एक पूर्ण वक्तव्य दिया जा चुका है । यदि एक बार फिर इस प्रश्न को उठाया गया तो इस समस्या का कभी अन्त न होगा । इसका निपटारा हो चुका है ।

†**श्री कामत** : इस ओर हम ने इसका निपटारा नहीं किया है; सरकार ने चाहे इसे निपटा दिया हो ।

प्रतिरक्षा सेवाओं में भर्ती

†*२६३०. **श्री मादिया गौडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भर्ती करने वाले पदाधिकारियों को यह हिदायतें दी गई थीं कि मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और त्रावनकोर कोचीन राज्यों में प्रतिरक्षा सेवाओं में भर्ती को बढ़ावा देने के लिये विशिष्ट ध्यान दिया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) भर्ती करने वाले सभी पदाधिकारियों को, जिन में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और त्रावनकोर-कोचीन राज्यों के भर्ती करने वाले पदाधिकारी भी हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

ये हिदायतें दी गई थीं कि जिन क्षेत्रों से प्रतिरक्षा सेवाओं में पिछले दिनों में सन्तोषजनक भर्ती नहीं होती थी, वहां पर भर्ती को बढ़ावा देने के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

(ख) ये हिदायतें देने के बाद इन राज्यों से भर्ती होने वालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

†**श्री मादिया गौडा** : साधारण ढंग से वहां पर जितने व्यक्ति भर्ती होते, ये हिदायतें देने के बाद अब इन क्षेत्रों में उनकी अपेक्षा कितने अधिक व्यक्ति भर्ती हुये हैं?

†**सरदार मजीठिया** : मैं आंकड़े बता सकता। मद्रास में १९४९ तथा १९५४ के आंकड़ों की तुलना में २० प्रतिशत अधिक व्यक्ति भर्ती हुए हैं। मैसूर में भर्ती में लगभग ८५ प्रतिशत वृद्धि हुई है। त्रावनकोर-कोचीन में दस प्रतिशत तथा हैदराबाद में ५०० और ८०० प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह सच नहीं है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् मद्रास, मैसूर, हैदराबाद तथा त्रावनकोर कोचीन से, विशेषतया दक्षिण भारत में प्रतिरक्षा सेवा कमीशनों के लिये काफी कम संख्या में उम्मीदवार चुने गये हैं और वास्तव में बहुत से मामलों में बिल्कुल भी चुनाव नहीं किया गया है?

†**सरदार मजीठिया** : वृद्धि हुई है .....

†**श्री वेलायुधन** : मैं कमीशन पाने वाले पदाधिकारियों की बात कह रहा हूं।

†**सरदार मजीठिया** : मेरे पास कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों के आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मुझे इस सम्बन्ध में सन्देह है कि उनकी संख्या में कमी हुई है। बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी भली भांति देख-भाल की जाती है और मैं एक बार फिर यह बता देना चाहता हूं कि पदाधिकारियों का चुनाव केवल उनके गुणों ही के आधार पर किया जाता है।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : इन हिदायतों का पंजाब में भर्ती पर क्या प्रभाव हुआ है? क्या इसे निरुत्साहित किया गया था?

†**सरदार मजीठिया** : मेरे विचार में ऐसा नहीं हुआ, यद्यपि यह बिल्कुल सच है कि प्रशासकीय कारणों से भर्ती का एक केन्द्र कम कर दिया गया था तथापि इससे भर्ती पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ है।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या यह सच है कि इस बात के कारण कि तरक्की के मामले में भेद-भाव है लोग प्रतिरक्षा सेवाओं में भर्ती होने के लिये उत्साहित नहीं हैं?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)**: तरक्की में बिल्कुल भी भेद-भाव नहीं होता है।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : यह अधिसूचना जारी करने का विशेष कारण क्या था? क्या इस का कारण यह था कि लोग भर्ती किये जाने के खिलाफ थे या पदाधिकारी भर्ती नहीं कर रहे थे?

†**डा० काटजू** : मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि सशस्त्र सेनाओं में सेवा के लिये स्वयं को अर्पित करने के सम्बन्ध में देश के सभी भागों के व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हों और जब कभी भी हम ने देखा कि भर्ती में कमी हुई है तो ये हिदायतें जारी की गई हैं। बस इतनी ही बात है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि दक्षिण भारत में यह भावना है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये पदाधिकारियों की भर्ती करते समय अन्याय होता है? यह बात ठीक है या गलत, पर यह भावना अवश्य है। इसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं?

†**डा० काटजू** : वहां यह भावना नहीं है; वहां पर अन्याय नहीं हो रहा है; प्रत्येक प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर नहीं में है। यह बात हो सकती है कि वहां पर लोग बहुत ही शिक्षित हैं और

†मूल अंग्रेजी में

प्रार्थियों की संख्या सीमित है। कृपया यह याद रखें कि खड़कवासला राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में तथा विभिन्न कालेजों में भर्ती होने के लिये चुनाव के सम्बन्ध में परीक्षा देनी होती है। जाति, लिंग, धर्म या अन्य किसी बात पर विचार नहीं किया जाता है, केवल गुण देखे जाते हैं।

भारतीय वायुसेना गवेषणात्मक-भ्रमण सोसाइटी

*२६३२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों से भारतीय वायुसेना की गवेषणात्मक-भ्रमण सोसाइटी प्रति वर्ष गवेषणात्मक दलों को हिमालय पर भेजती रही है;

(ख) यदि हां, तो सोसाइटी की स्थापना के बाद उस सोसाइटी द्वारा बनाये गये दलों द्वारा अब तक कितने क्षेत्र की गवेषणा की जा चुकी है;

(ग) १९५६ में सोसाइटी ने गवेषणा के लिये कौन सा क्षेत्र चुना है; और

(घ) इस सोसाइटी को अभी तक कितनी वित्तीय या अन्य सहायता दी गई है या दी जाने वाली है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां; सोसाइटी प्रति वर्ष गवेषणात्मक दलों को भेजती रही है।

(ख) अभी तक इस सोसाइटी ने निम्नलिखित गवेषणात्मक दलों को भेजा है :—

(१) लाहौल और कुल्लू घाटियों में बारालाचा दर्रे तक;

(२) कुमायूं के पर्वतों में भियून्द्र घाटी तक;

(३) गंगोत्री के ग्लेशियर तक; तथा

(४) जमनोत्री तक।

(ग) ऐसा पता चला है कि सोसाइटी का विचार है कि या तो पिंडारी ग्लेशियर या रूपकुण्ड और गोहाना झीलों और बद्रीनाथ क्षेत्र के लिये गवेषणात्मक दलों को भेजा जाय।

(घ) कुछ नहीं।

श्री भक्त दर्शन : क्या रक्षा मंत्रालय इस तरह की सोसाइटी के कार्य को पसन्द करता है और क्या इस कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ और कदम बढ़ाने का विचार है, खास कर उसको आर्थिक सहायता देने की दिशा में ?

सरदार मजीठिया : जहां तक आर्थिक सहायता देने की बात है, इस सोसाइटी ने अभी तक इसके लिये मांग नहीं की है। अगर वह इसकी मांग करेगी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह विचार किया जा रहा है कि वायु सेना के अतिरिक्त भूमि सेना और जल सेना में भी इस तरह की सोसाइटियां बनाई जायें और उनके द्वारा भ्रमण के प्रति एक आकर्षण पैदा किया जाय ?

सरदार मजीठिया : यह तो वायुसेना ने बनाई है। दूसरी दोनों सेनायें अगर इस तरह की सोसाइटियां बनाना चाहें, तो वे बना सकती हैं मगर इतना मैं यहां पर कह सकता हूं कि दूसरी दोनों सेनाओं के आफिसर्स इन दलों में शामिल थे।

पारपत्र अधिनियम

*२६३३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद और इलाहाबाद के हाईकोर्टों ने यह निर्णय दिया है कि भारतीय पारपत्र अधिनियम के अनुसार भारत में निश्चित अवधि से अधिक ठहरना कोई अपराध नहीं है और उन्होंने इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त व्यक्तियों को छोड़ देने का आदेश दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वक्त भारतवर्ष में कितने फौरनर्स का ओवरस्टे हो रहा है ?

श्री दातार : इसका नम्बर मैंने दिया है, इस समय मुझे उनकी ठीक संख्या याद नहीं आ रही है ।

†**श्री कासलीवाल :** यदि किसी विदेशी को किसी विशिष्ट अवधि के लिये देश में ठहरने के लिये दृष्टांक दिया जाता है और दृष्टांक की अवधि समाप्त हो जाती है तो सरकार उस व्यक्ति को देश से निकालने के लिये क्या कार्यवाहियां करती है ?

†**श्री दातार :** बिल्कुल यही प्रश्न था जो एक ओर हैदराबाद और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों में और दूसरी ओर नागपुर उच्च न्यायालयों में न्यायनिर्णयन का विषय था । नागपुर उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि भारतीय पारपत्र अधिनियम के अनुसार निश्चित अवधि से अधिक ठहरना एक अपराध है जब कि अन्य दो उच्च न्यायालयों का निर्णय इस से विभिन्न था । यह विषय विचाराधीन है ।

श्री एम० डी० जोशी : इनमें से पाकिस्तान से आये हुए कितने हैं ?

श्री दातार : मैंने वह नम्बर दिया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर होगी ?

श्री दातार : भारत सरकार की लॉ मिनिस्ट्री इस विषय के बारे में सोच रही है ।

सोने की खानें

†*२६३४. **श्री आर० पी० गर्ग :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ तथा १९५५ में सोने की कितनी खानों में काम हो रहा था और प्रत्येक खान में सोने की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ था;

(ख) क्या निकट भविष्य में सरकार का सोने की खानों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है और यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या सरकार ने उन अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया है, जहां सोना मिलने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ३२**]

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या हमारा सोने का स्थानीय उत्पादन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काफी है या हमें अपनी आवश्यकताओं के लिये विदेश से सोना मंगवाना पड़ता है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : हमारे मंत्रालय का सम्बन्ध प्रश्न के प्राविधिक पहलू से है। मैं कह नहीं सकता कि क्या हम देश की आवश्यकतानुसार सोने का उत्पादन कर रहे हैं या नहीं परन्तु मेरे विचार में जितनी मात्रा में हमें सोने की आवश्यकता है उतने सोने का हम उत्पादन कर रहे हैं।

†**डा० रामा राव** : विवरण में कहा गया है कि कोलार की सोने की खानों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न विचाराधीन है। क्या यह सच है कि राज्य सरकार पर, जो उचित प्रतिकर देने के लिये तैयार है, केन्द्रीय सरकार द्वारा उससे कहीं अधिक प्रतिकर देने के लिये दबाव डाला जा रहा है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : उच्चतर प्रतिकर देने के लिये मैसूर सरकार पर किसी प्रकार का दबाव डालने की बात मुझे मालूम नहीं है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : आन्ध्र के चित्तूर प्रदेश में सोने की खानों के क्षेत्रों का पता लगाने के सम्बन्ध में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि इस कार्य में २-३ वर्ष लगेंगे। मान चित्रण सम्बन्धी इस छोटे से काम में इतना समय क्यों लगेगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मान चित्रण का कार्यक्रम इतना छोटा नहीं है। ऐसे बड़े क्षेत्रों का मान चित्र बनाने के लिये काफी संख्या में लोगों की आवश्यकता होती है और जब वे उन क्षेत्रों का अध्ययन कर लेते हैं तब उसके बाद मान चित्र तैयार किये जाते हैं। इसलिये यह छोटा कार्यक्रम नहीं है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या यह सच है कि खान विभाग ने उड़ीसा में सोने की खोज का कार्य सम्भाला था और लगभग ४५ लाख रुपया खर्च करने के बाद काम बन्द कर दिया था ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मुझे मालूम नहीं कि ४५ लाख रुपये खर्च हुए थे या नहीं, यह काम इसलिये छोड़ दिया गया था कि विस्तृत छानबीन के बाद यह देखा गया था कि यह एक लाभदायक प्रस्थापना नहीं होगी।

†**श्री पी० सी० बोस** : सोने की खानों के इन वर्गों में कितने विदेशी प्राविधिक तथा खनन विशेषज्ञ काम कर रहे हैं और क्या उसी स्तर पर कोई भारतीय भी काम कर रहा है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : कोलार सोना खान क्षेत्र का कार्य प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मुझे विदेशियों की ठीक संख्या ज्ञात नहीं है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार ने २० मई के "हिन्दुस्तान टाइम्स" का वह सम्पादकीय लेख देखा है जिसका शीर्षक है 'सोवियत सोना' ? इसमें कहा गया है कि रूस एक अविकसित देश है और वह एक करोड़ औंस सोना उत्पादित कर रहा है और रूस सोना बेचने वाला देश है। क्या सरकार ने इस मंत्रालय के लिये कोई विशेषज्ञ इस उद्देश्य से कभी बुलाया है कि इस दिशा में हमारी स्थिति में भी सुधार हो और हम दो लाख औंस सोना बेच सकें ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : देश में सोने के उत्पादन से सम्बन्धित प्रश्न का अनुसंधान करने के लिये सरकार का किसी विशेषज्ञ को बुलाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि हम स्थिति से परिचित हैं और वह कैसी है यह हमें मालूम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आर० पी० गर्ग** : इस बात को देखते हुए कि भारत द्वारा उन विदेशों को सोने में कुछ अदायगी करना अपेक्षित होगा जिन देशों में डालर या पौंड सिक्का नहीं चलता है क्या सरकार सोने के उत्पादन में वद्धि करने के लिये प्रयत्न करेगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमारे मंत्रालय का सम्बन्ध प्रश्न के प्राविधिक पहलू से है । सोने के उत्पादन में कमी हो रही है, परन्तु इसके कुछ प्राविधिक कारण हैं।

संविहित निकायों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व

†*२६३६. **श्री रामानन्द दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सरकार द्वारा वित्तपोषित संविहित निकायों और संस्थाओं में अनुसूचित जातियों की नियुक्ति का कोटा निश्चित करने और उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ख) उपर्युक्त संस्थाओं में वर्ष १९५५–५६ में कुल कितनी नियुक्तियां हुईं और उनमें से प्रत्येक में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) संविहित और अर्ध-सरकारी निकायों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की भर्ती के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति को मैंने २८ फरवरी, १९५६ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५७ के अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है।

(ख) वर्ष १९५५–५६ में प्रत्येक संविहित निकाय आदि में की गई नियुक्तियों और भर्ती किये गये अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जायगी और लोक-सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री रामानन्द दास** : यह जानकारी लोक-सभा पटल पर कब रखी जायेगी ?

†**श्री दातार** : मैं आशा करता हूं कि उसे संसद् के अगले सत्र में सभा-पटल पर रखा जा सकेगा ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या गृह मंत्रालय ने इन संविहित संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों को उनके हक की प्रतिशतता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिये जाने के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी परिचालित नहीं की है ?

†**श्री दातार** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने अतारांकित प्रश्न संख्या १५७ के मेरे उत्तर को पढ़ा है या नहीं । यदि उन्होंने उसे पढ़ा होता, तो सारी स्थिति स्पष्ट हो गई होती । गृह-मंत्रालय ने यह प्रश्न सभी मंत्रालयों के समक्ष रखा है और विभिन्न मंत्रालयों से यदि ऐसा किया जा सकता हो तो निदेश जारी करने के लिये अथवा इन निकायों को सुझाव देने के लिये कहा गया है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह सच है कि इस परिपत्र के बावजूद भी बहुत थोड़े से अनुसूचित जातियों के पदाधिकारी इन संविहित निकायों में नियुक्त किये गये हैं और कुछ मामलों में तो उनकी प्रतिशतता शून्य ही है ?

†**श्री दातार** : यह सूचना गलत है क्योंकि उस अतारांकित प्रश्न के उत्तर के साथ एक विवरण लोक-सभा के समक्ष रखा गया था और उस विवरण में यह बताया गया है कि यह सुझाव इनमें से अधिकांश निकायों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर के पदाधिकारी

†*२६३७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के एकीकरण से पूर्व के ऐसे पदाधिकारियों की संख्या क्या है जिन की सेवायें पुष्ट की गई थीं, जिन के नाम मनीपुर राज्य के सूचना-पत्र में प्रकाशित किये गये थे और जो १९५० से संशोधित वेतन क्रम पाने के अधिकारी थे;

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर के वर्तमान मुख्यायुक्त ने एक ऐसा आदेश दिया है कि भाग (क) में उल्लिखित समस्त घोषित पदाधिकारियों को अस्थायी पदाधिकारियों जैसा समझा जाये;

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इससे कितने पदाधिकारी प्रभावित होंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (घ). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नागार्जुनकोंडा की पत्थर की मूर्त्तियां

†*२६३९. **डा० रामा राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुनकोंडा और अमरनाथ से कुछ मूर्त्तियां हटाकर सारनाथ अथवा अन्य स्थानों को भेज दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) उन्हें वापस कब लाया जायेगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)**: (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक ४ फीट ४ इंच ऊंची चूने के पत्थर की अयाक शिला, जिस में ईसा की तीसरी शताब्दि का स्तूप और अभय मुद्रा में बुद्ध बैठे दिखाये गये हैं, नागार्जुनकोंडा से नई दिल्ली लाई गई थी।

(ग) यह अभी निश्चित नहीं किया गया है।

†**डा० रामा राव** : नागार्जुनकोंडा पहाड़ी पर एक संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव की दृष्टि से इन पत्थर की मूर्त्तियों को उसके निर्माण के बाद वापस कर देने का निर्णय क्यों नहीं किया गया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह निर्णय बाद में किया जायेगा। सरकार इस पत्थर की मूर्त्ति को नागार्जुनकोंडा वापस ले तो जायेगी, परन्तु मैं कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता।

†**डा० रामा राव** : वह दिल्ली में कहां रखी गई है ?

†**डा० एम० एम० दास** : वह एशियाई पुरातत्व संग्रहालय में रखी गई है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या आन्ध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नागार्जुनकोंडा से हटाई गई बहुमूल्य मूर्त्तियों को वापस कर देने की प्रार्थना की है ताकि वे उस संग्रहालय में रखी जा सकें जो बनाया जाने को है।

†**डा० एम० एम० दास** : केवल यही एक नमूना नागार्जुनकोंडा से लाया गया है। नागार्जुनकोंडा अथवा अमरावती से और कोई नमूना भारत के अन्य स्थानों को नहीं ले जाया गया है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या माननीय उपमंत्री को यह विदित है कि नागार्जुनकोंडा से अनेक बहुमूल्य कलात्मक वस्तुयें हटा दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कह रहे हैं 'नहीं'। केवल एक ही वस्तु हटाई गई है।

†**डा० रामा राव** : श्रीमान्, क्या इससे पहले हटाई गई थीं ?

†**डा० एम० एम० दास** : नागार्जुनकोंडा से सिर्फ एक यही नमूना लाया गया है और वह अब दिल्ली में है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई विस्तृत जानकारी हो तो वह उसे मेरे पास भेज दें।

†**श्री कासलीवाल** : नागार्जुनकोंडा में संग्रहालय के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

†**डा० एम० एम० दास** : नागार्जुनकोंडा पहाड़ी पर एक संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव है जहां यह समस्त सामग्री, जो खुदाई में प्राप्त हुई है, रखी जायेगी। परन्तु उसमें कुछ समय लगेगा।

असैनिक सम्भरण विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी

†*२६४०. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक सम्भरण विभाग के उन भूतपूर्व कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें अक्तूबर, १९५४ से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सेवायुक्त कर लिया गया है; और

(ख) प्रतीक्षक सूची में कितने व्यक्ति हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) १,१९८।

(ख) २,४५५।

†**श्री भक्त दर्शन** : जो बाकी बचे हुए कर्मचारी हैं क्या उनको सरकारी नौकरियों पर लगाने के बारे में कोई खास कदम उठाया जा रहा है, और कब तक आशा की जाती है कि उन सब को नौकरी पर लगा दिया जायेगा ?

†**श्री दातार** : सरकार ने सामान्य कदम उठाया है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको क्रमिक नियुक्ति मिल रही है।

प्रविधिक शिक्षा

†*२६४१. **श्री राधा रमण** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में प्रविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में सोवियत विशेषज्ञों की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) उन सिफारिशों के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)**: (क) उन सोवियत विशेषज्ञों ने, जिन्होंने दिसम्बर १९५५ से फरवरी, १९५६ तक भारत का भ्रमण किया था, भारत में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में भूतत्ववेत्ताओं, भूभौतिकी वेत्ताओं और खान इंजीनियरों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं।

(ख) प्रतिवेदन की एक प्रति, जिसमें वे सिफारिशें सन्निहित हैं, लोक-सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाकर ११० कर देने का निश्चय किया गया है और शेष सिफारिशें विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण** : उन सिफारिशों पर, जिन को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं, केवल हमने संख्या को ५५ से बढ़ाकर ११० कर दिया है । अन्य सिफारिशों पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । हम समस्त योजना का वित्तीय अनुमान तभी लगा सकते हैं जब कि समस्त योजना अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली जाये ।

†**श्री राधा रमण** : क्या वे सिफारिशें देश की प्रविधिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न संगठनों को भेजी जा रही हैं और उन सिफारिशों के सम्बन्ध में उनके विचार आमंत्रित किये जा रहे हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : हां, श्रीमान् ! इस सम्बन्ध में पूर्ण समन्वय है । हम यही कर रहे हैं ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या मंत्रालय ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में कितने भूतत्ववेत्ताओं और भूभौतिकी वेत्ताओं की आवश्यकता होगी, और यदि हां, तो मंत्रालय कर्मचारियों की अपेक्षित सख्या किस प्रकार से प्राप्त करने की प्रस्थापना करता है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जहां तक विभिन्न विकास योजनाओं में भूतत्व वेत्ताओं, भूभौतिकी-वेत्ताओं और खान-इंजीनियरों का सम्बन्ध है हमने अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है, और हम भारतीय खान स्कूल, खड़गपुर इंस्टीट्यूट और अन्य विश्व विद्यालयों का विस्तार इस आवश्यकता के आधार पर कर रहे हैं ।

†**श्री राधा रमण** : क्या इन सिफारिशों की छानबीन, जो इन विशेषज्ञों ने भारत सरकार को प्रस्तुत की हैं, किसी अमेरिकन विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : नहीं, श्रीमान् ।

विश्व भारती बीमा कम्पनी –

†*२६४२. **श्रीमती जयश्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व भारती बीमा कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के १६ कर्मचारियों को ३० अप्रैल, १९५६ को छंटनी के नोटिस दिये गये थे जो १ जून, १९५६ से प्रभावी होंगे; और

(ख) क्या यह भी सच है कि जीवन बीमा व्यापार के राष्ट्रीयकरण को भी ऐसी छंटनी का एक कारण बताया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) और (ख). जी, हां ।

†**श्रीमती जयश्री** : क्या कम्पनी की हालत के किसी कारण से खराब हो जाने के कारण ऐसी कार्यवाही की गई है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : स्थिति यह है कि यह कम्पनी विशेष जीवन बीमा कोष में से साधारण क्षेत्र को आर्थिक सहायता देती थी और जीवन बीमा क्षेत्र के सरकार द्वारा ले लिये जाने के परिणाम-स्वरूप वे—जैसा उन्होंने संराधक को बताया—अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर सकते थे अथवा सामान्य पक्ष को चला नहीं सकते थे । इसलिये उसने कर्मचारियों की छंटनी की ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : इन व्यक्तियों की सेवा कितने वर्ष की हो चुकी है ? उनको सेवा-मुक्त करने का प्रयत्न करने के पूर्व क्या उनको कोई वैकल्पिक नौकरी देने के लिये कोई प्रयत्न किये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० आर० भगत** : वे राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के कर्मचारी नहीं हैं। वे कम्पनी के सामान्य पक्ष के कर्मचारी है। जहां तक सेवाकाल का संम्बन्ध है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री ए० के० गोपालन** : क्या वे सब एक ही श्रेणी के हैं; यदि नहीं तो वे विभिन्न श्रेणियां कौन-कौन सी हैं, जैसे क्लर्क, चपरासी आदि।

†**श्री बी० आर० भगत** : उनमें से कुछ आग विभाग के थे, एक मोटर विभाग का था, दो लेखा विभाग के थे, तीन टाइपिस्ट थे, एक डिस्पैचर था और दो चपरासी थे।

†**श्रीमती जयश्री** : क्या बीमा कर्मचारी संघ, बम्बई के महामंत्री ने २० अप्रैल को बम्बई के संराधन पदाधिकारी को एक पत्र लिख कर यह प्रार्थना की थी कि वह कर्मचारियों की छंटनी को रोकने के विचार से उस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करें?

†**श्री बी० आर० भगत** : मुझे ऐसे किसी पत्र की जानकारी नहीं है। लेकिन यह सच है कि कम्पनी द्वारा संराधन पदाधिकारी को लिखे गये प्रार्थना पत्र अथवा पत्र में इस बात का उल्लेख है कि कम्पनी के व्यवसाय के साधारण और जीवन क्षेत्रों के भौतिक पृथक्करण के कारण उसे कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी है। मैं यह निवेदन करूं कि यह सही स्थिति नहीं है, क्योंकि बीमा अधिनियम के अन्तर्गत दोनों कोष——जीवन कोष और साधारण कोष पृथक्-पृथक् हैं और किसी भी कम्पनी के कार्य के साधारण क्षेत्र को जीवन क्षेत्र से आर्थिक सहायता देना अवैध है और जहां तक वे ऐसा वैसा करते हैं उसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार हैं। जहां तक अधिनियम का सम्बन्ध है, उन्हें साधारण क्षेत्र को आर्थिक सहायता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उन्होंने साधारण क्षेत्र को जीवन क्षेत्र से आर्थिक सहायता न दी होती तो यह मामला उत्पन्न ही नहीं होता।

बम्बई के स्मारक

†*२६४३. **श्री एम० डी० जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) बम्बई राज्य के राष्ट्रीय महत्व के उन प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों के नाम जो (१) केन्द्रीय सरकार और (२) केन्द्रीय सरकार की ओर से बम्बई सरकार की देख भाल के अधीन हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५१–५२ से १९५५–५६ तक उनके संरक्षण पर कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) बम्बई सरकार को देखभाल के लिये सौंपे गये स्मारकों पर उसके द्वारा १९५१–५२ से १९५५–५६ तक कितना धन व्यय किया गया?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

धौलपुर उत्तराधिकार

†*२६४४. **डा० नटवर पांडे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धौलपुर उत्तराधिकार जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो वह सम्भवतः कब तक प्राप्त होगा;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) सरकार सम्भवतः कब तक विनिश्चय करेगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रतिवेदन सम्भवतः जून, १९५६ में प्राप्त होगा ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार प्रत्येक विवादास्पद उत्तराधिकार के मामले में एक जांच समिति नियुक्त करने की इस प्रक्रिया का नियमित रूप से पालन करेगी ?

†**श्री दातार** : जब भी सरकार आवश्यक समझेगी, वह यह विशिष्ट प्रक्रिया अपनायेगी ।

अवकाश नियम

†*२६४५ **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वित्त** मंत्री २३ मार्च १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नियमों में असमानतायें दूर करने के सम्बन्ध में सरकार ने तब से कोई अन्तिम विनिश्चय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो वह सम्भवतः कब तक किया जायगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जैसा कि मैंने पहले माननीय सदस्य को बताया था, वह विषय पेचीदा है और अन्तिम विनिश्चय के लिये थोड़ा और समय लगेगा ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : श्रेणी ४ के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अवकाश नियम उदार बनाने का संपूर्ण प्रश्न काफी लम्बे समय से विचाराधीन रहा है और पिछले कई वर्षों से वह सक्रिय विचाराधीन था । यह विचार अन्तिम रूप से कब तक पूरा हो जायगा ?

†**श्री बी० आर० भगत** : यद्यपि मैं यह नहीं मानता कि यह विषय इतने लम्बे समय से सक्रिय विचाराधीन रहा है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि अन्तिम विनिश्चय करने में अवश्य ही कुछ देर हुई है । मैं माननीय सदस्य को और सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि बहुत शीघ्र ही विनिश्चय किया जायगा और अभी फिलहाल गृह तथा वित्त मंत्रालय उस पर सक्रिय विचार कर रहे हैं।

†**श्री टी० वी० विट्ठल राव** : क्या विचाराधीन प्रस्ताव के वित्तीय पहलू पर विचार किया गया है और यदि हां, तो उसमें कितना धन लगेगा ?

†**श्री बी० आर० भगत** : जहां तक वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है, लगभग १,३५,००,००० रुपये का वित्तीय प्रश्न है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या कर्मचारियों की यह धारणा नहीं है कि जब कभी ऐसे मामले वित्त मंत्रालय को भेजे जाते हैं, तब विनिश्चय में बहुत अधिक समय लगता है और क्या वह धारणा दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मैं इस आरोप को नहीं मानता । जैसा कि मैंने बताया, यह बहुत पेचीदा मामला है जिस में कई उलझनें हैं । उसी कारण देर हुई है । किन्तु जैसा कि मैंने बताया, बहुत शीघ्र ही विनिश्चय किया जायगा ।

छादबेट के निकट तेल

†*२६४६. **श्री बोगावत** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या छादबेट के निकट तेल की खोज करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : उस क्षेत्र का विशेष तौर से अध्ययन नहीं किया गया है और सम्भव है कि निकट भविष्य में उन क्षेत्रों के साथ यहां भी खोज की जाये जहां तेल मिलने की सम्भावना समझी जाती है।

†**श्री बोगावत** : क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने छादबेट के निकट तेल खोजने का प्रयत्न किया है और उसे वहां तेल मिला है?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मुझे कुछ समाचार मिले हैं कि छादबेट क्षेत्र के ठीक उत्तर में तेल खोजन का प्रयत्न किया जा रहा है।

तांबा खनन

†*२६४७. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंहभूम क्षेत्र में कितना तांबा खनन कार्य और उत्पादन हुआ है; और

(ख) उसमें विदेशी हितों का अंश कितना है?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) सिंहभूम क्षेत्र में मोसाबानी वडिया और सुरडा की तांबा खानों में काम किया गया है। गत तीन वर्षों में कच्चे तांबे का उत्पादन इस प्रकार है :—

१९५३	२,३८,०१० टन
१९५४	३,४२,७५० टन
१९५५	३,९५,४१९ टन (अस्थायी)

(ख) वह समवाय ब्रिटेन में निगमित एक सार्वजनिक सीमित समवाय है जिस का रजिस्टर्ड कार्यालय ४९ मूरगेट, लन्दन में है। समवाय में भारतीयों की तुलना में विदेशियों के अंशों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठा की जा रही है।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : अभी हाल में सरकार की औद्योगिक नीति की घोषणा को ध्यान में रखते हुए जिससे तांबे को निजी उत्पादन क्षेत्र में रखा गया है, तो क्या हम यह समझें कि, क्या तांबे जैसी महत्वपूर्ण वस्तु में विदेशी हितों को अपने अधीन ले लेने का विचार समाप्त कर दिया गया है?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी नहीं। औद्योगिक नीति संकल्प के सम्बन्ध में अभी हाल के आदेश में कहा गया है कि जहां तक विद्यमान तांबा खानों का सम्बन्ध है, वे वहीं रहेंगी जहां वे हैं। किन्तु भविष्य में तांबा खानों का खनन गैर-सरकारी क्षेत्रों को नहीं दिया जायगा।

सरकारी मोटरगाड़ियां

†२६५० **श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ के उत्तर के सम्बन्ध में जिस में सरकार ने पदाधिकारियों के नाम, और १९४८ से १९५२ तक दिल्ली के राजपत्र घोषित पदाधिकारियों द्वारा काम में लायी गयी सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल के उपभोग के कारण उनसे बकाया धन राशि बतायी थी और यह भी बताया था कि सम्बन्धित पदाधिकारियों से कुछ अभ्यावेदन विचाराधीन रहने के कारण सरकार ने अब तक रुपया वसूल नहीं किया है, क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे किस प्रकार के अभ्यावेदन थे; और

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) अपने अभ्यावेदनों में सम्बन्धित पदाधिकारियों ने कहा है कि (१) दिल्ली कर्मचारी मोटरगाड़ी नियम लागू होने के पूर्व अर्थात् ११ नवम्बर, १९५६ के पूर्व, सरकारी मोटरगाड़ियों के उपयोग के साथ-साथ सरकारी भत्ता मंजूर किये जाने के बारे में कोई स्पष्ट आदेश नहीं थे और दिल्ली कर्मचारी मोटरगाड़ी नियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किये जा सकते ।

(२) उन से बकाया धनराशि वसूल करने के सम्बन्ध में विनिश्चय करने के पहले, कर्त्तव्य किस प्रकार के हैं; किन दशाओं में पदाधिकारियों ने सरकारी गाड़ियों का उपयोग किया था, और यह तथ्य कि दिल्ली लम्बे-लम्बे फासलों का शहर है, इन बातों पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

(ख) राज्य सरकार अभ्यावेदनों का परीक्षण कर रही है।

†**श्री गिडवानी** : किन पदाधिकारियों ने अभ्यावेदन दिये हैं और प्रत्येक के नाम कितनी धनराशि बकाया है ?

†**श्री दातार** : कुल आठ पदाधिकारी हैं और धनराशि अलग-अलग है । कम से कम २५७ रुपये और अधिक से अधिक ४,९०० रुपये हैं।

†**श्री गिडवानी** : सरकार इस विषय में कब विनिश्चय करेगी ?

†**श्री दातार** : करीब एक महीने में ।

मंत्रियों की विदेश यात्रायें

†*२६५१. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी संसदीय अवकाश में कितने मंत्री भारत के बाहर दौरा करेंगे;

(ख) वे किन-किन विभागों के हैं; और

(ग) उन में से प्रत्येक किस उद्देश्य या प्रयोजन से विदेश जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ३३**]

†**श्री कामत** : सभा पटल पर रख गये विवरण से यह मालूम होता है कि केवल स्थायी स्वास्थ्य मंत्री, अस्थायी स्वास्थ्य मंत्री, प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य उपमंत्री ही विदेश जायेंगे । क्या यह सूची अन्तिम है और मंत्री जी सभा को यह बतायेंगे कि क्या उनके अन्य कोई सहयोगी ग्रीष्म काल में विदेशों में यात्रा करने की कोई योजना बना रहे हैं ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य से प्रश्न प्राप्त होने के बाद जो पूछताछ की गयी थी उसके अनुसार यह अन्तिम सूची है ।

†**श्री कामत** : विदेश जाने पर मंत्रियों को भत्ते, यात्रा भत्ते आदि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम और विनियम क्या हैं ?

†**श्री दातार** : उसके लिये नियम हैं जिन्हें सभा सम्भवतः जानती है ।

†**श्री कामत** : मैं नहीं जानता । क्या वह सभा पटल पर एक विवरण रखेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पुस्तकालय में उन्हें रख दिये जाने के लिये मैं कहूंगा । ऐसे सभी नियम पुस्तकालय में रखे जाते हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या हमें आगामी अवकाश में विदेश जाने वाले मंत्रियों, उपमंत्रियों, संसदीय सचिवों और उनके सहायक व्यक्तियों की कुल संख्या मालूम हो सकेगी, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ है कि मंत्रियों के अतिरिक्त सरकार के कुछ सदस्य भी जा रहे हैं ?

†**श्री दातार :** सम्भव है कि कुछ पदाधिकारी मंत्रियों के साथ जायें ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालायें

†*२६५२. **श्री आर० पी० गर्ग :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का क्या प्रत्यक्ष भाग रहा;

(ख) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना और वैज्ञानिक गवेषणा के बीच गहरा समन्वय स्थापित करने के लिये कोई प्रभावोत्पादक अभिकरण विद्यमान है; और

(ग) यदि हां, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता के हेतु इन प्रयोगशालाओं के लिये क्या ठोस परियोजनायें तैयार की गयी हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ३४**]

†**श्री आर० पी० गर्ग :** देश के शीघ्र आर्थिक विकास के लिये व्यावहारिक विज्ञान के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को मूलभूत विज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक विज्ञानों की ओर अधिक ध्यान देने के लिये निदेश देना चाहेगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने पहले ही अपना कार्यक्रम पर्याप्त रूप से आयोजित कर लिया है जिसमें व्यावहारिक दिशा की ओर भी काफी काम शामिल है । यदि माननीय सदस्य विवरण दखें तो उन्हें मालूम होगा कि प्रयोगशालाओं ने कई महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं जो अग्रेतर परीक्षण के लिये राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम को सौंप दिये गये हैं ।

†**श्री आर० पी० गर्ग :** मूलभूत गवेषणा की तुलना में व्याघहारिक विज्ञान पर कितना प्रतिशत व्यय होगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** व्यय का ऐसा विभाजन स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रयोगशाला में सम्पूर्ण कार्य एकीकृत कार्य है ।

†**श्री कासलीवाल :** सबसे बड़ी एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के एक निदेशक प्रो० एम० एस० थैकर ने एक वक्तव्य दिया है कि सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अग्रिम परियोजनायें बनाने का विचार है जिस से कि वे पंचवर्षीय योजना को अग्रेतर कार्यान्वित करने में उपयोगी हों । क्या वह वक्तव्य सच है ?

†**श्री० के० डी० मालवीय :** यह ठीक है कि उन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अग्रिम परियोजनायें बनाने का विचार है, जहां यह आवश्यक होगा । उदाहरणार्थ, यदि प्रयोगशालाओं में उपयोगी प्रयोग पूरे हो जाते हैं और उन्हें आगे जारी रखना आवश्यक हो तो उन प्रयोग शालाओं में अग्रिम परियोजनायें प्रारम्भ की जायेंगी किन्तु प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला में ऐसी योजनायें प्रारम्भ नहीं की जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

तमिंगलांग में दुर्भिक्ष

†**अ० सू० प्र० संख्या २३. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अभी हाल ही में मनीपुर में तमिंगलांग में भूख के कारण कितने लोग मरे हैं;

(ख) क्या सरकार ने उस क्षेत्र में दुर्भिक्ष के कारण स्थिति का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो वहां पर क्या स्थिति है;

(घ) क्या वहां का क्षेत्र दुर्भिक्ष-क्षेत्र घोषित कर दिया गया है;

(ङ) सरकार ने उस क्षेत्र में सहायक कार्यों में कितना रुपया व्यय किया है; और

(च) अब तक सरकार ने वहां सहायता के लिये क्या उपाय तथा कार्य किये हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) तमिंगलांग सब डिवीजन से वहां के सब-डिवीजनल आफिसर अथवा ग्रामीणों द्वारा इस प्रकार की किसी भी मृत्यु का समाचार नहीं मिला है ।

(ख) सब डिवीजनल आफिसर तथा एक परामर्शदाता ने उस सब-डिवीजन की स्थिति का सर्वेक्षण किया है । इस क्षेत्र में किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं है।

(ग) रिपोर्ट से यह पता लगता है कि करीब ४० गांवों में कुछ कमी है । इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकारी फुटकर दुकानों द्वारा ५ रुपये प्रतिमन के सहायक मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में धान तथा चावल बेचा जा रहा है । यह मूल्य बाजार भाव से कम है । किन्तु फिर भी गल्ले की दुकानों से बहुत कम निकासी है।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) अभी तक निःशुल्क सहायता देने की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है किन्तु फिर भी ग्रामीणों की सहायता के लिये बड़ी कम कीमत पर धान बेचा जा रहा है और सब डिवीजन में गल्ले की तीन फुटकर दुकानें खोल दी गई हैं । इनमें से एक तमिंगलांग में है और शेष दो तामा और खूपम में हैं जो क्रमशः इस सब डिवीजन के उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में हैं, अभी हाल ही में भारतीय वायु सेना की सहायता से तेमिंगलांग में ५०० मन और धान डाला गया है ।

(च) वर्तमान अथवा प्रस्तावित निर्माण कार्यों में ही कार्य की बहुत ज्यादा गुंजाइश है । फिर उन्हें भारवहन से भी पर्याप्त कार्य मिल सकता है । पिछले वर्ष इम्फाल तमिंगलांग सड़क पर ११,३१,००० रुपये व्यय होने का तखमीना लगाया गया था और इस वर्ष २० लाख से भी अधिक रुपये व्यय किये जाने हैं । इसी प्रकार बिलासपुर-कचार सड़क पर पिछले वर्ष ५०,००० रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया था और इस बार वहां पर ३ लाख रुपये के खर्चे का उपबन्ध किया गया है । ५०,००० रुपये ग्रामों में मार्गों तथा सिंचाई के कार्य के लिये दिये गये हैं । स्थानीय अधिकारियों को वहां की स्थिति की पूर्ण खबर है । और यदि वहां पर सहायक कार्यों आदि की आवश्यकता होगी तो वे लोग आवश्यक कार्यवाही करने में पीछे नहीं रहेंगे ।

†**श्री रिशांग किशिंग :** मुझे उस क्षेत्र के लोगों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि वहां पर कई लोगों की भूख के कारण मृत्युएं हुई हैं, किन्तु राज्य सरकार की रिपोर्ट लोगों की सूचना से उलटी है। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : सरकार ने पूरी जांच की है किन्तु यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष सूचना है तो वह मनीपुर की सरकार को भेज दी जायेगी ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या मैं उन अधिकारियों के नाम जान सकता हूं जिन को जांच का काम दिया गया है·····

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य यह बता सकते हैं कि अमुक-अमुक स्थान पर अमुक-अमुक व्यक्ति की भूख से मृत्यु हुई है ? यह तो एक सामान्य शिकायत मात्र है कि इतने आदमी मर गये हैं । और अब दूसरे पक्ष ने जांच भी कर ली है । अतः मैं अब और कितने प्रश्नों की अनुमति दे सकता हूं ?

†**श्री रिशांग किशिंग** : जैसा कि आप ने पिछली बार सुझाव दिया था, मैंने सब कागजात तथा आवश्यक सूचना माननीय मंत्री महोदय को भेज दी थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो तब आप यह पूछ सकते हैं कि क्या अमुक-अमुक स्थान पर अमुक-अमुक व्यक्तियों की भूख से मृत्यु हुई हैं ?

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या यह सत्य है कि कब बांगलांग के काओ और चार अन्य ग्रामों में भूख के कारण १९ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका उत्तर है नहीं ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : मैंने कुछ दिन पहले माननीय मंत्री को आवश्यक कागजात दिये थे । क्या उन्होंने उनकी जांच की है ?

†**श्री दातार** : यह खबर बिल्कुल गलत है कि वहां पर भूख के कारण कोई मृत्यु हुई है ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या सरकार उस अधिकारी की रिपोर्ट सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगी जो वहां पर जांच करने गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : माननीय मंत्री महोदय ने कुछ समय पहले एक बयान में बताया था कि निर्माण कार्य में लगे हुए लगभग ५० प्रतिशत लोगों को उनका वेतन दिया नहीं जा सका है । इसके क्या कारण हैं ? खास कर जबकि वहां पर पहले ही दुर्भिक्ष की स्थिति में यह सहायक कार्य किया जा रहा है तब सड़क बनाने के कार्य पर लगे हुए इन व्यक्तियों के वेतन भुगतान में इतनी देरी क्यों की गई है ?

†**श्री दातार** : जहां तक वास्तविक भुगतान का सम्बन्ध था यह सर्वेक्षण तथा जांच के बाद दिया जाता था । और यही कार्य किया जा रहा है ।

†**श्री एस० सी० देब** : क्या सरकार ने ऐसे अनुदेश जारी कर दिये हैं कि अगर स्थिति और खराब हो जाये तो लोगों को निःशुल्क सहायता दी जानी चाहिये ।

†**श्री दातार** : यह सब नियमों के अनुसार होता है । जब कभी इस प्रकार का दुर्भिक्ष पड़ता है कि फसल बिल्कुल ही खराब हो जाये तो लोगों को अविलम्ब सहायता देनी प्रारम्भ कर दी जाती है ।

†**श्री राघवैया** : सड़क कार्य पर लगे हुए मजदूरों को कितना वेतन दिया जा रहा था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रति व्यक्ति ?

†**श्री राघवैया** : जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मैं यह नहीं बता सकता हूं ।

†**श्री नम्बियार** : क्या इस अवधि में कुपोषण के कारण कोई मृत्यु हुई है ?

†**श्री दातार** : मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है।

†**श्री सारंगधर दास** : यह देखते हुए कि लोगों को दुर्भिक्ष की अवस्था में काम देने के लिये ही वहां पर यह सहायता कार्य किया जा रहा था, अतः जब तक जांच नहीं हो गई क्या तब तक के लिये उन्हें कोई अग्रिम वेतन दिया गया था ?

†**श्री दातार** : यह सम्भव है कि उन्हें देरी हो जाने की आशा से कुछ वेतन अग्रिम दे दिया गया हो ।

†**श्री राघवैया** : मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां की गल्ला की दुकानों से बहुत कम निकासी हुई है क्या इसका यह कारण हो सकता है कि वहां के लोगों को वेतन नहीं दिया गया था, अथवा उन्हें बहुत कम वेतन दिया जा रहा है ?

†**श्री दातार** : मैं यह आरोप स्वीकार नहीं करता

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अनुसन्धान योजनायें

†*२६२१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थाओं ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा दिये गये सहायक अनुदानों के आधार पर अनुसन्धान की कौन-कौन सी योजनायें बनाई हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)**: विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थाओं ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा दिये गये सहायक अनुदानों से जो योजनायें बनाई हैं उनको दर्शाने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ३५**]

भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

*२६२२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री निम्न आशय का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतत्वीय विभाग में १९५४–५५ की तुलना में १९५५–५६ में कितने अतिरिक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई तथा उनके वेतन की दर क्या है; और

(ख) कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में क्या अतिरिक्त कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). आवश्यक जानकारियों से युक्त एक विवरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ३६**]

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह मंत्रालय

†*२६२३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक वित्त मंत्रालय के अनुदेशों पर गृह-मंत्रालय में कितने अस्थायी स्थानों को स्थायी स्थानों में परिवर्तित किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : वित्त मंत्रालय के अनुदेशों से गृह मंत्रालय में किसी भी अस्थाई स्थान को स्थाई स्थान में नहीं परिवर्तित किया गया है प्रत्युत इस सम्बन्ध में उस मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे गये हैं।

त्रावनकोर-कोचीन में प्रविधक शिक्षा

†*२६३५. **श्री पुन्नूस** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रावनकोर-कोचीन की सरकार ने राज्य में प्रविधिक शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि रिपोर्ट नहीं मिली है तो उसके कब तक मिलने की आशा है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)**: (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

पर्यटन

†*२६४१-क. **डा० जे० एन पारिख** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस देश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये युवक होस्टल्स अथवा कुछ ऐसी ही संस्थायें बनवाने की कोई योजना है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : जी, हां ।

सारनाथ में निर्माण कार्य

*२६४९. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुद्ध जयन्ती के सम्बन्ध में जो धनराशि नियत की गई थी, उस राशि से सारनाथ (बनारस) में किस प्रकार के निर्माण कार्य किये गये हैं;

(ख) इस समय यह निर्माण कार्य कौन सा विभाग करा रहा है; और

(ग) क्या यह सच है कि सारनाथ में जो जलाशय बनाया गया था, उसमें छेद हो गया है, नहरों का प्लास्टर टूट गया है, पुल बेकार हो गया है और ईंटे भी उखड़ती जा रही हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ग) इस विषय में भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

राज्यों को ऋण

*२६५३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वित्त** मंत्री निम्न आशय का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५६–५७ में दिये जाने वाले ऋणों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा अब तक कुल कितनी रकम ऋणों के रूप में दी गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस में से कुल कितनी रकम व्याज मुक्त है और कितनी रकम किश्तों में दी जायेगी;

(ग) क्या इस ऋण के किसी भाग का अब तक भुगतान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वह रकम कितनी है और वह किन-किन वर्षों में दी गई ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)**: (क), (ग) और (घ). बहुत अधिक परिश्रम और समय खर्च किये बिना यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि राज्यों को केन्द्र द्वारा समय समय पर कुल कितनी रकम ऋणों के रूप में दी गई है। १९५६–५७ के अन्त में उन्हें अनुमानतः कुल १०५० करोड़ रुपये की रकम अदा करनी थी।

(ख) इनमें से अधिकांश ऋण किस्तों में चुकाये जाने को हैं। १९५५–५६ के अन्त में जो ब्याज-मुक्त ऋण चुकाये जाने को शेष थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

आदिम जाति तथा अनुसूचित क्षेत्रों में बहु प्रयोजनीय परियोजनायें

†*२६५४. **श्री संगण्णा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मई, १९५६ के पहले सप्ताह में नैनीताल में होने वाले अखिल भारतीय विकास आयुक्तों के सम्मेलन से आदिम जाति तथा अनुसूचित क्षेत्रों में बहु प्रयोजनीय परियोजनायें बनाने के लिये कोई सिफारिशें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : अभी तक हमें सामुदायिक परियोजना प्रशासन से विकास आयुक्तों के सम्मेलन की कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु सम्मेलन ने सामुदायिक परियोजना प्रशासन के साथ मिलकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आदिम जाति क्षेत्रों में बहु प्रयोजनीय अग्रिम परियोजनायें चालू करने के लिये एक रूप-रेखा बनायी थी।

(ख) विकास आयुक्तों के सम्मेलन ने इन परियोजनाओं का जो स्वरूप बनाया है उस पर विचार किया जा रहा है।

वाकू (सोवियत रूस) में हिन्दू मन्दिर

*२६५५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वाकू क्षेत्र में हिन्दू मन्दिरों के मिलने की दृष्टि में सरकार एक पुरातत्व शिष्टमंडल रूस को भेजना चाहती है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : जी, नहीं।

स्थानीय निकायों के निक्षेप

†*२६५६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री देवगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्यों को ऐसे पुनरीक्षित अनुदेश भेजे गये हैं कि वे ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों और अर्ध-सरकारी संस्थाओं की निधियों के निक्षेप के लिये राज्य सहकारी बैंकों अथवा अन्य सहकारी बकों का उपयोग करें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय निकायों और अर्ध सरकारी संस्थाओं की निधियों को राज्यांशधारी सहकारी बैंकों में विनियोजन करने में समर्थ बनाने के निमित्त वर्तमान प्रक्रिया को उदार करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

भरतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

†*२६५७. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का सहयोग किस प्रकार प्राप्त कर रही है; और

(ख) सरकार आयोजित गोष्ठियों तथा सम्मेलनों से उक्त संघ किस प्रकार सम्बन्धित है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) समान शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशेष परियोजना के लिये, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का सहयोग नहीं लिया गया है । शिक्षा मंत्रालय १६४६-५० से समाज सेवा के क्षेत्र में, इस संघ के कार्यों के विकास के लिये अनुदान दे रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बीमा पालिसियां

†*२६५८. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उन मामलों की ओर दिलाया गया है जिनमें कि पाकिस्तान से आने वाले आप्रवासियों द्वारा वहाँ किये गये वे बीमे, जिनका हस्तांतरण किया जाना था, इस देश में जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण होने के कारण रोक लिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो आप्रवासियों के हितों की सुरक्षा करने की क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) सरकार को कोई ऐसी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनीपुर के लिये अनुदान

†*२६५८-(क). **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १६५५-५६ में मनीपुर के आदिम जाति के लोगों के कल्याण के लिये मंजूर किये गये १४ लाख के अनुदान में से लगभग ११ लाख रुपये व्यपगत हो गये;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त राशि किन कारणों से व्यपगत हुई; और

(ग) सरकार मनीपुर के पिछड़े आदिम जातियों के लोगों की सहायता तथा सुधार के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी , नहीं । मनीपुर की सरकार को आदिम जाति के लोगों के कल्याण के लिये दिये गये १४·६२ लाख रुपयों में से, सरकार ने ७ लाख की लागत के कामों को पूरा किया ।

(ख) टेक्नीकल व्यक्तियों के उपलब्ध न होने तथा लोहे और सीमेंट के उपलब्ध होने में कठिनाई के कारण पूरी राशि का उपयोग न किया जा सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान में शिक्षा, कृषि, संचार, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, गृह-निर्माण, गृह उद्योग और सिंचाई की योजनाओं को बहुत बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया है। आदिम जाति के विद्यार्थियों को, असैनिक, वैद्युतिक और यांत्रिक इंजीनियरी में शिक्षा देने के लिये इम्फाल में एक टेक्नीकल प्रशिक्षण संस्था खोली जायेगी जिसमें के आदिमजाति के क्षेत्रों में टेक्नीकल कर्मचारियों की कमी न रहे।

अन्दमान और निकोबर द्वीप

†*२६५८-(ख). **श्री आर० पी० गर्ग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबर द्वीपों के बीच इस समय परिवहन का कौन सा साधन उपलब्ध है;

(ख) क्या पूर्वी बंगाल से विस्थापित व्यक्तियों के आने के पश्चात् कोई नई सेवा भी चालू की गई है;

(ग) क्या हाल में इन द्वीपों के विकास के लिये कोई कुशल और नियमित अन्तर-द्वीप सेवा की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (घ). अन्दमान और निकोबर द्वीपों के बीच परिवहन का कोई नियमित साधन नहीं रहा है, केवल 'एस० एस० महाराजा' मद्रास की यात्रा करते समय दो महिने में एक बार उधर से जाता था। हाल में सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी से एक पुराना जहाज खरीद लिया गया है। वह पोर्ट ब्लैयर पहुंच चुका है। निकट भविष्य में ही वह नियमित अन्तर-द्वीप सेवा में लगा दिया जायेगा।

जनगणना सम्बन्धी व्यय

*२६५९. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू साल के लिये इस मंत्रालय के आयव्ययक में जनगणना के सम्बन्ध में 'अन्य भार' शीर्षक के अन्तर्गत १५ लाख रुपये का जो उपबन्ध किया गया है, उसको किन-किन मदों पर खर्च करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : इम्प्रूवमेंट आफ पापूलेशन डैटा (जन संख्या सम्बन्धी आंकड़ों के सुधार) के लिये बनाई गई योजना को कार्यान्वित करने के लिये जो अनुमानित ३० लाख रुपये खर्च होंगे, उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले अपने हिस्से के लिये, मांग संख्या ५५-सैन्सस (जनगणना) के अन्तर्गत १५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

वनस्पति को रंगना

†*२६६०. **श्री कामत :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २२ फरवरी, १९५६ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वनस्पति को रंगने के लिये उपयुक्त रंग की खोज करने के सम्बन्ध में आगे और कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** कोई नहीं, यद्यपि जाँच जारी है।

चोरी छिपे लाये गये हीरे

†*२६६१. **श्री गिडवानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कस्टम्स पदाधिकारियों ने अभी हाल में जौहरी मंडल, मध्य कलकत्ता में हीरों का व्यापार करने वाले एक संघ के कार्यालय में अचानक छापा मारा था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें खुले हुए हीरे और जवाहरात प्राप्त हुए थे जो कि चोरी छिपे वहाँ लाये गये थे;

(ग) यदि हाँ, तो इन हीरों तथा जवाहरातों की क्या कीमत थी; और

(घ) क्या जो व्यक्ति इन हीरों को चीरी छिपे लाये थे अथवा जिन व्यक्तियों के पास ये हीरे प्राप्त हुए उन पर कोई कार्यवाही की गई ?

†**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) उन खुले हुए हीरों और जवाहरातों का मूल्य ५ लाख रुपये के लगभग बताया जाता है। मूल्याँकन अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(घ) यह मामला विचाराधीन है ।

पिछड़े वर्गों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण कार्य

†*२६६२. **श्री संगण्णा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष १६५६-५७ में पिछड़े वर्ग समुदाओं और अनुसूचित आदिम जातियों के बालकों के लिये, कोई गवेषणा अथवा कल्याण कार्य करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार किस सीमा तक सहायता करेंगी; और

(ग) क्या किसी संगठन से ऐसी योजना बनाने को कहा गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) हमने राज्य सरकारों से १६५६-५७ के लिये प्रस्ताव मंगाये हैं। यदि राज्य सरकारों से ऐसी योजनाएं प्राप्त होंगी तो उन पर समुचित विचार किया जायेगा ।

(ख) यह योजना के प्रकार पर निर्भर है ।

(ग) जी, नहीं । यदि कोई अखिल भारतीय प्रकार की गैर-सरकारी संस्था ऐसी कोई योजना प्रस्तुत करेगी तो उस पर विचार किया जायेगा ।

पुनर्गठन एकक

*२६६३. **श्री मादिया गौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्गठन एकक ने अब तक जितने विभागों की जांच कर ली है, उसने प्रत्येक में विभिन्न पदालियों के कितने पदाधिकारियों को कम करने की सिफारिश की है; और

(ख) ऐसी कमी करने से कितनी बचत होगी ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) विशेष पुनर्गठन एकक ने अब तक जिन मंत्रालयों व कार्यालयों की जांच की है, उनमें उसने जितने पदों को कम करने की सिफारिश की है, उसका एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ख) इस कमी से और कुछ अन्य विभिन्न व्यय कम करने से प्रति वर्ष १३५·७४ लाख रुपये की बचत होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जीपों की खरीद

†*२६६३-क. **श्री कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २० मार्च, १६५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीपों की खरीद के ठेके के सम्बन्ध में ब्रिटिश सार्थ पर मुकदमा दायर कर दिया गया है; और

(ख) अब मामला किस अवस्था में है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू) :** (क) और (ख). जी, हां। लेख्य ले लिये गये हैं और चार में से तीन प्रतिवादियों पर तामील करा दी गई है चौथे प्रतिवादी पर तामील कराने की कार्यवाही की जा रही है।

सेना शिक्षा निकाय

†*२५०८. **श्री बंसल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना शिक्षा निकाय में पदाधिकारियों के पदों के लिय हाल में प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सेना शिक्षा निकाय के एन० सी० ओ० और जे० सी० ओ० भी इन पदों के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी, हां। सेना शिक्षा निकाय के अलावा सशस्त्र बल निकाय में काम करने वाले स्थायी नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों से, जो सेना शिक्षा निकाय में काम करना चाहते हैं, प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं।

(ख) जी, नहीं। क्यों कि सेना शिक्षा निकाय में पदाधिकारियों के पदों पर नियुक्तियां अन्य सशस्त्र बल सेवाओं से पदाधिकारियों का स्थानान्तरण कर के की जाती है।

उत्तर प्रदेश में सामाजिक कल्याण

†२४३४. **श्री कृष्ण चन्द्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५६-५७ के लिये उत्तर प्रदेश में सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा स्त्रियों के कल्याण के लिये निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत क्या विस्तृत योजना बनाई गई है :—

(१) ग्राम्य-सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिये कितनी प्रशिक्षण संस्थायें चलाई जायेंगी;

(२) इन प्रशिक्षण संस्थाओं में कितने अध्यापक होंगे तथा उनके वेतन क्रम क्या होंगे;

(३) ग्रामों में कितनी कल्याण विस्तार परियोजनायें चलाई जायेंगी और उनमें से प्रत्येक को कितनी रकम दी जायेगी;

(४) इन केन्द्रों में ग्राम-सेविकाओं का वेतन क्रम क्या होगा तथा उनको भत्ते के रूप में कितना मिलेगा; और

(५) जिला संचालकों को कितना मानदेय और भत्ता दिया जायेगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (१) बनारस के प्रशिक्षण केन्द्र के अतिरिक्त, कस्तूरबा गांधी स्मारक न्यास द्वारा एक और प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा।

(२) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।]

†मूल अंग्रेजी में

(३) प्रत्येक जिले में एक परियोजना होगी । प्रत्येक परियोजना पर प्रति वर्ष २९,००० रुपये (आवर्तक) और २०,००० रुपये (अनावर्तक) व्यय का अनुमान है ।

(४) अप्रशिक्षित ६० रु० से ९० रु० (भत्तों सहित)
प्रशिक्षित ९० रु० से १२० रु० (भत्तों सहित)

(५) शून्य ।

ज़वार की खानें

†२४३५. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज़वार की खानों में जस्त के साथ सीसा और चांदी दोनों धातुयें मिलती हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक धातु कितने प्रतिशत होती है और इन का वार्षिक उत्पादन कितना होता है; और

(ग) सीसा, जस्त और चांदी की बिक्री से अभी तक क्रमश: कितना धन प्राप्त हुआ है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ३९]**

केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफ़र सेवा

†२४३६. **श्री कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफ़र सेवा के प्रारम्भिक विधान के खण्ड २-(ग) के अधीन कुल कितने स्टेनोग्राफ़रों को रियायत दी गई है;

(ख) कुल कितने विस्थापित व्यक्तियों को यह रियायत दी गई है;

(ग) क्या कुछ मामले अवरुद्ध समझे गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) गृह-कार्य मंत्रालय के ३१ दिसम्बर, १९४७ के कार्यालय ज्ञापन संख्या २७-६-४५-एस्ट्स (एस) की कंडिका ३-(ग) के आधीन ४० को विमुक्ति दी गई थी ।

(ख) एक ।

(ग) और (घ). मंत्रालयों से १५ मार्च, १९५१ तक विमुक्ति के लिये अपनी सिफारिशें भेजने के लिये कहा गया था । चूंकि विमुक्ति अनावर्तक थी इसलिये यह अनिश्चित काल के लिये नहीं दी जा सकती थी ।

सर्वस्व दान ग्राम

†२४३७. **श्री संगण्णा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में भूदान आन्दोलन के अन्तर्गत, सर्वस्व दान ग्रामों के विकास के लिये कोई अनुदान दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक;

(ग) इन अनुदानों को किस अभिकरण के द्वारा खर्च किया जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या व्यय की लेखा परीक्षा की जाती है; और

(ङ) क्या ये अनुदान आवर्तक हैं या अनावर्तक ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) २ लाख रुपये ।

(ग) अखिल भारत सर्वसेवा संघ ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) अनुदान अनावर्तक हैं ।

पनडुब्बियों का छोटा बेड़ा

†२४३८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पनडुब्बियों के एक छोटे बेड़े के संचालन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में कितना समय लगेगा; और

(ख) उस पर लगभग कितना खर्चा होगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). एक पनडुब्बी का कमान करने के लिये एक पदाधिकारी को प्रशिक्षित करने के लिये लगभग चार वर्ष लगते हैं और नाविकों को प्रशिक्षित करने में लगभग दो साल लगते हैं । एक साधारण पनडुब्बी का संचालन करने के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का व्यय अनुमानतः या लगभग २·८ लाख रुपये हैं ।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

†२४३९. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६ जनवरी, १९५० से उच्च न्यायालयों से, भारतीय असैनिक सेवा से तथा वकीलों में से उच्चतम (प्रत्येक श्रेणी के आंकडे पृथक-पृथक दिये जायें) न्यायालय के कितने न्यायाधीश भर्ती किये गये; और

(ख) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वरिष्टता किस आधार पर निश्चित की जाती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) २६ जनवरी, १९५० के बाद उच्चतम न्यायालय में नौ न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे जिनमें से छः (इनमें से एक भारतीय असैनिक सेवा का सदस्य भी था) विभिन्न उच्च न्यायालयों से थे, और तीन उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्ययाधीश थे । वकीलों में से अथवा भारतीय असैनिक सेवा से कोई न्यायाधीश प्रत्यक्षतः नियुक्त नहीं किया गया ।

(ख) जिस तारीख को एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना कार्य संभालता है, उसे ध्यान में रखकर उसकी वरिष्टता निश्चित की जाती है ।

कैन्टीन सेवा नियंत्रण बोर्ड

†२४४०. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ मई, १९५६ को श्रीनगर में जलपान-गृह सेवा नियंत्रण बोर्ड की एक बैठक हुई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या प्रतिरक्षा उपमंत्री द्वारा कैन्टीन सेवा विभाग के कर्मचारियों को दी गई रियायतों के बारे में कुछ घोषणायें की गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो वे रियायतें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर में नियुक्त किये जाने पर भारतीय कर्मचारियों को निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं :—

(१) निःशुल्क कपड़े देने के बदले में ३०० रुपये का वर्दी भत्ता;

(२) निःशुल्क राशन के बदले में ४० रुपये का नकद भत्ता, और

(३) जाड़ों में ईंधन के बदले में नकद भत्ता दिया जाता है और इसकी दर का निश्चय कैन्टीन स्टोर विभाग (भारत) के महाप्रबन्धक स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों की सलाह से करते हैं।

ये रियायतें १ अक्तूबर, १९५५ से लागू होती हैं।

आसाम में तेल

†२४४१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार और आसाम आयल कम्पनी के बीच आसाम के एक नये क्षेत्र में तेल निकालने सम्बन्धी बातचीत फलीभूत नहीं हुई; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) नहीं श्रीमान्। बातचीत जारी है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना

†२४४२. **श्री संगण्णा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के प्रत्येक सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र में कितने स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ग) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : (क) से (ग). १९५५-५६ में उड़ीसा में, लोक सहायक सेना कैम्प आयोजित किये गये थे। इनमें से तीन सामुदायिक परियोजना विकास खण्डों, अर्थात नामगढ, सुन्दरगढ़ और बारागढ आयोजित किये गये थे। इन कैम्पों में क्रमशः ४६९, ४९० और ४९७ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण देने वाले कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों और विविध व्यय के अतिरिक्त लगभग क्रमशः २३,८३० रुपये, २९,३०० रुपये और ३०,०३५ रुपये खर्च हुए थे।

बेसिक (बुनियादी) स्कूलों के अध्यापक

२४४३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री ८ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २०२१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मापदण्डों के बढ़ाने के बारे में सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता देने की जो योजना बनाई है, उसकी रूप-रेखा क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन-किन राज्यों ने इस योजना से लाभ उठाना स्वीकार किया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) : (क) प्राइमरी तथा बेसिक स्कूल अध्यापकों के वेतन-मापदण्डों को निश्चित करने के लिये राज्य सरकारों से कहा गया है। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों की स्थानीय स्थिति के अनुसार उन पर उचित विचार करेंगी। उन से यह भी प्रार्थना की गई है कि वे १९५६-५७ तथा उसके पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आगामी वर्षों में ऊपर के निश्चय किये हुए मापदण्डों के आधार पर होने वाले अतिरिक्त खर्चे का अनुमान भी लगायें।

सरकार, प्राइमरी अध्यापकों के वेतन मापदण्डों को बढ़ाने में जो अतिरिक्त खर्च होगा उसकी अन्तिम स्वीकृति पर, राज्य सरकारों को ५० प्रतिशत तक सहायता करने का विचार रखती है। यह सहायता, राज्यों को उचित संसाधनों के बटवारे के प्रश्न के हल होने तक देते रहने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) निम्नलिखित राज्यों ने इस योजना से लाभ उठाना स्वीकार किया है :—

आसाम	मध्य प्रदेश
बिहार	उत्तर-पूर्वी सीमान्त ऐजेन्सी
बम्बई	उड़ीसा
हैदराबाद	राजस्थान
मद्रास	त्रावनकोर-कोचीन
मध्य भारत	और विन्ध्य प्रदेश

सामाजिक कार्य के स्कूल

२४४४. **श्री देवगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्याय ३६ की कण्डिका २० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ से अब तक देश में कौन-कौन से सामाजिक कार्य के स्कूल स्थापित किये गये हैं;

(ख) इस कालावधि में ग्रामीण कल्याण के लिये कितने सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से कितने प्रशिक्षणार्थी लिये गये; और

(घ) ऐसे कितने प्रशिक्षणार्थी हैं जिन्हों ने "आदिम जाति कल्याण" का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) : (क) स (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निषिद्ध अफ़ीम

२४४५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ५ मई, १९५६ को लखनपुर चौकी पर लगभग ४,००० रुपये की निषिद्ध अफीम पकड़ी गई थी ?

राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) : हां, श्रीमान्। ५ मई, १९५६ को लखनपुर में प्रशुल्क कर्मचारियों ने ५०० तोला अफीम, जिस का मूल्य २,००० रुपये था, पकड़ी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

जलती हुई वस्तु

२४४६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेंद के आकार की और पीले रंग की एक जलती हुई वस्तु ४ मई, १६५६ की रात को १०-३० म० प० पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हुई दिखाई पड़ी थी;

(ख) क्या वह दिल्ली के ऊपर ठहरी और फिर उत्तर की ओर लुप्त हो गई; फिर दुबारा पश्चिम से आई और फिर पश्चिम में ही लुप्त हो गई; और

(ग) यदि हां, तो उस वस्तु का ब्योरा क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क), (ख) और (ग). समाचार पत्र के समाचारों के अतिरिक्त सरकार के पास इस विषय पर अन्य कोई जानकारी नहीं है ।

स्याही विकास परियोजना

†२४४७. **श्री आर० पी० गर्ग** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५५-५६ में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली की स्याही विकास परियोजना का कार्य कैसे हुआ है;

(ख) १६५५ में कितनी लागत की स्याहियां बनाई गई थीं; और

(ग) अन्य देशों से आयात की गई स्याहियों की तुलना में इस परियोजना की स्याही कैसी है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) १६५५-५६ में स्याही विकास परियोजना के काम में पर्याप्त प्रगति हुई है । इस वर्ष तेलों से स्याही बनाने का और स्याहियों की किस्म में सुधार करने का काम किया गया है और उत्पादन-व्यय को कम करने का प्रयत्न किया गया है ।

(ख) और (ग). मुझे खेद है कि मैं स्याहियों की लागत नहीं बता सकता, क्योंकि यह गोपनीय मामला है किन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इस परियोजना में बनाई जाने वाली स्याहियाँ विदेशी स्याहियों का मुकाबला करती हैं और उन मे सस्ती हैं ।

भारतीय भूपरिमाप कर्मचारी

†२४४८. **श्री साधन गुप्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूपरिमाप के मानचित्र प्रकाशन निदेशक के अधीन, हाथी वाराकला वर्कस कार्यालय और हाथी वाराकला लीथो कार्यालय के तृतीत या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन में कटौती का दण्ड दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकारी आदेशों की अवहेलना करने और पूर्वज्ञा बिना अनुपस्थित रहने के कारण ।

बनारस

२४४६. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के इस सुझाव पर कि 'बनारस' का नाम 'वाराणसी' रख दिया जाये, अपनी स्वीकृति प्रदान की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल-केरल विश्वविद्यालय

†२४५०. **श्री पुशूस :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र की अथवा राज्य की कोई ऐसी योजनायें हैं जिनके अधीन त्रावनकोर विश्वविद्यालय को अखिल-केरल विश्वविद्यालय बनाने के लिये मंत्रणा और सहायता दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विश्वविद्यालय स्थापित होने के बाद इस में गवेषणा और छात्रवृत्तियों सम्बन्धी क्या-क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रावनकोर-कोचीन में विद्यार्थी

२४५१. **श्री पुशूस :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य में त्रावनकोर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में इस समय कुल कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं; और

(ख) इन में से कितने (१) सामान्य शिक्षा, (२) व्यावसायिक शिक्षा और (३) टेकनिकल शिक्षा प्राप्त करते हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) ३१ मार्च, १९५५ को इन की संख्या लगभग २८,२९६ थी ।

(ख)

(१) सामान्य शिक्षा	२४,४५४
(२) व्यावसायिक शिक्षा	२,९९६
(३) टेकनिकल शिक्षा	८४६

त्रावनकोर विश्वविद्यालय के परीक्षा पत्रों का समय से पूर्व मालूम हो जाना

†२४५२. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि इस वर्ष त्रावनकोर विश्वविद्यालय के इन्टर की परीक्षा के पर्चे समय से पूर्व मालूम हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये और यह पता लगाने के लिए कि ये कहां से मालूम हो जाते हैं; क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) और (ख). त्रावनकोर-कोचीन सरकार से पूछताछ की जा रही है ।

स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास

†२४५३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्पारन जिले के निवासियों के प्लांटर विरोधी आन्दोलन के समय से लेकर गांधी जी द्वारा चम्पारन सत्याग्रह करने तक की अवधि से सम्बन्धित सामग्री सरकार ने स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास लिखने के लिये एकत्रित कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, क्या सरकार का इसे एकत्रित करने का विचार है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). चम्पारन आन्दोलन सम्बन्धी पर्याप्त सामग्री प्राप्त कर ली गई है । इरादा यह है कि जितनी सामग्री मिल सके प्राप्त कर ली जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि

२४५४. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री निम्नलिखित आशय का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व सैनिक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि में से उत्तर प्रदेश को आरम्भ में कुल कितनी धनराशि दी गई थी;

(ख) उसमें से कितनी धनराशि ३१ मार्च, १९५६ तक व्यय हो चुकी थी और उस तारीख को अन्तिम शेष कितना था;

(ग) १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में जो धन व्यय हुआ, उसका विभिन्न मदों पर किस प्रकार वितरण किया गया; और

(घ) १९५६-५७ के लिये प्रस्तावित व्यय की रूपरेखा क्या है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) उत्तर प्रदेश को आरम्भ में १,४३,३८,६२० रुपये दिये गये थे, जिसमें वह धन भी शामिल है जो बनारस, टेहरी-गढ़वाल तथा रामपुर की भूतपूर्व रियासतों को और गोरखा निधि में दिया गया था ।

(ख) इस रकम में से ३१ मार्च, १९५६ तक ८९,९९,२३९ रुपये १ आना १ पाई खर्च हो चुका है और दिनांक १-४-५६ को अन्तिम शेष ८४,३८,२०३ रुपये ११ आने ११ पाई था, जिसमें ३०,९८,८२२ रुपये १३ आने की वह धनराशि भी शामिल है जो ३१ मार्च, १९५६ तक व्याज के रूप में प्राप्त हुई थी ।

(ग) तथा (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है । जितना शीघ्र सम्भव हो सकेगा वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उच्च-न्यायालय

†**२४५५. श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्गठित राज्यों के विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इनकी संख्या क्या होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक प्रबन्ध सेवा

†**२४५६. श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों को चलाने के लिये एक औद्योगिक प्रबन्ध सेवा बनाई जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय इस सेवा के लिये भर्ती का प्रभारी नहीं होगा और कर्मचारी संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा नहीं चुने जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो भर्ती किस प्रकार की जायेगी और जो लोग उस सेवा के लिये चुने जायेंगे उनकी योग्यता और सेवा की शर्तें क्या होंगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) एक औद्योगिक प्रबन्ध पुंज बनाने का विचार है । इसके पदाधिकारी सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में कुछ उच्च गैर-टेक्नीकल पदों पर काम करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गृह मंत्रालय पुंज का प्रभारी होगा । इसमें भर्ती एक विशेष भर्ती बोर्ड द्वारा की जायेगी जिसके साथ संघ लोक सेवा आयोग सम्बद्ध किया जायेगा ।

(ग) भर्ती के लिये योग्यताओं और सेवा की शर्तों के बारे में ब्योरा अभी विचाराधीन है ।

अनुसूचित जातियों आदि के लिये छात्रवृत्तियां

†२४५७. **श्री रामानन्द दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार को कितनी छात्रवृत्तियों की मंजूरी दी गई थी; और

(ख) नवम्बर और दिसम्बर, १९५५ और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, १९५६ में कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी गयी थी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ४०]**

कृषकों को बसाना

†२४५८. **श्री रामानन्द दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह में कृषकों को बसाने के लिये उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) द्वीप समूह में कृषकों के बसाने के लिये वास्तव में कितने क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया है;

(ग) आगामी पांच वर्षों में कितने क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने का विचार है;

(घ) ३१ अप्रैल, १९५६ तक वास्तव में कितने कृषक परिवारों को वहाँ बसाया गया है;

(ङ) अप्रैल, १९५६ तक पूर्वी पाकिस्तान से आये कितने शरणार्थी परिवारों को वहाँ बसाया गया है;

(च) कृषकों के पास कितनी कृषि-योग्य ऐसी भूमि पड़ी है जिस पर लोगों को बसाया नहीं गया; और

(छ) इस द्वीप समूह में कृषक परिवारों के बसाने के लिये क्या सुविधायें दी गयी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) लगभग २०,००० एकड़ ।

(ख) ५,४५० एकड़ ।

(ग) १२,००० एकड़ ।

(घ) १,०४१ ।

(ङ) १,२५८ परिवार जिनमें से ३३२ परिवार गैर-काश्तकार हैं ।

(च) शून्य ।

(छ) कृषक परिवारों को दी गयी सुविधाओं का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ४१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में पदाधिकारियों को पदच्युत किया जाना

†२४५९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २ जनवरी, १९५५ से ३० अप्रैल, १९५६ तक की अवधि में मनीपुर के मुख्यायुक्त ने सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को बताये बिना कितने सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत या मोअत्तल किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर के लिये दमकल की मशीनरी

†२४६०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५५ में मनीपुर सरकार ने भारत सरकार के संभरण महा-निदेशालय को सूचना दिये बिना एक दमकल की मशीनरी मंगाने के लिये आदेश दे दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त मशीनरी के लिये आयव्ययक में कोई व्यवस्था नहीं थी;

(ग) क्या यह सच है कि हाल में मनीपुर सरकार ने इस आदेश को रद करवा दिया है; और

(घ) यदि भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो भारत सरकार का सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आई० सी० एस० पदाधिकारी

†२४६१. **श्री रघुबीर सहाय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मंत्रालय में कितने आई० सी० एस० पदाधिकारी हैं; और

(ख) उनकी सेवा की अवधि क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). प्रत्येक मंत्रालय तथा सम्बद्ध कार्यालय में काम करने वाले आई० सी० एस० पदाधिकारियों की संख्या देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ४२**]

भारत का राज्य बैंक

†२४६२. { **श्री के० के० बसु** :
ठा० युगल किशोर सिंह :
श्री देवगम : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य बैंक के निगम के बाद अब तक उसने कुल कितना ऋण दिया है;

(ख) उसमें से कितना ऋण औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये दिया गया है; और

(ग) विदेशों को या उन कम्पनियों को जिन पर विदेशियों का अधिकार या नियन्त्रण है कितनी राशि दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) और (ख). मेरा अनुमान है कि १-७-१९५५ को भारत के राज्य बैंक के स्थापित होने के बाद से उसके द्वारा मंजूर किये गये अग्रिम धनों की वर्तमान सीमाओं में वृद्धि या/और नई सीमाओं के बारे में जानकारी की मांग की जा रही है। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो जानकारी इकट्ठी करने की प्रणाली बहुत कष्टदायक होगी क्योंकि इसके लिये राज्य बैंक के प्रत्येक कार्यालय में प्रत्येक लेखे की जांच करनी पड़ेगी। तथापि मैं नीचे भारत में दिये गये उन ऋणों का विवरण दे रहा हूँ जो ३१-३-५६ को भारत के राज्य बैंक के खातों में अवशिष्ट थे।

	रुपये (लाखों में)
उद्योग को दिये गये ऋण	७०·५४
वाणिज्य (कृषि उत्पाद के सम्बन्धी थोक व्यापार के अतिरिक्त) को दिये गये ऋण	३२·९२
कृषि (जिस में रूई, पटसन तिलहन, चाय, गेहूं, चावल जैसे कृषि उत्पाद का थोक व्यापार भी सम्मिलित है) को दिये गये ऋण	१४·४९
अन्य प्रयोजनों के लिये ऋण	१८·६३
३१-३-५६ को भारत में दिये गये कुल ऋण	१३६·५८
कुल ऋण जो (भारत और विदेशों में) ३१-३-५६ तक चुकाये नहीं गये थे	१४१·९४

(ग) जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

†**२४६३. श्री के० के० बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चन्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की संख्या क्या है;

(ख) २६ जनवरी, १९५० के बाद उच्च न्यायालयों के कितने न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए हैं; और

(ग) सेवा निवृत्ति होने के बाद उनमें से कितनों को केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी या अस्थायी नौकरियां मिली हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) मेरे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार उच्च-न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की कुल संख्या इस समय ५१ है।

(ख) चौंतीस।

(ग) यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मतदाता सूचियां

†**२४६४. श्री कामत** : क्या **विधि** मंत्री ८ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १८८५ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा पटल पर रख गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल में १९५१-५२ की अपेक्षा १९५५ में मतदाताओं की संख्या में कमी होने के क्या कारण हैं ?

†**विधि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

आपातकालीन कमीशन प्राप्त पदाधिकारी

†२४६५. **श्री कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०२४ के अनुसार प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवार्य सेवा-निवृत्ति परियोजना की वे शर्तें जो आपातकालीन कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों पर श्रेणीवार अलग-अलग लागू होंगी;

(ख) क्या इन पदाधिकारियों ने सेवा-निवृत्ति के पश्चात् सेवा-युक्त किये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(ख) जी, हाँ ।

(ग) पाँच ।

आयुध कारखाने

†२४६६. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध फैक्टरियों में काम करने वाले उन श्रमिकों की संख्या जो ६०-३-९० रुपये मासिक अथवा उससे अधिक वेतन क्रम में हैं;

(ख) आयुध फैक्टरियों में ४६-७५ रुपये मासिक वेतन क्रम वालों कीं संख्या;

(ग) इस सेवा में ५५ और ६० वर्ष के बीच की आयु के व्यक्तियों की संख्या; और

(घ) प्रत्येक फैक्टरी में १९५३ से १९५५ तक, वर्षवार, वार्धक्यता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : (क) ४,४८१ ।

(ख) से (घ). अपेक्षित जानकारी संग्रहीत की जा रही है और सूचना के एकत्रित किये जाने के पश्चात् एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

हुण्डियां भुनाना

†२४६७. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य बैंक की तंजपुर ब्रांच में हुण्डियों अथवा ड्राफ्ट भुनाने के सम्बन्ध में भारतीयों और यूरोपीयों के बीच भेदभाव पूर्ण व्यवहार किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या शिकायतों के पश्चात् भेदभाव अधिक तीव्र हो गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) से (ग). भारत के राज्य बैंक में हुंडियों और ड्राफ्टों को भुनाने से सम्बन्धित सुविधाओं में भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों के बीच भेदभाव किये जाने के कथित आरोप के सम्बन्ध में जो अभ्यावेदन माननीय सदस्य ने भेजा था उसकी पिछले मार्च में जांच की गई थी। यह आरोप प्रमाणित नहीं हो सके तथा उसमें जो विशेष उदाहरण दिये गये थे उनके सम्बन्ध में सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त हुए। यह सब बातें माननीय सदस्य को उनके पत्र के उत्तर में लिख कर भेज दी गई थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके पश्चात् कुछ दिनों पहले माननीय सदस्य का एक और अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य बैंक की तेजपुर ब्रांच के एजेण्ट पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने भारतीय व्यापारियों की साख होते हुए भी उनकी हुण्डियाँ भुनाने से इंकार कर दिया। इस मामले के सम्बन्ध में आवश्यक जांच की जा रही है। अग्रेतर कार्यवाही जाँच के परिणामों पर निर्भर होगी।

तिब्बत से सोने के सिक्कों का आयात

†२४६८. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत से भारत में सोने के सिक्कों आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस आयात के सम्बन्ध में सीमा शुल्क में हाल ही में परिवर्तन किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी

†२४६९. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों को अपनी सामान्य शिकायतों के सम्बन्ध में कोई संयुक्त याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** (क) जी, हाँ।

(ख) नियमों में यह उपबन्ध है कि सरकारी कर्मचारियों की सामान्य शिकायतें स्वीकृत संस्थाओं द्वारा प्रतिनिधित की जा सकती है। वैयक्तिक सरकारी कर्मचारी अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है। बहुत समय से यह नियम लागू है तथा यह अनुशासन और सरकार और उनके कर्मचारियों में परस्पर अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के हित में है। भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों को इस नियम के पालन से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है।

भारत सर्वेक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†२४७०. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के दूसरे विभागों के कर्मचारियों को उपलब्ध सामान्य चिकित्सा सुविधाएं भारत सर्वेक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी उपलब्ध है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन सुविधाओं का ब्योरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) क्या चिकित्सा की समुचित सुविधाओं के अभाव के बारे में उनसे शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ४४**]

(ग) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत सर्वेक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†२४७१. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सर्वेक्षण विभाग के उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रतिशतता जो स्थायी हैं;

(ख) वह किस आधार पर स्थायी बनाये जाते हैं; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों को अनेक वर्षों तक अस्थायी आधार पर रखा जाता है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) ३२·२ प्रतिशत ।

(ख) अस्थायी संस्थान में सात वर्ष की सेवा के पूर्ण होने पर ।

(ग) इन कर्मचारियों को उस समय तक अस्थायी आधार पर रखा जाता है जब तक कि कोई ऐसा स्थायी स्थान रिक्त नहीं होता है जिस पर कि उन्हें नियुक्त किया जा सके ।

सामाजिक तथा नैतिक सदाचार संस्था का प्रतिवेदन

†२४७२. **श्री एम० डी० जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नैतिक तथा सामाजिक सदाचार संस्था के उस वार्षिक प्रतिवेदन को देखा है जो हाल ही में उक्त संस्था की वार्षिक बैठक में पढ़ा गया था; और

(ख) क्या सरकार अनैतिक पण्य पर प्रभावशाली रोक लगाने के लिये संस्था द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उन पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

† **गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) सरकार को अभी तक नैतिक तथा सामाजिक सदाचार संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तृतीय श्रेणी क क्लर्क

†२४७३. **श्री हेम राज** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय की मांगों के उत्तर के दौरान में गृह-मंत्री द्वारा घोषित वेतन वृद्धि से तृतीय श्रेणी के कितने क्लर्कों को लाभ पहुंचेगा; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों, अर्थात डाक तथा तार, उत्पादन शुल्क, आयकर आदि में काम करने वाले क्लर्क भी इससे लाभान्वित होंगे और यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) निश्चित संख्या अभी मालूम नहीं की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

राष्ट्रीय बचत योजना

†२४७४. **श्री संगण्णा** : क्या **वित्त** मंत्री राष्ट्रीय बचत योजना के सम्बन्ध में १६ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय बचत योजना संगठनकर्ता द्वारा उड़ीसा के संगठनकर्ताओं के वेतन बढ़ाये जाने के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम हुआ ।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

योग आश्रम

†२४७५. **श्री राम दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग प्रचार समिति, नई दिल्ली द्वारा योग आश्रम के विस्तार के लिये कोई योजना प्रस्तुत की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** (क) : जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) सम्पूर्ण देश में सार्वजनिक योग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य से योग प्रशिक्षकों और निदेशकों की ट्रेनिंग के लिये एक केन्द्र की स्थापना ।

भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास

†२४७६. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री सन् १८५७ के भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के समय मैनपुरी राज़ (उत्तर प्रेदेश) के राजा तेजसिंह के वीरोचित कार्यों के बारे में अभी तक संग्रह किये गये तथ्यों का संक्षेप सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : अभी तक जो कुछ सामग्री एकत्रित की गई है उसमें प्रश्न में पूछे गये विषय से सम्बन्धित कोई जानकारी नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन

†२४७७. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें प्रतिमास २,००० रु० से अधिक वेतन मिलता है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें प्रति मास १५० रु० से कम वेतन मिलता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चुनाव बोर्ड

†२४७९. **श्री मादिया गौडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये पदाधिकारियों का चुनाव करने वाले बोर्डों की संख्या क्या है;

(ख) उनके मुख्यालय कहां-कहां हैं;

(ग) प्रत्येक बोर्ड में कितने व्यक्ति हैं और उनके पद क्या हैं;

(घ) १९५५-५६ के लिये प्रत्येक बोर्ड ने कितने व्यक्ति चुने; और

(ङ) इन बोर्डों पर कितना धन व्यय हुआ ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ४५**]

---

†मूल अंग्रेजी में

सेना पदाधिकारी

†२४८०. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय सेना के कुछ पदाधिकारी अब भी 'किगंस कमीशन' प्राप्त पदाधिकारी नामोद्दिष्ट किये जाते हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : नहीं, श्रीमान् ।

कृत्रिम वर्षा

†२४८१. **श्री गिडवानी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में, उटकमण्ड से १७ मील की दूरी पर मुकरती नामक एक गांव पर कम ऊंचाई के बादलों पर 'कैलसियम' और 'सोडियम क्लोरायड' का मिश्रण छिड़कने के परिणाम-स्वरूप कृत्रिम वर्षा के छींटे पड़े थे ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई हैं और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आंग्ल-भारतीयों की शिक्षा

†२४८२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार ने आंग्ल-भारतीयों की शिक्षा पर कितना धन व्यय किया;

(ख) भारत में, केन्द्रीय सरकार से सहायता लेने वाली ऐसी कितनी शिक्षा संस्थायें हैं जिनमें केवल आंग्ल-भारतीयों को शिक्षा दी जाती है; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार से सहायता पाने वाली आंग्ल-भारतीय शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों को अन्य सरकारी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की अपेक्षा अधिक सुविधायें मिलती हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). शून्य ।

(ग) जहां तक सरकार को ज्ञात है, यह बात सच नहीं है ।

राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाये गये अधिनियम

†२४८३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भाग 'क' राज्यों ने संविधान की समवर्ती सूची में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में कितने अधिनियम पारित किये हैं; और

(ख) क्या सारे मामलों में प्रत्येक विधान मंडल में विधेयक पुर:स्थापित करने से पहिले केन्द्रीय सरकार की अनुमति ले ली गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ख). यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अपाहिजों के लिए रोजगार

†२४८४. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन अपाहिज व्यक्तियों के लिये (जिसका हाथ या पैर नहीं है), परन्तु जो अन्यथा स्वस्थ्य हैं और अपेक्षित विद्या सम्बन्धी या अन्य योग्यतायें रखते हैं, रोज़गार की व्यवस्था करने के मामले पर विशेष ध्यान देने का विचार है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यदि सरकार की राय में, शारीरिक अयोग्यता ऐसी नहीं है, जिससे पदेन कर्तव्यों के पालन में किसी प्रकार की, कोई बाधा पड़े, तो ऐसे पदों पर उन व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है । कोई विशेष उपबन्ध आवश्यक नहीं समझे जाते ।

हैदराबाद राज्य बैंक

†२४८५. **श्री कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का एक गैर-भारतीय को हैदराबाद राज्य बैंक का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) यह नियुक्ति हैदराबाद राज्य बैंक अधिनियम की धारा १६ (२) के उपबन्धों के अन्तर्गत हैदराबाद सरकार द्वारा की जाती है, परन्तु उस करार के उपबन्धों के अन्तर्गत, जो उसके साथ उस समय हुआ था जब कि हैदराबाद राज्य बैंक को राज्य में रक्षित बैंक का अभिकर्ता नियुक्त किया गया था, उसे केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है । किसी गैर-भारतीय हैदराबाद राज्य बैंक का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करने के लिये भारत सरकार को राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

देवली नजरबन्दी कैम्प

†२४८५(क). **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवली (अजमेर राज्य) की नगरपालिका के अध्यक्ष ने वहां के नजरबन्दी कैम्प की अस्थायी इमारतों के उत्सर्जन के बारे में सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है;

(ख) क्या इस पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अनुसूचित जातियों की आवास समस्या

†२४८७. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १२ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस सहायतानुदान का उपयोग कर लिया गया है जो १९५५-५६ में मध्य प्रदेश को अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों की आवास समस्या सुलझाने के लिये दी गई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीत भूपरिमाप विभाग

†२४८८. **श्री कामत** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूपरिमाप विभाग में कितने सेवा-निवृत गैर-भारतीय असैनिक सेवा पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उन्हें उन पदों पर कब तक रखने का विचार है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). कोई नहीं, श्रीमान् ।

पुलिस दल में स्त्रियां

†२४८६. **श्रीमती खोंगमेन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन पुलिस बल में कितनी स्त्रियां हैं और उनके कर्त्तव्य क्या हैं;

(ख) १६५४-५५ और १६५५-५६ में भाततीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) के लिए कितनी स्त्रियां चुनी गईं थीं और वे किन-किन राज्यों में नियुक्त हुई हैं; और

(ग) क्या अपराध अन्वेषण विभाग के लिये स्त्री पुलिस का कोई विशेष निकाय (कोर) गठित किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ग). केवल केन्द्रीय रक्षित पुलिस केन्द्रीय सरकार के अधीन है । तथापि भाग 'ग' राज्यों के बारे में जानकारी सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ख) शून्य ।

पुस्तकों पर पुरस्कार

†२४६०. **श्री आर० पी० गर्ग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६५४ में प्रकाशित, अंग्रेजी से हिन्दी में किये गये हिन्दी अनुवादों के लिये प्रति पुस्तक २,००० रुपये पुरस्कार देने के लिये फरवरी १६५५ में पुस्तकें मांगी गई थी;

(ख) यदि हां, तो पुरस्कारों के लिये प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विभिन्न लेखकों और प्रकाशकों ने हिन्दी में किये गये कितने अनुवाद प्रस्तुत किये गये थे;

(ग) क्या यह सच है कि निर्णय कर्ताओं में पुस्तकों के गुणों के बारे में मतभेद है, जिसके परिणाम-स्वरूप अभी तक यह विनिश्चय नहीं किया गया कि किन पुस्तकों पर पुरस्कार दिये जायें;

(घ) यदि हां, तो पुरस्कारों के बारे में घोषणा को अन्तिम रूप देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) पुरस्कारों की घोषणा किस तारीख तक कर दी जायेगी; और

(च) क्या १६५६-५७ में ऐसे ही पुरस्कारों के सम्बन्ध में प्रतियोगिता के लिये पुस्तकें मांगी जायेंगी, और यदि हां, तो कब ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ५३ ।

(ग) से (च). यह मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन

†२४९१. **श्री देवगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रस्तुत किये वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां निम्न जातियों को उपलब्ध कराई जाती हैं;

(१) राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य;

(२) राज्यों के मुख्य मंत्री पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के मंत्री;

(३) राज्यों में डिवीज़न के आयुक्त;

(४) ज़िला कल्याण अधिकारियों जिन्हें पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण का कार्य सौंपा जाता है;

(५) ज़िला दण्डाधिकारी या उप-आयुक्त जो जिलों में कल्याण-कार्य के लिये उत्तरदायी हैं; और

(६) देश में कल्याण कार्य करने वाली संस्थायें ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (१) हां, श्रीमान् ।

राज्य विधान मंडलों के सब सदस्यों को १९५५ और बाद के प्रतिवेदनों की प्रतियां राज्य सरकारों द्वारा दी जायेंगी ।

(२) से (६) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदनों की कुछ प्रतियां मुख्य मंत्रियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के लिये राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं । यह निर्णय करना उनका कार्य है कि प्रतिवेदन की प्रतियां आयुक्तों, ज़िला दंडाधिकारियों या ज़िला कल्याण अधिकारियों को दी जायें या नहीं । राज्य सरकारें अपने अधिकारियों में बांटने के लिये जितनी प्रतियां वे चाहें प्रकाशनों के प्रबन्धक से मोल ले सकती हैं ।

प्राचीन स्मारक

†२४९२. **श्री वोडयार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्ति राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों के अभिरक्षक नियुक्त किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या क्या है;

(ग) इन अभिरक्षकों के कर्तव्य और कृत्य क्या हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) : (क) अन्य उम्मेदवारों की तरह अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार भी अभिरक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं ।

(ख) इस समय अभिरक्षक के सात पद हैं जिनमें से एक एक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास और भोपाल राज्यों में है और दो हैदराबाद राज्य में हैं ।

इस बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है कि इन पदों में से कितने पदों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्ति नियुक्त हैं ।

(ग) स्मारकों की देख-भाल । जहां प्रवेश-टिकटों का विक्रय होता है वहां ऐसे टिकटों के विक्रय का उत्तरदायित्व ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अस्पृश्यता

२४९३. **श्री जांगड़े** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के लागू होने के बाद अस्पृश्यता सम्बन्धी व्यवहार के बारे में अनुसूचित जाति आयुक्त और मध्य प्रदेश के प्रादेशिक आयुक्त के पास कुल कितनी लिखित शिकायतें आईं; और

(ख) उन पर क्या कर्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कमिश्नर के पास १८ और मध्य प्रदेश, विन्ध्य-प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल के रीजनल ऐसिस्टैण्ट कमिश्नर के पास ऐसी १० शिकायतें आई हैं ।

(ख) इन शिकायतों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास उचित कार्यवाही और रिपोर्ट के लिये भेज दिया गया है । इनमें से तीन शिकायतें आपसी समझौते द्वारा तय हो गई हैं और शेष पर अभी कार्यवाही की जा रही है ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २९ मई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२८७५–९९
तारांकित प्रश्न संख्या		
२६२४	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ...	२८७५–७६
२६२५	महानदी की बाढ़ ...	२८७६–७७
२६२६	बचत प्रमाण-पत्रों का भुनाया जाना	२८७७–७८
२६२७	शस्त्रास्त्र-आयात ...	२८७८–८०
२६२८	घी सम्बन्धी गोलमाल का मामला ...	२८८०–८१
२६२९	संदिग्ध निष्ठा वाले पदाधिकारी	२८८१–८३
२६३०	प्रतिरक्षा सेवाओं में भर्ती	२८८३–८५
२६३२	भारतीय वायुसेना गवेषणात्मक-भ्रमण सोसाइटी	२८८५
२६३३	पारपत्र अधिनियम ...	२८८६
२६३४	सोने की खानें	२८८६–८८
२६३६	संविहित निकायों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व	२८८८
२६३७	मनीपुर के पदाधिकारी	२८८९
२६३९	नागार्जुनकोंडा की पत्थर की मूर्त्तियाँ	२८८९–९०
२६४०	असैनिक संभरण विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी	२८९०
२६४१	प्रविधिक शिक्षा ...	२८९०–९१
२६४२	विश्व भारती बीमा कम्पनी ...	२८९१–९२
२६४३	बम्बई क स्मारक	२८९२
२६४४	धौलपुर उत्तराधिकार	२८९२–९३
२६४५	अवकाश नियम	२८९३
२६४६	छादबेट के निकट तेल	२८९३–९४
२६४७	तांबा खनन	२८९४
२६५०	सरकारी मोटर गाड़ियाँ	२८९४–९५
२६५१	मंत्रियों की विदेश यात्रायें	२८९५–९६
२६५२	राष्ट्रीय प्रयोगशालायें ...	२८९६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
२३	टेमिंगलाँग में दुर्भिक्ष ...	२८९७–९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२८९९–२९२४
तारांकित प्रश्न संख्या		
२६२१	अनुसंधान योजनायें	२८९९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२६२२	भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग	२८९९
२६२३	गृह मंत्रालय ...	२९००
२६३५	त्रावनकोर-कोचीन में प्रविधिक शिक्षा	२९००
२६४१-क	पर्यटन ...	२९००
२६४९	सारनाथ में निर्माण कार्य	२९००
२६५३	राज्यों को ऋण	२९००–०१
२६५४	आदिम जाति तथा अनुसूचित क्षेत्रों में बहुप्रयोजनीय परियोजनायें	२९०१
२६५५	वाकू (सोवियत रूस)में हिन्दू मंदिर ...	२९०१
२६५६	स्थानीय निकायों के निक्षेप	२९०१–०२
२६५७	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ	२९०२
२६५८	बीमा पालिसियाँ	२९०२
२६५८-क	मनीपुर के लिये अनुदान	२९०२–०३
२६५८-ख	अन्दमान और निकोबार द्वीप ...	२९०३
२६५९	जनगणना सम्बन्धी व्यय ...	२९०३
२६६०	वनस्पति को रंगना	२९०३
२६६१	चोरी छिपे लाये गये हीरे	२९०३–०४
२६६२	पिछड़े वर्गों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण कार्य	२९०४
२६६३	पुनर्गठन एकक	२९०४
२६६३-क	जीपों की खरीद	२९०५
२५०८	सेना शिक्षा निकाय	२९०५
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४३४	उत्तर प्रदेश में सामाजिक कल्याण	२९०५–०६
२४३५	जवार की खानें ...	२९०६
२४३६	केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा	२९०६
२४३७	सर्वस्व दान ग्राम	२९०६–०७
२४३८	पनडुब्बियों का छोटा बेड़ा ...	२९०७
२४३९	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश	२९०७
२४४०	कैन्टीन सेवा नियंत्रण बोर्ड	२९०७–०८
२४४१	आसाम में तेल	२९०८
२४४२	राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना	२९०८
२४४३	बेसिक (बुनियादी) स्कूलों क अध्यापक ...	२९०८–०९
२४४४	सामाजिक कार्य के स्कूल ...	२९०९
२४४५	निषिद्ध अफ़ीम	२९०९
२४४६	जलती हुई वस्तु ...	२९१०
२४४७	स्याही विकास परियोजना	२९१०
२४४८	भारतीय भूपरिमाप कर्मचारी	२९१०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२४४९	बनारस	२९१०
२४५०	अखिल-केरल विश्वविद्यालय ...	२९११
२४५१	त्रावनकोर-कोचीन में विद्यार्थी	२९११
२४५२	त्रावनकोर विश्वविद्यालय के परीक्षा पत्रों का समय से पूर्व मालूम हो जाना	२९११
२४५३	स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास	२९११
२४५४	युद्धोत्तर पुर्निर्माण निधि	२९१२
२४५५	उच्च-न्यायालय	२९१२
२४५६	औद्योगिक प्रबन्ध सेवा	२९१२–१३
२४५७	अनुसूचित जातियों आदि के लिये छात्रवृत्तियाँ	२९१३
२४५८	कृषकों को बसाना	२९१३
२४५९	मनीपुर में पदाधिकारियों का पदच्युत किया जाना ...	२९१४
२४६०	मनीपुर के लिये दमकल की मशीनरी	२९१४
२४६१	आई० सी० एस० पदाधिकारी ...	२९१४
२४६२	भारत का राज्य बैंक	२९१४–१५
२४६३	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश ...	२९१५
२४६४	मतदाता सूचियाँ	२९१५
२४६५	आपातकालीन कमीशन-प्राप्त पदाधिकारी	२९१६
२४६६	आयुध कारखाने	२९१६
२४६७	हुण्डियाँ भुनाना	२९१६–१७
२४६८	तिब्बत से सोने के सिक्कों का आयात	२९१७
२४६९	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी ...	२९१७
२४७०	भारत सर्वेक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारो	२९१७
२४७१	भारत सर्वेक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	२९१८
२४७२	सामाजिक तथा नैतिक सदाचार संस्था का प्रतिवेदन	२९१८
२४७३	तृतीय श्रेणी के क्लर्क	२९१८
२४७४	राष्ट्रीय बचत योजना	२९१८–१९
२४७५	योग आश्रम ...	२९१९
२४७६	भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास	२९१९
२४७७	सरकारी कर्मचारियों का वेतन	२९१९
२४७९	चुनाव बोर्ड	२९१९
२४८०	सेना पदाधिकारी	२९२०
२४८१	कृत्रिम वर्षा	२९२०
२४८२	आंग्ल-भारतीयों की शिक्षा	२९२०
२४८३	राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनाये गये अधिनियम ...	२९२०
२४८४	अपाहिजों के लिये रोजगार	२९२०–२१
२४८५	हैदराबाद राज्य बैंक	२९२१
२४८५-क	देवली नजरबन्दी कैम्प	२९२१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४८७	अनुसूचित जातियों की आवास समस्या	२९२१
२४८८	भारतीय भूपरिमाप विभाग ...	२९२२
२४८९	पुलिस-दल में स्त्रियाँ	२९२२
२४९०	पुस्तकों पर पुरस्कार	२९२२
२४९१	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन	२९२३
२४९२	प्राचीन स्मारक	२९२३
२४९३	अस्पृश्यता	२९२४

M71LSD—6-9-57—190—GIPF

मंगलवार
29 मई 1956

Preservation Unit
Digitized
Parliament Library

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग—२ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ५, १९५६

(९ मई से ३० मई, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ५ में अंक ६१ से ६७ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[वाद-विवाद; भाग २—खण्ड ५; ९ मई से ३० मई, १९५६]

	पृष्ठ
अंक ६१—बुधवार, ९ मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३२७९
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां तथा छत्तीसवां प्रतिवेदन	३२८०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बावनवां प्रतिवेदन	३२८०
अनुपस्थिति की अनुमति ...	३२८०–८१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	३२८१
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	३२८१–८२
सभा का कार्य	३२८२–८४
भारतीय टंक अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई	
प्रारूप अधिसूचनाओं के बारे में प्रस्ताव	३२८४–९०
संविधान (दसवां संशोधन)—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३२८४–९०
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३१७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३२६
अंक ६२—गुरुवार, १० मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	३३२७
सदस्यों का बन्दीकरण तथा निरोध ...	३३२७–२८
भारतीय रड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक ...	३३२८–२९
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३२९–८५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३८६
अंक ६३—शुक्रवार, ११ मई, १९५६	
राज्य-सभा से सन्देश	३३८७
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक	३३८७
समितियों के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति	३३८८
लोक लेखा समिति	३३८८
राज्य-सभा के सदस्यों का लोक लेखा समिति में सम्मिलित किये जाने के	
बारे में प्रस्ताव	३३८८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन ...	३३८९–९१

पृष्ठ

सभा का कार्य ३३९१–९२

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव ... ३३९२–३४२७

खण्ड २ से ५५ और १ तथा अनुसूची ३३९९–३४२५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ३४२५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

बावनवां प्रतिवेदन ३४२७

व्यक्ति की अधिकतम आय के बारे में संकल्प ३४२७–५०

दैनिक संक्षेपिका ३४५१

अंक ६४––सोमवार १४ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४५३–५४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३४५४

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति––

चौथा प्रतिवेदन ३४५४

राज्य पुनर्गठन विधेयक ... ३४४४–५६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ३४५६

जीवन बीमा निगम विधेयक ३४५६

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक––

सामान्य चर्चा ३४५७–३५००

अनुदानों की मांगें ... ३५००–३२

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक ३५४७–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ३५४९

अंक ६५––मंगलवार, १५ मई, १९५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में वक्तव्य ३५५१–५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५५४

राज्य-सभा से सन्देश ३५५४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३५५४–३६०२

दैनिक संक्षेपिका ... ३६०३

अंक ६६––बुधवार, १६ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

त्रेपनवां प्रतिवेदन ३६०५

सभा का कार्य––

द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा ३६०६–१०

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ... ३६१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा

प्रतिवेदित रूप में ३६११–६१

पृष्ठ

खण्डों पर विचार--

खण्ड ४, ५ और ७ ... ३६१४–२९

खण्ड २, ३, ६ और ८ से ४० ३६२९–५४

खण्ड ४१, ४२ और ४७ ३६५४–६१

राज्य-सभा से सन्देश ३६६२

दैनिक संक्षेपिका ३६६३

अंक ६७--गुरुवार, १७ मई, १९५६

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३६६५–६६

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३६६६–३७१६

खण्ड ४१ से ८३ तक ... ३६६६–३७१५

पारित करने का प्रस्ताव, संशोधन रूप में ३७१६

दैनिक संक्षेपिका ... ३७१७

अंक ६८--शुक्रवार, १८ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७१९

राज्य-सभा से संदेश ... ३७१९–२०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक ... ३७२०

प्राक्कलन समिति--

सत्ताईसवां प्रतिवेदन ३७२०

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड्गपुर) विधेयक ३७२०

त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक ३७२१–२२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ... ३७२२–३५

पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में ३७२२

जीवन बीमा निगम विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७३५–५३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--तिरपनवां प्रतिवेदन ३७५४

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९४ का संशोधन) ... ३७५४

खान संशोधन, विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन) ३७५४–६२

विचार करने का प्रस्ताव ३७५४

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहणन विधेयक ३७६३–६४, ३७६५–७३

विचार करने का प्रस्ताव ३७६३

सभा का कार्य ३७६४–६५

नियम समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३७६५

दैनिक संक्षेपिका ३७७४–७५

अंक ६९--सोमवार, २१ मई, १९५६ **पृष्ठ**

स्थगन प्रस्ताव ३७७७–७८
सभा का कार्य ... ३७७८–७९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७७९–८०
राज्य-सभा से सन्देश ३७८०–८६
प्राक्कलन समिति--
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ... ३७८६
जीवन बीमा निगम विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७८६–३८३५
खण्डों पर विचार--
खण्ड २ ३८३१--३५
दैनिक संक्षेपिका ३८३६

अंक ७०--मंगलवार, २२ मई, १९५६

स्थगन-प्रस्ताव--
भुखमरी के कारण कुछ नागाओं की कथित मृत्यु ३८३७–३९
सदस्यों की रिहाई ३८३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
अल्जीरिया के सम्बन्ध में सरकार की नीति ... ३८३९–४२
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--
खण्ड ४, १९ और २२ ३८४३–५८
खण्ड ११ और १२ ३८५८–६८
खण्ड १४ ३८६८–७०
खण्ड २५ और २९क ... ३८७०–८५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८८५
दैनिक संक्षेपिका ३८८६

अंक ७१--बुधवार, २३ मई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
खडगपुर और काजीपेट जंकशनों पर रेलवे श्रमिकों की हड़ताल ... ३८८७–९३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८९३–९४
राज्य-सभा से सन्देश ३८९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौवनवां प्रतिवेदन ३८९४
भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ३८९४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३८९४
पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण के बारे में वक्तव्य ३८९४–९८
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३८९८–३९४१
खण्ड ४३ ३८९८–३९०५

पृष्ठ

खण्ड १६, ३५, ३६ और अनुसूचियां ३९०६–३०

खण्ड ५ से १०, १३, १५, १७, १८, २०, २१, २३, २४, २६ से ३४, ३७ से ४२, ४४ से ४९ और १ ... ३९३०–४१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३९४१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ३९४१–६०

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३९६०

दैनिक संक्षेपिका ३९६१–६२

अंक ७२––शुक्रवार, २५ मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

काजू के कारखानों में तालाबन्दी ३९६३–६४

द्वितीय पंचवषीय योजना के बारे में संकल्प ३९६४–७०, ३९७१–९४

सभा का कार्य ३९७०–७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

चौवनवां प्रतिवेदन ... ३९९४

व्यक्ति की आय पर उच्चतम सीमा सम्बन्धी संकल्प ३९९४–४००७

आयकर विभाग के कार्य की जांच के बारे में संकल्प ४००८–१३

गन्ने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ४०१३–२०

दैनिक संक्षेपिका ४०२१

अंक ७३––शनिवार, २६ मई १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०२३, ४०२५–२६

प्राक्कलन समिति––

उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन ... ४०२३

भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ४०२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना––

त्रिपुरा में चावल के भाव में वृद्धि ... ४०२४

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र में लगातार गोलीबारी ... ४०२४–२५

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ४०२६–२७

मालिक-मजदूर झगड़े सभा के सामने लाने के बारे में विनिर्णय ४०२७–२८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ४०२८–७२

राज्य-सभा से संदेश ... ४०७२–७४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ४०७४

दैनिक संक्षेपिका ४०७५–७६

अंक ७४--सोमवार, २८ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०७७-७९
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ४०७९
प्राक्कलन समिति--
इक्तीसवां प्रतिवेदन ... ४०७९
सभा का कार्य ४०८०-८१
त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन)
विधेयक ४०७९, ४०८१-४१०१
विचार करने का प्रस्ताव ४०७९
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४०९३-४१०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ४१०१
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ... ४१०२-०७
विचार करने का प्रस्ताव ४१०२
खण्ड १ और २ ... ४१०७
पारित करने का प्रस्ताव ... ४१०७
खड्गपुर में हड़ताल की स्थिति के बारे में चर्चा ४१०८-३३
राष्ट्रीय अनुशासन योजना के बारे में आध घंटे की चर्चा ... ४१३४-३९
दैनिक संक्षेपिका ... ४१४०-४१

अंक ७५--मंगलवार, २९ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१४३-४४
प्राक्कलन समिति--
बत्तीसवां प्रतिवेदन ... ४१४४
लोक लेखा समिति--
सोलहवां प्रतिवेदन ४१४४
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--
पन्द्रहवां प्रतिवेदन ४१४४
काजू के कारखानों में तालाबन्दी के बारे में वक्तव्य ४१४४-४५
सदस्यों का बन्दीकरण और रिहाई ४१४५
सभा का कार्य ४१४५-४६
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक--
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४१४६-८६
खण्ड २ से ४ और १ ... ... ४१८०-८६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ४१८६
निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ... ४१८७-९३
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में आधे घंटे
की चर्चा ... ४१९३-९८
राज्य-सभा से संदेश ४१९८
दैनिक संक्षेपिका ४१९९-४२००

पृष्ठ

अंक ७६—बुधवार, ३० मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना तथा स्थगन प्रस्ताव—

कालका रेलवे स्टेशन पर उपद्रव ४२०१–०८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४२०८–०९

प्राक्कलन समिति—

तैंतीसवां प्रतिवेदन ४२०९

याचिका समिति—

नवां प्रतिवेदन ४२१०

अनुपस्थिति की अनुमति ... ४२१०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ४२१०

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक ... ४२१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति ४२११–१६

सभा का कार्य ४२१६–१७

निवारक निरोध अधिनियम का कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ... ४२१७–४५

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के भारत की ओर सामुहिक निष्क्रमण के बारे में चर्चा ४२४५–६३

राज्य-सभा से संदेश ४२६३

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये आपातकालीन भर्ती के बारे में नियमों पर चर्चा ४२६३–७३

कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४२७३–७६

प्रतिलिप्याधिकार विधेयक ४२७६

दैनिक संक्षेपिका ... ४२७७–७९

बारहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश ४२८०–८१

M148LSD—190—8-4-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, २९ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

११.३७ म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ३	लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६ [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ४७**]
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६	लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५ [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ४८**]
(३) अनुपूरक विवरण संख्या १०	लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५ [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ४९**]
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १६	लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५ [**देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ५०**]

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री सत्यनारायण सिंह]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २२ लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४

[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ५१]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या ३० लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४

[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ५२]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३५ लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३

[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या ५३]

प्राक्कलन समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री बी० जी० मेहता (गोहिलवाड़) : श्रीमान्, मैं रेलवे मंत्रालय के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की बत्तीसवीं रिपोर्ट (प्रतिवेदन) पेश (उपस्थापित) करता हूं ।

लोक-लेखा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

†**श्री वी० बी० गांधी** (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं विनियोग लेखा (असैनिक), १९५१-५२ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), १९५४—भाग १—खण्ड १ पर लोक-लेखा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

काजू के कारखानों में तालाबन्दी

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डू भाई देसाई)** १६ मई, १९५६ को काजू कर्मचारी संस्था ने हड़ताल करवा दी । हड़ताल के बाद कारखानों ने (जिनकी कुल संख्या ३३ है) तालाबन्दी कर दी जिससे २५,००० श्रमिकों और १,४०० अन्य कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा । कर्मचारियों ने निम्नलिखित मांगों के लिये हड़ताल की थी :

(१) कर्मचारियों को मासिक वेतन के आधार पर रखा जाये ।

(२) वेतन तथा वेतन-स्तर बढ़ाये जाये ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(३) कारखाने बन्द होने की अवधि का भी वेतन दिया जाये ।

(४) छुट्टी की सुविधायें, बाहर जाने का भत्ता, रात को काम करने का भत्ता दिया जाय और बोनस बढ़ा दिया जाये ।

श्रमिकों ने कोई मांग नहीं की थी । राज्य के समझौता पदाधिकारी ने समझौता कराने का प्रयत्न किया किन्तु जब वह सफल नहीं हुआ तब त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण को न्याय करने के लिये सौंप दिया । उसने हड़ताल तथा तालाबन्दी को अवैध घोषित किया । उसके बाद २१ मई, १९५६ से समस्त कारखानों ने काम आरम्भ कर दिया और तब से स्थिति ठीक हो गई ।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम) : मैं यह स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं कि क्या अभी कुछ कर्मचारी हड़ताल पर हैं अथवा अवैध घोषित होने के बाद पूरा समझौता हो गया है ?

†**श्री खण्डू भाई देसाई** : हमें तो यही जानकारी है कि कर्मचारी काम पर चले गये हैं और स्थिति ठीक है । मुझे इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है कि किसी कर्मचारी को पुनः काम प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं दी गयी ।

सदस्य का बन्दीकरण और रिहाई

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे सुपरिन्टेंडेंट पुलिस, लुधियाना का तारीख २६ मई, १९५६ का निम्नलिखित पत्र मिला है :

> "मुझे आपको सूचना देनी है कि श्री सैयदुल्ला खां रजमी, संसद् सदस्य, को २५ मई, १९५६ के शाम के ६ बजे पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा ९ और भारतीय दंड संहिता की धारा ५०६ के अधीन थाना सिटी लुधियाना में दर्ज केस एफ० आई० आर० संख्या १८९ तथा संख्या १९० तारीख ३१ मार्च, १९५६ में, लुधियाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन ७-३० म० प० उन्हें जमानत पर मुक्त किया गया ।"

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री देशमुख ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : इससे पहले कि अगला कार्य प्रारम्भ किया जाये, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब एक और दिन सभा की बैठक होगी । हमें बंगाल से निष्कासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा नियमों आदि मामलों पर चर्चा करनी है । इसके बाद लोक-प्रतिनिधित्व विधेयक भी राज्यसभा से संशोधित रूप में आया हुआ है । इस कारण मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि पहले कल का समय निर्धारित किया जाये ।

हम रात को भी बैठ सकते हैं जैसा कि हमने पहले किया है । हमें यहां भोजन दिया जाये, तो रात के १० बजे तक बैठा जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : हम दिन में ही अधिक समय बैठ सकते हैं ।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं सुझाव देता हूं कि हमें १० बजे से ६.३० अथवा ७ बजे तक बैठना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल के लिये काम इस प्रकार है :–निवारक निरोध अधिनियम पर चर्चा : ५ घंटे; पूर्व पाकिस्तान से हिन्दुओं का निष्कासन : २ घंटे; भारतीय प्रशासनिक सेवा की भर्ती के नियम : १ घंटा; इस प्रकार कुल ८ घंटे हुए । लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर १५ मिनट लगेंगे ।

†**श्री कामत** : आधे घण्टे की चर्चा का क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अगले सत्र के लिये स्थगित की जायेगी । कल हमें १० बजे कार्य आरम्भ करना चाहिये और ६ या ६.३० तक चलना चाहिये । यह पर्याप्त होगा ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** (खम्मम्) : कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के बारे में चर्चा भी कल होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे अगले सत्र में किया जायेगा ।

श्री कामत : श्रीमान् कल योजना समिति "ख" की बैठक है और हममें से बहुत उसमें नहीं जा सकेंगे । मैं प्रार्थना करता हूं कि कल यह बैठक न हो ।

अध्यक्ष महोदय : आप सभापति से प्रार्थना कीजिये---इस मामले में वह विचार करेंगे ।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं सुझाव देता हूं कि यह बता दिया जाय कि संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक के विभिन्न प्रक्रमों के लिये कितना समय नियत किया गया है ताकि सदस्यों को पता चल जाये कि तीनों प्रक्रमों पर मतदान किस समय होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, संसद् कार्य मंत्री से इस बात पर निश्चय कर लें । ज्यों ही वित्त मंत्री प्रथम प्रक्रम पर अपने भाषण को समाप्त करेंगे त्यों ही मैं उस सम्बन्ध में घोषणा करूंगा ।

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि विधेयक को लोक-सभा में पुरस्थापित रूप में ही पारित किया जाये । यह निष्कर्ष समस्त पहलुओं पर पूर्ण चर्चा के बाद निकला है । विमति टिप्पण हैं इसलिये यह कहना अनावश्यक है कि समिति में पूर्ण एक मत नहीं था । विशेषतया समिति में सदस्यों में से अधिक की राय यही थी कि यह बात अधिक संतोषप्रद होती यदि केन्द्रीय सरकार, आज के

†मूल अंग्रेजी में ।

समान, समाज के लिये आवश्यक वस्तुओं पर, अनिवार्य वस्तु अधिनियम, १९५२ के अधीन बिक्री कर लागू करने के मामले में हस्तक्षेप करने की शक्ति रख सकती, अर्थात् अनिवार्य वस्तु अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों के बारे में और विशेषतया जीवन के लिये अनिवार्य वस्तुओं के बारे में हस्तक्षेप कर सकती। इस बात पर समिति के सदस्यों ने अपने टिप्पणों तथा विमति टिप्पणों में जोर दिया है। इस अवस्था में, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें सभा के सामने रखना आवश्यक समझता हूं।

मैं इस बात को अनुभव करता हूं कि माननीय सदस्यों को चिन्ता इस बात पर हुई है कि राज्य सरकारें इस विधेयक द्वारा राज्य में ऐसी वस्तुओं पर, जो जनसाधारण के अधिक प्रयोग में आती हैं, भारी कर लगा सकती हैं।

इस चिन्ता को समझा जा सकता है विशेषतया जबकि यह सभा जनसाधारण के अधिकारों की संरक्षक है, किन्तु इस प्रकार की भावना होने पर भी मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे निष्पक्ष होकर सोचें कि वर्तमान स्थिति क्या है और यदि इन परिस्थितियों में परिवर्तन आवश्यक है हम इसे किस प्रकार बदल सकते हैं।

जैसा कि इस समय संविधान में उपबन्ध है, उसके अनुसार ऐसी वस्तु पर, जिसे संसद् ने सामाजिक जीवन के लिये अनिवार्य घोषित किया हो, कोई भी राज्य की विधि जिसके द्वारा कर लगाया जाये तभी प्रभावी हो सकेगी जबकि राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे दें। किन्तु इस उपबन्ध के बारे में स्मरण रखने की बात यह है कि यह उपबन्ध उन विधियों पर लागू नहीं होते जो कि उस समय से पहले पारित की गयी हैं जबकि संसद् ने यह घोषित किया था कि अमुक वस्तुएँ सामाजिक जीवन के लिये अनिवार्य हैं।

इस समय यह आवश्यक नहीं है कि मैं उन राज्यों की सूची आपको बताऊं जहां ऐसी विधियां लागू थीं, और अब हैं, और कौन सी वस्तुएँ हैं, क्या दरें है, कराधान किस प्रकार का है अर्थात् एकी-कर अथवा बहु-कर है। इस प्रकार के राज्य चार थे जो खाद्यान्नों पर विक्रय कर लगा सकते थे और कुछ ने गुड़ पर लगाया। इतना कहना ही पर्याप्त है कि संविधान के उस उपबन्ध द्वारा हमें ऐसी वस्तुओं पर विक्रय-कर लगाने के मामले में पूर्ण नियंत्रण नहीं मिलता था अर्थात् उन वस्तुओं पर जिन्हें अनिवार्य समझा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न दरों के कर थे और संविधानिक उपबन्ध से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वर्तमान अवस्था की पहली बड़ी कमजोरी यह है।

इसके बाद, प्राय: यह भी कहा जाता है——जो कुछ ठीक भी है——कि संसद् द्वारा सामाजिक जीवन के लिये अनिवार्य घोषित की गई वस्तुओं में कुछ ऐसी भी वस्तुएँ सम्मिलित हैं जिन्हें साधारण भाषा में अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिये, सूखे फल या खालें और चमड़ा उतने अनिवार्य नहीं कहे जा सकते जितने कि खाद्यान्न। इसके बाद जबकि राज्यों को सामाजिक जीवन के लिये अनिवार्य वस्तुओं पर कर लगाने से रोका गया है, जो कि केवल इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ही लगाया जा सकता है, और जबकि अनिवार्यता की शर्त से विक्रय कर में वृद्धि करने से एक संविहित रुकावट हो गई है, इस स्थिति में राज्यों ने प्राय: यह शिकायत की है कि केन्द्रीय सरकार ने स्वत: उत्पादन शुल्क अथवा सीमा शुल्कों के रूप में इस अधिनियम द्वारा घोषित सामाजिक जीवन के लिये अनिवार्य वस्तुओं अर्थात् वस्त्रों तथा पेट्रोल आदि पर भारी कर लगाये हैं।

स्पष्ट है कि इस सम्पूर्ण प्रश्न का ध्यानपूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता थी और कराधान जांच आयोग ने ठीक यही किया है। वे तीन नतीजों पर पहुंचे हैं : राज्य सरकारों को वस्तुओं की खरीद

[श्री सी० डी० देशमुख]

तथा बिक्री पर कर लगाने की पूरी शक्ति होनी चाहिये। जो वस्तुएँ सामाजिक जीवन के लिये अनिवार्य मानी गई हैं वे भी इसमें सम्मिलित की जायें। दूसरे, विशेष महत्व के कच्चे माल पर कर लगाने पर कुछ नियंत्रण औचित्यपूर्ण हो सकते हैं जिन पर कर लगाकर राज्य सरकारें बनी हुई चीजों की कीमतें बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं भले ही यह चीजें उसी राज्य में तैयार की जाती हों जहां कच्चा सामान मिलता है अथवा अन्य ऐसे राज्य में जो उक्त राज्य से कच्चा माल प्राप्त करता है। इसके साथ ही आयोग का यह भी दृष्टिकोण था कि यह नियंत्रण अन्तर्राज्यिक व्यापार में विशिष्ट महत्व की सुपरिभाषित वस्तुओं तक ही सीमित रखा जाये। मोटे रूप में, अन्तर्राज्यिक व्यापार में किसी भी ऐसी वस्तु को, जो कच्चा माल नहीं है अथवा जो किसी तरह कच्चे माल की परिभाषा में नहीं आता है या जो कच्चे माल किंवा कच्चे माल पर आधारित बाद में तैयार माल के रूप में विशेष महत्व के अन्तर्राज्यिक व्यापार का अंग नहीं है और अन्ततोगत्वा जो उपभोक्ता अथवा उद्योग की दृष्टि से विशेष महत्व की नहीं है केन्द्रीय विधि द्वारा विशेष महत्व की मानकर, नियंत्रण एवं विनियमन हेतु नहीं छांटा जाये।

इस आधार पर छः वस्तुएँ अर्थात् कोयला, लोहा और इस्पात, रूई, खालें और चमड़ा, तिलहन और जूट को अन्तर्राज्यिक व्यापार में विशेष महत्व की वस्तु समझा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रचना के लिये योजना आयोग को परामर्श देने के लिये नामनिर्देशित अर्थशास्त्रियों की तालिका ने भी इसका समर्थन किया है। उनके ज्ञापन में कहा गया है :

> "हम इस सम्बन्ध में कराधान जांच आयोग की विशेष रूप से इस सिफारिश का अनुमोदन करते हैं कि सामाजिक जीवन के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं को राज्य बिक्री करारोपण से दी गई वर्तमान विमुक्ति को दूर करने के लिये संविधान की धारा २८६ (३) का संशोधन किया जाये।"

सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उसने कराधान जांच आयोग का यह दृष्टिकोण भी स्वीकार कर लिया है कि बिक्री कर राजस्व संसाधन के रूप में राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर ही बना रहे और इसका आरोपण एवं प्रशासन भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता रहे। जब एक राज्य का बिक्री कर प्रशासनिक दृष्टि से दूसरे राज्य के व्यापारियों पर और राजकोषीय दृष्टि से दूसरे राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिक्रमण करता है तो वहां राज्यों की शक्ति और उत्तरदायित्व का क्षेत्र समाप्त होकर केन्द्र के क्षेत्राधिकार का आरम्भ होता है। यही बात राज्यों के भीतर बिक्री के विषय में है उदाहरणार्थ, जिस प्रकार मैंने पहले बताया कि किसी राज्य में पैदा हुआ कच्चा माल अन्तर्राज्यिक व्यापार में बने हुए माल के रूप में महत्वपूर्ण रूप से उपलब्ध हो। इन परिस्थितियों से उत्पन्न आवश्यकता के लिये और केवल इसी सीमा तक कराधान जांच आयोग ने राज्यों पर नियंत्रण लगा कर केन्द्र द्वारा करारोपण एवं नियंत्रण सम्बन्धी शक्तियों के धारण किये जाने की सिफारिश की है। अन्तर्राज्यिक बिक्री कर की इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये ही यह विधेयक तैयार किया गया है। करारोपण इस योजना के स्वीकार किये जाने पर अन्तर्राज्य वाणिज्य एवं व्यापार में आने वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण कच्चे माल के सम्बन्ध में कर का भार समान रहेगा तथा यह एकरूप भार भी नियंत्रित प्रकार का होगा अर्थात् बिक्री कर निर्दिष्ट वस्तुओं के सम्बन्ध में बिक्री अथवा खरीद में एक बार अन्तिम अवस्था में ही लगेगा।

यदि इस सूची में अत्यावश्यक वस्तुओं की वर्तमान सूची से एक-दो वस्तुएँ और जोड़ दी जायें तो ऐसा करने से देश का हित होगा। और हमें इस बात का पूर्ण आश्वासन हो जायेगा कि तैयार

माल को बनाने के लिये अपेक्षित कच्चे माल पर सम्पूर्ण देश में लगभग समान भार रहेगा। वैधानिक संशोधन स्वीकार हो जाने के पश्चात् जब वास्तविक विधेयक संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तब इस पर विचार किया जायेगा। कराधान जांच आयोग की विस्तृत सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये हम बाद में एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। उस समय लोक-सभा को इस विषय पर चर्चा करने एवं यह निर्णय करने का अवसर मिलेगा कि अन्तर्राज्यिक व्यापार एवं वाणिज्य से विशेष महत्व की वस्तुयें घोषित करने के लिये क्या सिद्धांत निर्धारित किये जाने चाहियें तथा कर की दरें क्या हों।

एक और मूल तथ्य है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार के वैधानिक संशोधन के लिये अधिकांश राज्यों और उनके विधान मण्डलों की स्वीकृति आवश्यक है।

मैं संविधान की धारा ३६८ की ओर निर्देश करूंगा। विधेयक जिस रूप में सभा के सम्मुख है हम अनौपचारिक रूप में इसे प्राप्त कर सके हैं और हम बहुत अंश में ऐसा इसलिये कर सके हैं कि यह कराधान जांच आयोग सरीखे विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशों का स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष अनुसरण है। अतः यदि हम इस विधेयक में कोई सारपूर्ण परिवर्तन करें तो हमारे लिये राज्यों से पुनः सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। राज्यों से निर्देश करने का क्या परिणाम होगा। मैं इसे पहले से ही नहीं बता सकता और न यह बताना सरल है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि किसी सर्वमान्य समझौते पर पहुंचने में कई महीने लग जायेंगे।

अतः यदि हम राज्य सरकारों को राजस्व की इस विशाल राशि से वंचित नहीं करना चाहते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप में अपने आपको ही वंचित करना है जिन पर राज्यों को उनकी विकास योजनाओं में सहायता देने का इतना सारा भार है तो यह लोक-सभा का तथा देश के अन्य विधान मण्डलों का उत्तरदायित्व है। देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये योजना के साधनों को ढूंढ़ने में हमें समय नहीं खोना चाहिये। यह विषय माननीय सदस्यों द्वारा संयुक्त समिति में उठाया गया था अतः मैं सभा को यह आश्वासन दे दूं कि अत्यावश्यक वस्तुओं पर बिक्री कर के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा प्रकट की गई व्याकुलता तथा चर्चा के दौरान में इस विषय पर सभा में जो भी विचार व्यक्त किये जायेंगे उन सबसे मैं राज्य सरकारों को अवगत करा दूंगा।

जब सदस्यों को वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो जायेगी, कि अत्यावश्यक वस्तुओं पर विभिन्न राज्यों में लगाये जाने वाले बिक्री करों पर हमारा कोई प्रभावशाली नियंत्रण नहीं है तथा केन्द्र की वर्तमान शक्तियों को बढ़ाने के लिये किसी संवैधानिक संशोधन के लिये राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करना सम्भव नहीं है और जब हम निरन्तर बढ़ रहे विकास कार्यों और साधनों की उत्सुकतापूर्ण खोज को दृष्टि में रखें तो यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि इस भार का कुछ भाग जनसाधारण को वहन करना पड़ेगा। यदि माननीय सदस्य इसे स्वीकार कर लें तो वह निस्सन्देह इन प्रस्तावों से सहमत हो जायेंगे। मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि अन्तर्राज्यिक बिक्री कर को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण कच्चे माल पर राज्य के अन्दर करों का विनियमन करने वाली शक्तियों को प्राप्त किया जाये तो यह संसद् की एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कार्यवाही होगी।

एक अन्तिम बात मुझे और कहनी है। माननीय सदस्य यह अनुभव कहते हैं कि राज्य सरकारों को वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर कर लगाने की वर्तमान शक्तियों से वंचित किया जा रहा है। जहां तक अन्तर्राज्यिक सौदों का सम्बन्ध है, अनुच्छेद २८६ के खण्ड (३) के अधीन राज्य की कोई विधि उस सीमा के अतिरिक्त प्रभाव नहीं रखती जिसके लिये उसे संसद् के अधिनियम से अनुमति प्राप्त है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

इस समय यह एक प्रतिबन्ध लगाने के समान है किन्तु यह वस्तुतः समान दरों पर अन्तर्राज्यिक सौदों पर कर लगाने की बराबरी नहीं करती है। दूसरे शब्दों में, संसद् द्वारा प्रतिबन्ध हटाने की सामर्थ्य से लाभ न उठाना राज्य की मर्जी पर है। यदि हम अनुच्छेद २८६ के खण्ड (३) के अधीन विधि पारित करें तो हम अन्तर्राज्यिक सौदों पर करारोपण की अधिक प्रभावशाली कार्यवाही करेंगे और जिस सीमा तक अन्तर्राज्यिक व्यापार एवं वाणिज्य की विशेष महत्व की वस्तुओं पर कर लगाया जायेगा, वे दरें स्वयं राज्यों में आन्तरिक सौदों पर लगाई जा सकने वाली दरों पर भी लागू होंगी।

अतः हम परोक्षरूप में उस क्षेत्र में एकरूपता प्राप्त कर लें जिसमें एकरूपता का अत्यधिक महत्व है। वस्तुओं के अन्य वर्गों के सम्बन्ध में, समय-समय पर एकरूपता लाने का अनुरोध किया गया है लेकिन जिन लोगों ने इस समस्या का परीक्षण किया है उनका कहना है कि इतना अधिक समय व्यतीत हो जाने पर अब उसको वापस लेना सम्भव नहीं है और सम्पूर्ण भारत में तथा सभी राज्यों में बिक्री कर के सम्बन्ध में एकरूपता लाने की आशा को त्यागना पड़ेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

संसद्-कार्य मंत्री ने सूचना दी है कि विधेयक की विभिन्न अवस्थाओं के सम्बन्ध में एक समझौता कर लिया गया है। जो छः घण्टे नियत किये गये थे माननीय सदस्य अब इसमें एक घंटा बचा सकते हैं। यह एक घंटा निवारक निरोध अधिनियम के कार्यकरण सम्बन्धी प्रस्ताव की चर्चा में लगा दिया जायेगा।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मेरा सुझाव है कि पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं के निष्क्रमण पर चर्चा आज आरम्भ कर दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन तब भी चर्चा अपूर्ण ही रहेगी।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : करारोपण की शक्ति एवं केन्द्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण अत्यन्त जटिल प्रश्न है और दस मिनिट में इस पर बोलना सम्भव नहीं है; इसका वैधानिक और साथ ही वित्तीय महत्व भी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन माननीय सदस्यों ने संयुक्त समिति में इस विधेयक की पूर्व अवस्था में हुई चर्चा में भाग लिया है वह अब भाग न लेकर अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर दें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : इसका अर्थ यह हुआ कि अब उन सदस्यों को यहां बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मेरा अभिप्राय नहीं समझे। नियम विशेष के अपवाद भी तो सदैव होते हैं।

†**श्री एस० एस० मोरे** : यदि खण्डवार चर्चा के लिये एक घंटा दे दिया जायें तो पर्याप्त रहेगा। तृतीय वाचन के लिये हमें आधे घंटे की भी आवश्यकता नहीं है। अतः हमें सामान्य चर्चा की ओर ही अधिक ध्यान देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा की यह इच्छा है तो मैं इन तीन घंटों को बढ़ाकर चार घंटे कर दूंगा और एक घंटा खण्डवार चर्चा के लिये रखूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह खाद्यान्न को 'विशेष महत्व' वाली वस्तुओं में सम्मिलित करने से सहमत हैं ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : जब द्वितीय विधेयक संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा तब यह निश्चय करना संसद् का कार्य होगा । मैंने एक-दो वस्तुओं को सम्मिलित करने की सम्भावना का संकेत कर दिया है । इस सम्बन्ध में कोई वचन देना मेरे लिये उचित न होगा क्योंकि मैं तो वास्तव में राज्यों का प्रवक्ता हूं । वस्तुतः विक्रय कर लगाने वाले विधेयक पर विचार करते समय संसद् को श्रेणी का विस्तार करने और खाद्यान्न को सम्मिलित करने का अधिकार होगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं कोई वचन नहीं चाहता । मैं तो उनसे केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके विचारानुसार खाद्यान्न के सम्मिलित होने की कोई सम्भावना है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह कहना आसान नहीं है कि आगामी सभा के समक्ष आने वाले विधेयक में खाद्यान्न सम्मिलित होगा या नहीं । वह यह पूछ रहे हैं कि संसद् द्वारा पारित होने वाले आगामी विधान में खाद्यान्न के सम्मिलित होने की सम्भावना है या नहीं । जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैंने राज्य सरकारों को इस मामले में अपने माननीय मित्र तथा अन्य व्यक्तियों के मत भेजने का वचन दिया है । मैं स्वयं कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं जानता कि खाद्यान्न क्यों सम्मिलित न किये जायें । अतः यदि हम संबद्ध राज्य सरकारों को विश्वास दिला सकें, तो सभा के समक्ष आने वाले विधेयक में खाद्यान्न के सम्मिलित होने की सम्भावना है ।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : मेरा एक संशोधन है मैं प्रस्ताव करता हूं :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th July, 1956." ["कि विधेयक पर १५ जुलाई, १९५६ तक मत जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये"]

यह तो सम्भावना नहीं कि माननीय वित्त मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे, परन्तु इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा दृष्टिकोण मूलतः भिन्न है । मैं महसूस करता हूं कि इस मामले पर संयुक्त समिति में भी अपेक्षित मात्रा में विचार नहीं किया गया । मेरा सर्व प्रथम निवेदन यह है कि देश के जनसाधारण का मत जाने बिना हमारा यह विधेयक पारित करना उचित न होगा ।

हमें निर्वाचन में मत एक विशेष आधार पर दिये गये थे । हमने जनसाधारण को बताया था कि हम देश को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं और जीवन स्तरों में वृद्धि करना चाहते हैं । अनुच्छेद २८६ इसी आधार पर अधिनियमित किया गया था । संविधान में यह उपबन्धित करके कि अति आवश्यक वस्तुओं पर केन्द्र का नियंत्रण होना चाहिये निर्धन व्यक्ति को ऐसे करारोपण से बचाया गया था । अब, 'अति आवश्यक' के स्थान पर 'विशेष' शब्द रखा जा रहा है । 'अति आवश्यक' का अर्थ है मनुष्य-जीवन के लिये अति आवश्यक और 'विशेष' में राज्य की आवश्यकता आ जाती है ।

हमने पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और कुछ अन्य कारणों से राज्य सरकारों को पांच वर्षों के लिये विक्रय-कर प्राप्त करने के लिये मान्यता दी थी, परन्तु इसमें कोई औचित्य नहीं है । यही कारण है कि राज्यों के पक्ष में इसमें रूपभेद करने में मुझे कोई औचित्य दिखाई नहीं देता । १९५२ और १९५३ में स्वयं माननीय वित्त मंत्री ने स्थिति का पूर्वानुभव किया था ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री वल्लाथरास]

वह विक्रय-कर विधान में एकरूपता लाना चाहते थे परन्तु राज्य सरकारों ने यह स्वीकार न किया। माननीय वित्त मंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि राज्य उसी बात का अनुसरण करते हैं जो संसद् निश्चित करती है। इस प्रकार संसद् के समक्ष एक ऐसा विधेयक लाना जिससे सारे देश में विक्रय-कर में एकरूपता आ जाये, संसद् के लिये न्यायोचित होगा। यदि माननीय मंत्री अपने आप को सन्तुष्ट और राष्ट्र की इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते कि अनिवार्यतः अति आवश्यक वस्तुएँ राष्ट्र का जीवन हैं और वे यहां माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के अनुकूल रखी जानी चाहियें, तो मैं कहूंगा कि यह भ्रामक विधेयक है, तथा राज्य सरकारों को इच्छानुकूल अप्रतिबंधित, असीमित तथा अनियन्त्रित कर लगाने में समर्थ बनाने के लिये केवल एक धोका है।

जहां तक अति आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य अधिनियमों का सम्बन्ध है, यद्यपि वे आजकल राज्यों में लागू हैं, परन्तु राज्य सरकारें अपनी इच्छानुसार कर लगा रही हैं। ऐसी कर-प्राप्ति आपत्तिजनक है। फिर, इस सबके होते हुये भी हम इस मामले में राज्य विधान-मण्डलों पर नियन्त्रण रखने में असमर्थ हैं। जिस प्रकार मद्रास राज्य में विक्रय-कर का प्रशासन किया जाता है, वह अत्यन्त कठोर है और जनता व राष्ट्र के लिये भयानक है। अभी तो यह सब अच्छा लगता है क्योंकि जनता में योजना-भावना काम कर रही है, परन्तु इन करों का परिणाम बहुत ही दूर-गामी होगा। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि यदि निर्धन के भोजन पर भी कर लगाया जाता है तो यह किसी भी विधानमण्डल के लिये बड़ा अत्याचारात्मक कार्य है।

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान के अधीन कुछ कर अनिवार्य हैं, अर्थात्, खाद्य-सहित अन्तर्राज्यिक वस्तुएँ। माननीय सदस्य राज्य में ही विभिन्न प्रकारों के शुल्कों व करों आदि का निरन्तर उल्लेख कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह सब कहां तक विषयानुकूल है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : माननीय सदस्य का विषय अनुच्छेद २८६ के वर्तमान उप-अनुच्छेद (३) के हटाये जाने की प्रस्थापना के बारे में प्रतीत होता है जिसके अधीन हमने अति आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५२ पारित किया था। फिर भी, उत्तर देते समय मुझे यह बताना पड़ेगा कि यदि यह सारा विधेयक ही समाप्त कर दिया जाये तो भी इससे उस मामले में जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं कोई सहायता न मिलेगी—मद्रास में विक्रय कर का कथित कठोर प्रशासन। परन्तु जैसा कि मैंने संकेत किया था, यह उन राज्यों में से एक है जो संविधान लागू होने से पहिले भी खाद्यान्न पर विक्रय-कर लगाता था।

†**श्री वल्लाथरास** : संविधान न उन्हें कुछ अधिकार दिये हैं और अब वे क्यों छीने जाते हैं ? मद्रास राज्य में एकसूत्री और दोसूत्री करारोपण नहीं है अपितु बहुसूत्री करारोपण है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां की वर्तमान परिस्थितियां भयानक प्रतीत होती हैं। इस संसद् का यह कर्तव्य है कि इन मामलों में हमारी ओर ध्यान दे। सरकार हमें परित्राण सहित यह बताती रही है कि अत्यावश्यक वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जायेगा। यदि आप इसे नहीं जानते तो हमारा कोई आश्रय न रहेगा।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : संविधान के अनुच्छेद २८६ (३) के फलस्वरूप समुदाय के जीवन के लिये अब जो वस्तुयें अत्यावश्यक श्रेणी में रखी गई हैं, उन पर पहले से चले आ रहे कर ही कायम रहेंगे। अतः मद्रास में भी खाद्यान्न पर तीन पाई का बहुसूत्री करारोपण है और उसमें राष्ट्र-पति की अनुमति के बिना वृद्धि नहीं की जा सकती। बिहार में खाद्यान्न पर तीन पाई का एकसूत्री

†मूल अंग्रेजी में।

करारोपण है। यदि इसे तीन पाई से बढ़ाकर छः पाई करना चाहते हैं, या जितना भी चाहें, तो उन्हें अत्यावश्यक वस्तु अधिनियमों के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। अतः पहिले जो कर लगे हुए थे, वह संविधान के अनुच्छेद २८६ (३) के अन्तर्गत कायम रहते हैं।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का यह अर्थ लेना कि समुदाय के जीवन के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं पर कर लगाना पूर्णतया निषिद्ध है, गलत है। राष्ट्रपति की अनुमति से करारोपण किया जा सकता है। माननीय सदस्य ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे यह अर्थ लिया जायेगा कि उस अधिनियम के अधीन कोई करारोपण नहीं हो सकता। यह भी ठीक नहीं है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : संविधान बनाते समय भी हमने संविधान के संशोधन करने में कुछ प्रस्ताव रखे थे। इस सम्बन्ध में कि अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में किसी भी राज्य को कर लगाने का अधिकार, चाहे यह अधिकार उसे पहिले था या नहीं, न होगा, हमें संविधान में संशोधन करने से कौन रोकता है। हम इसे भूतलक्षी प्रभाव देंगे ताकि मद्रास में भी लोग ऐसे करारोपण से मुक्त हो जायेंगे।

†**श्री वल्लाथरास** : माननीय मंत्री ने हमें बताया था कि कुछ सीमा या कर उल्लिखित है और यह बढ़ाया नहीं जा सकता। एक सदस्य ने प्रवर समिति में कहा था कि क्या इस संशोधन की दृष्टि से स्वयं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम अब से संविधि-पुस्तक पर होगा या नहीं। मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

रखे गये संशोधन से यह जानना सम्भव है कि विचार यह है कि अत्यावश्यक वस्तुओं पर कर न लगाया जाये। मैं इस बात से सहमत हूं कि आप योजना के लिये सारे राष्ट्र पर कर लगा सकते हैं। परन्तु मैं यह भी महसूस करता हूं कि लोगों को निर्जीव न समझा जावे। यदि कांग्रेस दल द्वारा संचालित सभा और सरकार उदार दृष्टिकोण अपनाये और मेरे संशोधन के आशय को स्वीकार करे तो इसका अच्छा परिणाम होगा। जहां तक विधेयक के अन्य भाग का सम्बन्ध है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल) : आशा है कि इस विधेयक से वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर सम्बन्धी मतभेद समाप्त हो जायेंगे। यदि अत्यावश्यक वस्तुओं पर कोई कर लगाया जायेगा, तो ऐसा राष्ट्रपति की अनुमति से ही किया जायेगा। फिर, कोई अन्याय या अत्यावश्यक वस्तुओं आदि पर कोई कर न होगा। परन्तु हम देखते हैं कि अत्यावश्यक वस्तुओं पर प्रति वर्ष अनेकों कर लगाये जाते हैं। अतः राज्यों को यह अधिकार देने के बारे में शिकायत में मुझे कोई तत्व दिखाई नहीं देता।

यदि आप एक करोड़ अस्सी लाख कृषि मजदूरों के परिवारों पर ध्यान दें, तो विदित होगा कि उनकी औसत आय राष्ट्रीय औसत आय की आधी है, अर्थात् पांच आना प्रति दिन। निर्धनता बहुत है और वे इन करों का भार नहीं उठा सकते। अतः खाद्यान्न आदि जैसी वस्तुओं पर करारोपण नहीं होना चाहिये। इस बात की क्या गारन्टी है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना करारोपण करने का अधिकार राज्य विधान-मण्डल को न देने पर कर न लगाया जायेगा। केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं पर करारोपण करने का अधिकार दिया था। अतः इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि यदि केन्द्रीय सरकार या इस संसद् को अधिकार दिया जाता है, तो अनुमति नहीं दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश का मामला वस्तुतः कोई तर्क नहीं है क्योंकि वहां इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि यह विधेयक स्वीकृत योजना के रूप में संसद् में प्रस्तुत किया जायेगा । उदाहरणार्थ यदि कर जांच आयोग की सिफारिशें पूर्णतया स्वीकार न की जातीं, तो हम अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५२ के अधीन अपने उत्तरदायित्वों को भिन्न दृष्टि से देखते ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : करारोपण की प्रक्रिया कुछ भी हो, परन्तु हमारा तात्पर्य तो यह है कि अत्यावश्यक वस्तुओं पर अनुचित करारोपण न हो । दूसरी बात प्राप्त होने वाली कर राशि के बटवारे के सम्बन्ध में है ।

यह एक महत्वपूर्ण बात है । जब केन्द्रीय सरकार माल के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर कर लगाती है तो उसे राज्यों के उचित अंश को भी उन्हें देना चाहिये ताकि राज्य अपना ठीक विकास कर सकें ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : संस्थापन व्यय को छोड़कर शेष भाग राज्य को ही दिया जाता है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : पर इसके लिये एक कानून बनाना आवश्यक होगा ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यदि माननीय सदस्य अनुच्छेद २६९ देखेंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि वास्तविक वितरण तो संसद् द्वारा बनाये गये वितरण सिद्धांतों के अनुसार ही किया जाना चाहिये ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : अतः एक कानून बनाना पड़ेगा । इस विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि राज्यों के बारे में उचित वितरण का ध्यान रखा जाय ।

करारोपण जांच समिति के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बिक्री-कर के क्षेत्राधिकार पर राज्यों को पूरा अधिकार होना चाहिये । बढ़ती हुई वित्तीय कठिनाइयों की दृष्टि में राज्य अधिक से अधिक वस्तुओं पर कर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं । चूंकि हम अत्यावश्यक वस्तुओं को कर-मुक्त करने का विचार कर रहे हैं, अतः सरकार को चाहिये कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि राज्य एक उचित सीमा तक ही कर लगायें ।

एक बात और है कि एक ही वस्तु पर विभिन्न राज्यों में लगाये गये करों की दर में अन्तर होने के कारण कई कठिनाइयां पैदा हो गयी थीं और कई स्थानों पर चोरी से माल भी आने-जाने लगा । अतः सभी राज्यों में करों में समानता लाने के लिये कुछ न कुछ प्रबन्ध अवश्य किया जाना चाहिये ।

इस संशोधन द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि यद्यपि इसके पारित होने के पश्चात् अत्यावश्यक पण्य अधिनियम प्रचलन-हीन हो जायेगा, परन्तु अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कुछ वस्तुएँ विशेष महत्व की घोषित की जा सकती हैं । इस प्रकार सरकार कुछ वस्तुओं को ऐसी वस्तुएँ घोषित कर सकती है और उसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से एकरूपता लाई जा सकती है । मैं सभा के समक्ष यही बातें रखना चाहता था । यद्यपि हम यह नहीं चाहते कि

†मूल अंग्रेजी में ।

अत्यावश्यक वस्तुओं आदि पर कर लगाये जायें परन्तु यह स्वीकार करना होगा कि जहां तक विधि के निर्वचन का सम्बन्ध है, यह एक प्रकार का सुधार होगा ।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : मैं संयुक्त समिति के सभापति के रूप में यह बताने के लिये खड़ा हुआ हूं कि वे कौन से कारण हैं जिनके फलस्वरूप समिति ने लगभग सर्व सम्मति से विधेयक को प्रस्तावित रूप में स्वीकार किया है। इसमें सन्देह नहीं है कि सारा देश चाहता है कि खाद्य पदार्थों पर एक सा करारोपण हो और समाज को जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह अधिक मंहगी न हों। प्रत्येक राज्य में, बहुत से खाद्य पदाथों पर करारोपण के बहुत से अधिनियम पारित किये हैं। संविधान के अधीन वे विधियां जो पारित हो चुकी हैं, उनके रूप-परिवर्तन या संशोधन, संसद् या रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किये जाने की कोई संभावना नहीं है सिवाय इसके कि जनसाधारण के हित में एकरूपता स्वीकार करने के लिये स्वयं राज्य को आगे बढ़ना चाहिये। वर्तमान स्थिति यही है।

फिर, करारोपण जांचसमिति का प्रतिवेदन आया। उसने अपनी सिफारिशों का आधार यह बताया कि जहां तक करारोपण का सम्बन्ध है खाद्य पदार्थों तथा अत्यावश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध राज्य से ही होना चाहिये, परन्तु प्रश्न यह है कि हमने आजकल लोकतंत्र को अपना ध्येय बना रखा है। यदि प्रत्येक राज्य अत्यावश्यक वस्तुओं पर कर लगाता है और उन्हें महंगा बना देता है तो लोकतंत्र का जीवित रहना असम्भव हो जायेगा। अतः राज्यों की अपने मतदाताओं और प्रजा के प्रति एक जिम्मेदारी है। इसमें सन्देह नहीं कि हम एकरूपता प्राप्त करने के बहुत इच्छक हैं परन्तु क्या प्रत्येक राज्य के बारे में हमीं निर्णय करेंगे। संविधान के अधीन क्या हमें यह अधिकार प्राप्त है ? नहीं आपको यह अधिकार नहीं है। अतः यदि आप चाहते हैं कि आपको समस्त भारत में करारोपण में एकरूपता रखने का अधिकार प्राप्त हो तो उसका अर्थ यह है कि हमें संविधान की राज्य तथा संघ-सूची में ठीक प्रकार से संशोधन करना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में यह भी आवश्यक है कि सभी राज्य उससे सहमत हों।

यह बात हम सभी को मालूम है कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के पास होने के बाद से राज्यों के अधिकारों पर कुछ रोक लग गई है। पर यह कानून जो हम बनाने जा रहे हैं वर्तमान अधिकारों को प्रभावशून्य बनाता है। वित्त मंत्री ने जैसा बताया था कि इस कानून की भाषा जैसी है उसके अनुसार उन ६ मदों के अतिरिक्त अन्य मदों को भी सम्मिलित करना संभव होगा। मैं भी समझता हूं कि यह बिल्कुल संभव है।

मान लीजिये एक राज्य कुछ वस्तुओं पर कर लगाता ही जाता है, पर जब वह सामान कुछ अन्य राज्यों को जाता है तो वहां पर दोनों राज्यों में उस वस्तु पर लगाये गये करों की एकरूपता की समस्या उत्पन्न होती है। यह राज्यों का मामला है। इस दृष्टि से उन विषयों के अलावा जिनके बारे में संयुक्त समिति ने सिफारिश की है अन्य विषयों को भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाना चाहिये। वस्तुतः यह अधिकार संसद् के हाथों में ही है और उसे ही यह करना पड़ेगा।

हमें यहां पर ऐसा कानून बनाना है जो सभी राज्यों को स्वीकार हो। कोई भी राज्य अपना अधिकार दूसरों को सौंपने के लिये तैयार नहीं है। इसी कारण संयुक्त समिति इस निश्चय पर पहुंची कि वर्तमान अवस्था एकरूपता के लिये सहायक नहीं है। अब एकरूपता स्थापित करने का उत्तरदायित्व इसी संसद् पर है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारा क्षेत्र कुछ मानों में ही सीमित है पर हम राज्यों को जो अधिकार देते हैं, वह यह समझ कर देते हैं कि राज्य उसका ठीक से उपयोग करें।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री राघवाचारी]

वर्तमान भाषा, जो कानून की है, के अनुसार कई नई चीजों को भी उसमें सम्मिलित किया जा सकता है। इसी कारण संयुक्त समिति ने यह निश्चय किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पंडित ठाकुर दास भार्गव।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जब संविधान बनाया जा रहा था तो एक अनुच्छेद १६ रखा गया था उसके साथ ही अनुच्छेद २४३, २४४ और २४५ भी थे। पर द्वितीय वाचन अवस्था में हमने उन अनुच्छेदों के स्थान पर वर्तमान अनुच्छेद संख्या ३०१ की व्यवस्था की थी। इस अनुच्छेद में भी कहा गया है कि इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य आदि की स्वतन्त्रता होगी। मैं चाहूंगा कि "इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन" शब्दों पर भली भांति ध्यान दिया जाये। यह इस भाग के अनुच्छेद ३०२, ३०३, ३०४ आदि के अधीन है।

भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में यद्यपि भारत कई भागों में बटा हुआ है, व्यापार वाणिज्य आदि की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। सारा भारत एक इकाई है।

अनुच्छेद ३०२ के अनुसार संसद् ऐसा कानून तभी पारित कर सकती है, जब वह लोक-हित में हो। अनुच्छेद ३०३ को देखने पर पता चलता है कि संसद् भी ऐसा कानून पारित नहीं कर सकती है जो देश के विभिन्न भागों में विभेद उत्पन्न करने वाला हो। अनुच्छेद ३०४ को देखने पर पता चलता है कि राज्य विधानमण्डलों पर भी इस प्रकार के बन्धन लगे हुए हैं, क्योंकि उस अनुच्छेद में बताया गया है :

> "अनुच्छेद ३०१ या अनुच्छेद ३०३ में किसी बात के होते हुए भी राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा—
>
> (क) अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर आरोपित कर सकेगा जो कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित वैसी ही वस्तुओं पर लगता हो किन्तु इस प्रकार कि उससे इस तरह आयात की गई वस्तुओं तथा ऐसी निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न हो; तथा
>
> (ख) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन आरोपित कर सकेगा जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हों :
>
> परन्तु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना राज्य के विधानमंडल में पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।"

संविधान के बनाने वालों का मूल उद्देश्य यह था कि जहां तक संभव हो सारा व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतन्त्र रहे। केवल राज्य विधानमंडल केन्द्र की अनुमति से कुछ युक्तियुक्त निर्बन्धन लगा सकते थे। कराधान जांच आयोग ने अब उनको पूर्णाधिकार प्रदान कर दिया है। किन्तु यह संविधान के विरुद्ध है। भाग १३ संविधान के किसी अन्य भाग के अधीन नहीं है; यह एक स्वतन्त्र भाग है। वह इन शब्दों में है "इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए"। यह एक वादास्पद अधिकार है और वादास्पद अधिकारों की सूची में रखा गया था, किन्तु बाद में क्रम बदल दिया गया था। संविधान-सभा में जब इन अनुच्छेदों पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने उदाहरण देकर यह बताया था कि विभिन्न राज्यों में इसका क्या परिणाम हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं इस सम्बन्ध में भी दो एक उदाहरण दे सकता हूं कि वर्तमान विधि से देश में व्यापार और वाणिज्य को कितना नुकसान हुआ है। दिल्ली में सब चीजों पर बिक्री-कर की दरें पंजाब और उत्तर प्रदेश से भिन्न हैं, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब के आस-पास की जगहों के लोग दिल्ली आते हैं और सामान खरीदकर ले जाते हैं। सब चीजों पर समान बिक्री कर होने से सारा व्यापार दिल्ली में केन्द्रित है। यह जो कुछ मैंने कहा वह केवल यह दिखाने को कहा है कि देश में इस सम्बन्ध में कोई एकरूपता नहीं है। जिस सम्बन्ध में मैंने अपने संशोधन भेजे हैं, वह विषय दूसरा है। अनुच्छेद २८६ में केवल अन्तर्राज्यिक व्यापार की बात कही गई है। सारे देश में एकता लाने के लिये यह आवश्यक है कि सारे देश में एक-सी विधियां व एक से कर लागू हों। अनुच्छेद १४ के अनुसार प्रत्येक पर एक-सा ही कर लगना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि भाखड़ा बांध इत्यादि विभिन्न परियोजनाओं का क्या प्रयोजन है, यदि सारे देश को इनसे फायदा नहीं पहुंचता। यदि पंजाब में चना ६ रुपये मन बिके और बंगाल तथा मद्रास में ४२ रुपये मन, तो फिर इस देश को एक कैसे कहा जा सकता है? यदि हम एक देश, एक राष्ट्र की बात कहते हैं, तो जहां तक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का प्रश्न है, उन सब की सारे देश में एक ही दर होनी चाहिये, हां यातायात में जो खर्चा लग जाये, उसका अवश्य ध्यान रखा जा सकता है।

श्री वल्लाथरास ने अभी बताया कि मद्रास में जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर भी कर लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय सरकार ने अनुमति दी थी। यदि आप हमारी राय मानें, तो आपको राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिये। पहले आपको संसद् की राय ले लेनी चाहिये। हमने अनुच्छेद २८६ में यह उपबन्ध केवल इसलिये किया कि आप जीवन की आवश्यक वस्तुओं के बारे में अपनी शक्तियों का उपयोग इस तरह से करें, जिससे गरीब लोगों पर करों का भार न पड़े। मैं आपकी सारी योजनाओं के पक्ष में हूं और मैं सर जान मथाई की यह बात मानने को भी तैयार हूं कि जनसाधारण पर कर लगना चाहिये। किन्तु इस बात से मैं कभी भी सहमत नहीं हो सकता कि गरीब आदमी के जीवन की आवश्यकताओं पर भी कर लगे। मुझे इसमें सन्देह है कि माननीय वित्त मंत्री अथवा डा० जान मथाई गरीब लोगों की कठिनाइयों से परिचित होंगे।

मैं आपकी विकास योजनाओं की परवाह नहीं करता, यद्यपि मैं भी आप लोगों के साथ-साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता की कामना करता हूं। ब्रिटिश काल में हम लोग कहा करते थे कि लोगों को दिन में दो समय खाना नहीं मिलता। क्या यह स्थिति बदल गई है? राज्य बैंक विधेयक पर चर्चा के दौरान में एक माननीय मंत्री ने बताया था कि उड़ीसा में एक आदमी की एक दिन की औसत आय ५ आने पड़ती है। क्या आप इन लोगों पर कर लगाना चाहते हैं? मुझे तो आपकी विकास योजनाओं के स्थान पर इस बात में दिलचस्पी है कि इन लोगों के लिये दो समय भोजन मिले। आप लोगों से त्याग करने को कहते हैं, किन्तु जो लोग केवल पांच या साढ़े-पांच आने प्रति दिन ही पा रहे हैं, क्या उन पर कर लगाया जा सकता है?

जहां तक एकरूपता का सम्बन्ध है करारोपण जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार माननीय वित्त मंत्री कुछ भी अधिकार दे सकते हैं, किन्तु यदि वे उन अधिकारों को देते हैं, जो गरीब लोगों की रक्षा के लिये हैं, तो वह ठीक नहीं।

जहां तक अनुच्छेद २८६ (३) का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि इसको संविधान में इसी रूप में रखा जाये। हम उस अधिकार से वंचित नहीं होना चाहते। सब सरकार का यह देखने की पूरी जिम्मेदारी है कि निदेशक-तत्वों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। आप करों द्वारा ४५० करोड़

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

रुपये एकत्र करना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं यह नहीं चाहता कि जीवन की आवश्यकताओं पर भी कर लगाया जाये। मेरे और आपके बीच केवल यही मतभेद की बात है। मैंने कुछ संशोधनों की सूचना दी है। मैं निवेदन करूंगा कि संशोधन संख्या ७ पर कृपया गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाय। आपको अधिकार अपने हाथ में लेना चाहिये, राज्य उससे सहमत हों अथवा न हों। अन्ततः उन्हें सहमत होना पड़ेगा। यह सुझाव देना गलत है कि राज्य सहमत नहीं होंगे। आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं। अधिकारों का विभाजन इस प्रकार होना चाहिये जिससे गरीब आदमी को परेशानी न हो। वित्त मंत्री के प्रारम्भिक भाषण से संकेत मिलता है कि वह खाद्यान्नों पर कर न लगाने के विरुद्ध नहीं हैं। श्री एम० सी० शाह भी इसके लिये आतुर हैं कि गरीब आदमियों के हितों की रक्षा हो। मुझे आशा है कि वे खाद्यान्नों, मोटा कपड़ा, मिट्टी का तेल, चारा इत्यादि चार या पांच चीजों पर कर न लगाने के लिये सहमत हो जायेंगे। श्री जान मथाई भी हृदय से यही चाहते हैं कि कर लगाये जाने वाली वस्तुओं की सूची में खाद्यान्न न रखे जायें।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दूसरे दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न पर विचार किया जाये। आपने खाद्यान्न के अलावा विशेष महत्व की चीजों के बारे में कहा। क्या यह सच नहीं है कि जहां तक अन्तर्राज्यिक व्यापार का सम्बन्ध है भारत के सभी भागों में खाद्यान्न अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु है? फिर आपको खाद्यान्नों को सम्मिलित करने में क्या संकोच हो सकता है? राज्य आपका अनुकरण करेंगे। हम यह नहीं कह रहे कि आपको यह संशोधन नहीं करना चाहिये।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैंने यह कहा था कि अनुच्छेद ३६८ के अधीन इसे राज्यों के पास अनुसमर्थन के लिये जाना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि खण्ड (३) इसी रूप में कायम रखा जाये, तो राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह ठीक है कि राज्य शेष विधेयक का अनुसमर्थन कर। यदि राज्यों के साथ ऐसा कोई समझौता है कि यह वह योजना है, जिसको हम प्रस्तुत करेंगे, तो राज्य यह कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें अत्यावश्यक वस्तु सम्बन्धी खण्ड सम्मिलित है, अतः हम इसका अनुसमर्थन नहीं करते।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्ततः अब भी अनुच्छेद २८६ (२) के अधीन संसद् करों पर निर्बन्धन लगा सकती है। इसके अलावा और कोई फायदा नहीं है कि अब राज्य भी कर लगा सकेंगे। यदि केन्द्र द्वारा ही कर लगाये जायें, तो उनको राज्यों में विभाजित करना पड़ता है। यदि यह विधेयक हटा दिया जाये और खण्ड (३) रखा जाये, तो राज्यों को नुकसान होता है, केन्द्र को कोई हानि या लाभ नहीं होता।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : ऐसा ही है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वस्तुतः, माननीय वित्त मंत्री राज्यों को स्वाधीनता देना चाहते हैं क्या वही स्वाधीनता इस सभा को भी दी जा सकती है?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं इसका तात्पर्य नहीं समझा। सभा कोई भी विधान पारित कर सकती है और जैसा कि मैंने कहा, राज्य यह कह सकते हैं कि हम इसका अनुसमथन नहीं करते। यदि वे देखते हैं कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उनको वही शिकायत रहेगी, जो कि उनको

†मूल अंग्रेजी में।

१९५२ के अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के पूर्व थी। हम यह कह सकते हैं कि जहां तक सांविधानिक स्थिति का सम्बन्ध है, हम जहां थे वहीं हैं और संसद् ने अपने अधिकारों का उपयोग किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप राज्यों को अपने साथ लेना चाहते हैं।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : जी, हां। हम वित्तीय समस्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : माननीय वित्त मंत्री राज्यों को यह स्वाधीनता देने को आतुर हैं। यदि व यह तर्क उपस्थित न करें कि उन्होंने राज्यों के साथ कुछ समझौता-सा कर लिया है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि १०० में से ९९ प्रतिशत सदस्य इस विधान का विरोध करेंगे।

श्री राघवाचारी ने बताया कि राज्य स्वयं उत्तरदायित्वपूर्ण हैं और वे स्वयं किसी ऐसी चीज पर कर नहीं लगायेंगे, जिससे उन पर बुराई आये। मैं कहता हूं कि देश के ९९·९ प्रतिशत लोग जीवन की आवश्यकताओं पर कर लगाये जाने का विरोध करेंगे। हमें संविधान को इस रूप में संशोधित करना चाहिये जिससे देश में कहीं पर भी जीवन की आवश्यकताओं पर कर न लग सके। मैंने संशोधन संख्या ७ की सूचना दी है जिसमें बताया गया है कि अन्य चीजों के अलावा, विशेष महत्व की इन चीजों के बारे में सरकार को यह अधिकार सौंपा जाना चाहिये, जिससे सारे राज्यों में कर सम्बन्धी एकरूपता कायम हो जाये। मैं समझता हूं कि यदि यह संशोधन हो जाता है, तो आप अत्यावश्यक वस्तुओं की दरों इत्यादि के बारे में पूर्ण नियंत्रण रख सकेंगे। मैं केवल इतना चाहता हूं कि सारे देश में एक से ही कर हों। आपका भी यही सिद्धांत है। मैं केवल वही करने को कह रहा हूं जिसको आप करते आये हैं। हमारी राय में अनुच्छेद २८६ (३) को नहीं बदला जाना चाहिये। आपके पास ऐसा अधिकार होना चाहिये, जिससे मद्रास तथा अन्य स्थानों में जीवन की आवश्यकताओं पर कर न लग सके। दूसरे, यदि इस विधेयक को पारित करना अत्यावश्यक ही हो तो फिर राज्यों से इस सम्बन्ध में कहना चाहिये कि वे जीवन की आवश्यकताओं पर कर न लगायें। वे भी यही चाहते हैं वे उनके मुट्ठी में हैं। यदि वह नमक और मिट्टी के तेल जैसी एक-दो वस्तुओं को निकाल भी दें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु अनाज, मोटा कपड़ा और चारे को अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिये। यह सम्भव है कि इन वस्तुओं पर कर लगाया जाये, परन्तु इस सीमा तक कर नहीं लगाया जायेगा कि जिससे लोगों का देश में रहना कठिन हो जाये, क्योंकि कर की दर आदि निश्चित करना राज्यों के नहीं बल्कि वित्त मंत्री के हाथों में होगा।

जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है वे बहुत कठिन स्थिति में हैं। पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये केन्द्र उनसे धन की मांग करता है। इस स्थिति में उन्हें निर्धन व्यक्ति पर कर लगाना पड़ता है। इस देश में निर्धनता की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि जीवन की सामान्य आवश्यकताओं पर आपको करारोपण नहीं करना चाहिये।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं इस विशिष्ट समस्या की संविधान के दृष्टिकोण से चर्चा करना चाहता हूं। परन्तु इस से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रतिवेदन में चार टिप्पणियां और कुछ विमति टिप्पणियां संलग्न हैं। हमारे प्रक्रिया नियमों के नियम ११२ के अधीन प्रवर समिति के प्रतिवेदन में विमति टिम्पणियां हो सकती हैं, परन्तु टिप्पणियां नहीं परन्तु संयुक्त समिति के इस प्रतिवेदन में चार टिप्पणियां संलग्न हैं। ये वास्तव में विमति टिप्पणियां ही हैं परन्तु इन्हें टिप्पणियां क्यों कहा गया है और इन्हें किस उपबन्ध के अधीन स्वीकार किया गया है यह बात मैं नहीं समझ सका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एस० एस० मोरे]

मैं इस विधान का स्वागत करता हूं। जब संविधान बनाया गया था तब स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी। इसीलिये ऐसा संविधान बनाया गया जो एक प्रकार की एकरूपता ला सके और राज्यों को केन्द्रीय सरकार के अधीन रख सके। जहां कहीं राज्यों को कोई सत्ता प्रदान भी की गई थी, वहां पर केन्द्रीय सरकार या संसद् को नियन्त्रण रखने का अधिकार भी दिया गया था। अब संविधान को बने हुए छः या सात वर्ष बीत चुके हैं और अब हमें इस प्रश्न का निर्णय करना है कि क्या संविधान में कोई परिवर्तन किया जाना चाहिये या नहीं। मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि एकरूपता बनाये रखने के लिये केन्द्र को पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये परन्तु मूल प्रश्न यह है कि क्या सारे देश में एक-रूपता की आवश्यकता का अर्थ यह है कि राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाये ?

जब कांग्रेस विरोधी दल के रूप में थी तो हम यह कहा करते थे कि राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां दी जानी चाहियें और केन्द्रीय सरकार के लिये तीन शक्तियां सुरक्षित की जानी चाहियें। ज्यों ही हमने सत्ता संभाली, तो हमने अनुच्छेद २४८ तथा प्रविष्टि संख्या ९७ संविधान में रख कर सभी अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र को सौंप दी। यदि हम सूची संख्या २ तथा तत्सम्बन्धी उपबन्धों को देखें तो हमें मालूम होगा कि हम प्रत्येक स्थान पर कितनी ही पाबन्दियां लगा रहे हैं। कुछ विधानों के लिये या तो राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है या राष्ट्रपति की मंजूरी अवश्य ही होनी चाहिये और बहुत से मामलों में संसद् को निर्बन्धन निर्धारित करने पड़े हैं। राज्य तो केन्द्रीय सरकार की छायामात्र बन कर रह गये हैं। इस समय हमें यह निर्णय करना है कि क्या हम एकात्मक पद्धति की सरकार चाहते हैं या और किसी प्रकार की सरकार चाहते हैं और उसके अनुसार हमें अपने संविधान में परिवर्तन करना चाहिये।

मैं यह नहीं चाहता कि बारंबार संविधान में संशोधन किया जाय। जब संविधान बनाया गया था तो प्रशासन की सारी व्यवस्था में एक प्रकार का संतुलन बनाये रखने के लिये कुछ रोध-प्रतिरोध रखे गये थे। अब हम इन रोधों को हटा रहे हैं और जबकि प्रतिरोध संविधान में उस रूप से वर्तमान हैं। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण वस्तु बहुत ही असंतुलित हो गई है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो यह देखे कि आवश्यक संशोधन क्या ह और संविधान के कौन से भाग संविधान में से निकाल देने चाहियें।

मैं इस विधान का इसलिये स्वागत करता हूं कि यह वास्तव में एक विकेन्द्रीकरण विधान है। यदि आप राज्यों के अस्तित्व को सहन करते हैं तो हमें उन्हें शक्तिशाली भी बनाना चाहिये। यदि किसी व्यक्ति की आग पर कर लगाया जाता है तो इसका उस पर अधिक प्रभाव नहीं होता है परन्तु यदि आप रोटी और कपड़े पर करारोपण करेंगे तो हमें यह बात तुरन्त ही चुभेगी। आप राज्यों को इस बात का निर्णय करने दें कि क्या अनाज पर, उर्वरक पर तथा अन्य वस्तुओं पर करारोपण किया जाये या नहीं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जहां तक सारभूत वस्तुओं पर करारोपण का सम्बन्ध है, संसद् का अधिकार त्यागना विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण से एक प्रशंसनीय कार्यवाही है। हम इस प्रकार राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत करते हैं।

उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश में लगाये गये बिक्री कर को ही लीजिये। केवल बिक्री कर के कारण कई उपचुनावों में कांग्रस को पराजय हुई है। यदि किसी और कर की बात होती तो लोग इस सीमा तक उसका विरोध न करते।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : आप इस विधान द्वारा उपचुनाव जीतना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव लोकतंत्रवादी हैं और वह चाहे कुछ भी कहें, वह लोकतंत्रात्मक ढंगों से विरोधी दलों को चुनाव जीतने देंगे ।

मेरा निवेदन यह है कि जहां तक इस सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सम्बन्ध है मैं इस विधान का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे राज्य सरकारें अधिक जिम्मेदार बन जायेंगी ।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं । यद्यपि इस समय सभी राज्यों में एक ही दल सत्तारूढ़ है और वही दल केन्द्र में भी सत्तारूढ़ है तथापि ऐसा भी हो सकता है कि अगले आम चुनावों के बाद 'क' या 'ख' राज्य में एक दल की सत्ता हो जाय और 'ग' या 'घ' राज्य में अन्य दल सत्तारूढ़ हो जाये और केन्द्र में एक तीसरा दल सत्तारूढ़ हो । तब फिर इस स्थिति में क्या होगा ?

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यदि हम अनुच्छेद २८६ (३) को वैसे ही रहने दें, तब तो राज्य को हर बार राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी । इसके परिणामस्वरूप एक संघर्ष सा प्रारम्भ हो जायेगा । राज्य में सत्तारूढ़ दल कुछ बातों के लिये प्रयत्न करेगा और राष्ट्रपति केन्द्रीय सरकार के परामर्श पर कुछ और ही करते रहेंगे । इसलिये इस झगड़े को दूर करने के लिये तथा सम्पूर्ण कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि इन सारभूत वस्तुओं के बारे में शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाये ।

मैं फेडरेशन (संधान) के पक्ष में हूं । मैं चाहता हूं कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाय और राज्यों को अधिक से अधिक सशक्त बनाया जाये । अतः मैं संविधान में करों के बंटन के बारे में दी गयी योजना से सहमत नहीं हूं । केन्द्रीय सरकार इस उत्तरदायित्व को व्यर्थ में ही सम्भाल रही है । यह एक अनुचित बात है ।

इसलिये मेरा यह कथन है कि हमें सभी करों को राज्यों तथा केन्द्र में स्पष्टतः बांट देना चाहिये ? और फिर वे अपने-अपने करों के बारे में जिम्मेवार रहें । राज्यों से सम्बन्ध रखने वाले करों का उत्तर-दायित्व राज्यों पर ही हो ।

इसलिये राज्यों में उतरदायित्व की भावना फैलाने के लिये, और मतदाताओं के मन में यह विश्वास उत्पन्न करने के लिये कि करों के बारें में निर्णय उनकी अपनी सरकार ही कर रही है, यह आवश्यक है कि संविधान का संशोधन किया जाये, और एक ऐसी स्पष्ट योजना बनाई जाये, जिसके द्वारा कर सम्बन्धी शक्तियां उचित प्रकार से बांटी जा सकें ।

हमें इस बात को स्पष्टतया समझ लेना चाहिये कि करों का सारा भार वहन तो गरीब आदमी को करना पड़ता है । कर अदा करने का बोझ न तो केन्द्रीय सरकार पर है और न ही राज्य सरकार पर है । उसकी जिम्मेवारी स्थानीय संस्थाओं पर होती है, और वे सारा कर जनता से प्राप्त करते हैं । कर के भारी बोझ के नीचे गरीब किसान ही अधिकतर पिसता है, परन्तु उसकी कठिनाई को कोई भी अनुभव नहीं करता ।

इन गरीब और अनपढ़ किसानों की दुर्दशा को देखते हुए, और उन्हें कष्टों तथा शोषण से बचाने की दृष्टि से मेरा यह निवेदन है कि यदि हम देश में सच्चा लोक-तन्त्र राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने संविधान का संशोधन करके ऐसी विधि बनायें, जिससे अत्याचारों का नाश करके देश में सच्चा लोक-तन्त्र राज्य स्थापित किया जा सके । उसके लिये यह अत्यावश्यक

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री एस० एस० मोरे]

है कि कर सम्बन्धी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाये। हमें पारस्परिक भेद-भावों को भुला कर सारे राष्ट्र के उत्थान के लिये मिलजुल कर काम करना चाहिये। हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान देना है कि गरीब तथा दुःखी किसानों को शीघ्रातिशीघ्र ऐसा अवसर मिले जब कि वे सुख और संतोष की सांस ले सकें।

उस दृष्टि से मैं इस विधान का स्वागत करता हूं। क्योंकि विकेन्द्रीकरण इस विधान का प्रतिफल है, इसलिये मैं इस विधान का स्वागत करता हूं।

†**श्री बर्मन** (उत्तरी बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैंने आज ही एक संशोधन की सूचना दी है। मैं संविधान के संशोधन का पूर्णरूपेण समर्थन करता हुआ भी अनुच्छेद २८६ के खण्ड ३ के निकाल दिये जाने के विरुद्ध हूं।

यह कहा गया है कि जहां तक जीवन की सारभूत वस्तुओं का सम्बन्ध है उन पर राज्यों का नियन्त्रण होना चाहिय, श्री राघवाचारी ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि राज्यों को इस सम्बन्ध में शक्ति दे देने से वे अन्य राज्यों का शोषण करेंगे। उदाहरणार्थ मान लो कि किसी राज्य विशेष में गन्ने की उपज की बहुतायत है, वह चीनी पर अधिक से अधिक कर लगा कर अन्य राज्यों के लोगों का शोषण कर सकता है। वहां के अपने राज्य के लोगों का कोई शोषण नहीं होगा, क्योंकि कर के रूप में दिया हुआ धन उनके अपने राज्य के विकास पर ही लगेगा।

इसलिये मैं श्री राघवाचारी के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं और इसीलिये मैंने जीवन की सारभूत वस्तुओं के बारे में एक प्रस्थापना प्रस्तुत की है। मेरी प्रस्थापना यह है कि जीवन की सारभूत वस्तुओं के बारे में राज्य ही कर लगायें, परन्तु उसके लिये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसीलिये मैंने इस संशोधन की सूचना दी है जो कि यथावसर प्रस्तुत किया जायेगा।

हम अनुभव करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में यद्यपि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ गयी है, परन्तु वास्तव में जनता की व्यय क्षमता उस सीमा तक नहीं बढ़ी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि अतिरिक्त आय को देश के उद्योगों, कृषि तथा अन्य वस्तुओं पर लगा दिया जाय और निर्धन लोगों को इन करों से मुक्त कर दिया जाये।

इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि योजना की कार्यान्विति के लिये देश के अन्य लोगों पर भले ही कर लगाइये, परन्तु निर्धन लोगों को करों के भार से मुक्त कर दिया जाये। यदि हमने एक बार भी जीवन की सारभूत वस्तुओं, जैसे खाद्यान्न, मोटे कपड़े आदि पर कर लगने दिया, तो उसका सारा भार मध्यम श्रेणी तथा निम्न श्रेणी के लोगों पर पड़ेगा। जिसे वे सहन न कर सकेंगे और उसके कारण उन लोगों में निराशा ही निराशा छा जायेगी।

इसलिये राज्यों को कौन-कौन से कर लगाने की अनुमति दी जाये; इसका निर्णय करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी राज्य किसी भी सारभूत वस्तु पर कर न बढ़ायें। अतः मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद संख्या २८६ के खण्ड (३) को किसी न किसी रूप में अवश्य रहने दिया जाये।

वित्त मंत्री ने यह कहा है कि इन खाद्यान्नों को खण्ड ४ के उपखण्ड (३) की परिभाषा से बाहर नहीं छोड़ दिया गया है। परन्तु उसके शब्दों से तो यही प्रकट होता है कि उन्हें छोड़ दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में।

जहां तक खण्ड ४ के उपखण्ड (३) का सम्बन्ध है, उसमें अन्तर्राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के लिये आवश्यक वस्तुओं जैसे इस्पात का उपबन्ध है उसके बारे में यह खण्ड लागू हो सकता है किन्तु मैं समझता हूं कि खाद्यान्नों के बारे में बराबर यह सन्देह बना रहेगा कि खण्ड ४ के उपखण्ड (३) में उनके लिये उपबन्ध किया गया है या नहीं ।

श्री बंसल (झज्जर–रेवाड़ी) : मुझे बहुत इस विधेयक पर कहना नहीं है क्योंकि जब पहले यह प्रस्ताव इस सदन के सामने आया था तब जो कुछ मुझे कहना था वह मैंने कह दिया था । मुझे अफसोस इस बात का है कि बावजूद इसके कि इस सारे सदन में हर एक तरफ से यह आवाज उठी है कि यह विधेयक अच्छा नहीं है फिर भी सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) ने इसको उसी रूप में एडाप्ट (स्वीकार) करके वापिस भेजा है । इसमें इतने ज्यादा मिनिट आफ डिसेंट (विमति टिप्पण) हैं और यहां जितनी भी तकरीरें हुई हैं, उनसे तो यही मालूम पड़ता है कि यहां हम इस सदन में कुछ भी कहें, सरकार के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं होता ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सेल्स टैक्स (बिक्री कर) का मसला ऐसा पेचीदा मसला रहा है और एक ऐसी उथलपुथल व्यापार में मचाई है कि बहुत दिनों से लोग आशा लगाये बैठे थे कि कभी न कभी तो सरकार के कान पर जूं रेंगेगी और सेल्स टैक्स में जो गड़बड़ियां हमारे देश में होती आई हैं, वे ठीक होंगी, आशा थी कि यह जो टैक्सेशन इनक्वायरी कमिशन (कर जांच आयोग) बना था, उसकी रिपोर्ट आने के बाद सरकार यहां पर एक ऐसा विधेयक लायेगी जिससे कुछ न कुछ सुविधायें सेल्स टैक्स के बारे में लोगों को मिलेंगी, उनके लिये बहुत दिन इन्तजार किया मगर लगता ऐसा है कि खोदा पहाड़ और निकला एक छछूंदर——

एक माननीय सदस्य : चूहा ।

श्री बंसल : चूहा नहीं छछूंदर निकला ।

उपाध्यक्ष महोदय : चुहिया तो हमेशा निलकती है, इस वक्त छछूंदर निकला है ।

श्री बंसल : मैंने छंछूदर जान बूझकर कहा है क्योंकि चूहा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता है लेकिन छछूंदर काफी नुकसान पहुंचाता है और यह इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि किसी तरफ से भी चाहे इस तरफ या उस तरफ से किसी ने भी इस सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का समर्थन आज इस सदन में नहीं किया.....

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर): करना भी तो नहीं चाहिये ।

श्री बंसल : और समर्थन क्यों नहीं किया उसकी वजह मैं आपको बतलाना चाहता हूं । पहले तो हमने जो एक बड़ी अच्छी हमारे कांस्टीट्यूशन में २८६ (३) धारा थी कि इस सदन को इस बात का हक होगा कि वह एक लिस्ट ऐसी चीजों की बनाये कि जिसके ऊपर हमारे देश के रहने वालों का जीवन निर्भर हो और उन चीजों के ऊपर जो प्रान्तीय सरकारों का टैक्स लगाने का हक है वह किसी हद तक सीमित कर दिया जाय, उसको हम आज हटा रहे हैं । हमारे वित्त मंत्री महोदय ने आज कहा कि उसको हटाया इसलिये जा रहा है कि उसके मातहत जो हमने यहां विधेयक पास किया था उससे कोई विशेष असर हमारे सेल्स टैक्स के ऊपर नहीं पड़ा । उन्होंने बताया कि प्रान्तीय सरकारों ने जो टैक्स इस कांस्टीट्यूशन (संविधान) से पहले लगाये हुए थे, उनको वैसा का वैसा बनाये रखा । उन्होंने यह भी बताया कि प्रान्तीय सरकारों को इस कांस्टीट्यूशन के मातहत यह

[श्री बंसल]

हक है कि वह उस पर टैक्स लगायें और अगर पार्लियामेंट का हक सिर्फ इतना है कि उस सेल्स टैक्स को सीमित कर दिया जाय तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्यों उन्होंने ऐसा विधेयक इस सदन के सामने नहीं रखा कि उससे जो भी विधेयक हम इस सदन में पास करते उसको रैट्रोस्पैक्टिव एफैक्ट (भूतलक्षी प्रभाव) मिलता ? दूसरी बात मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब आज वह २८६ (३) धारा का एक अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो उसमें भी तो वही बात आने वाली है। उसमें से जो एसेंशिएल्टी (आवश्यकता) का क्राइटैरियन था उसको अब बदल कर वह items of importance for inter-State trade (अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिये महत्व के मद) से बदल रहे हैं मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आज बहुत सी ऐसी चीजें प्रान्तीय सरकारों की सेल्स टैक्स की लिस्ट (सूची) में नहीं हैं जो कि अब इस तीसरी धारा के मुताबिक important for the commerce and trade of the various States (विभिन्न राज्यों के वाणिज्य और व्यापार के लिये महत्वपूर्ण) हो जायेंगी। क्या आज भी कोयले पर, जूट पर या ऐसी चीजों पर सेल्स टैक्स बहुत सी प्रान्तीय सरकारें ले रही हैं और अगर वे ले रही हैं तो क्या जब हम एक दूसरा विधेयक इस कांस्टीट्यूशन के अमेंडमेंट (संशोधन) के बाद यहां लायेंगे तो क्या उन सरकारों को सेल्स टैक्स को उसी तरीके से रखने का हक नहीं रहेगा, क्योंकि जो यह २८६ की (३) अमेंडिड धारा है और जो कि हमारे कांस्टीट्यूशन में है उसकी भाषा में कोई अन्तर नहीं देखता । अगर आजकल जो हमारे कांस्टीट्यूशन में २८६ (३) धारा है, उसके मातहत हम रैट्रोस्पैक्टिव एफैक्ट नहीं दे सकते तो मेरा यह कहना है कि अब जो संशोधित धारा है उसके मुताबिक भी रैट्रोस्पैक्टिव एफैक्ट हम नहीं दे सकेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि वित्त मंत्री ने जो आज एक लम्बी चौड़ी दलील दी उसके क्या माने हैं फिर असल बात तो यह है कि इस सभा में एक राय इस बात की है कि जो भी ऐसी चीजें हों जिनको कि जरूरी समझा जाये अवाम या जनता के जीवन के लिये, उन पर एक बहुत बेतरतीब सेल्स टैक्स हमारे देश में न हो, उसके लिये क्या संविधान बनाने वालों ने किया, उसके बारे में पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह जो नया संशोधन कांस्टीट्यूशन में लाया गया है, यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार ने सेल्स टैक्स के मामले में जो अनरिस्पौंसिवनैस दिखाई है, वह एक ऐसी चीज है जिसकी कि मुझे कम से कम आशा नहीं थी। मैं इस सेल्स टैक्स के मसले को पिछले दस सालों से बहुत गौर से देख रहा हूं और यह एक ऐसा मसला है जिसमें कि छोटा दुकानदार, हमारी जनता का वह हिस्सा जिसकी कि एक काश्तकार के बाद सब से बड़ी संख्या है, आज इससे हाय-हाय कर रहा है, उसकी जो आज तकलीफें हैं उनमें मैं इस संशोधन से कोई फर्क होते नहीं देखता और वह फर्क क्यों नहीं हुआ मैं उसकी भी वजह बताना चाहता हूं। जब यह कमिशन बना तो इस कमिशन में सेल्स टैक्स का जो मामला देखने वाले थे, वह एक बड़े अर्थशास्त्री भी थे और मैं भी एक दूसरे मामले में उनके सामने गया था, तो मैंने तो उसी वक्त देख लिया कि जिस प्रकार यह कमिशन सेल्स टैक्स के मसले को चला रहा है और उस पर विचार कर रहा है, उससे इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है क्योंकि उन्होंने जो एक मामूली दुकानदार बाजार में बैठ कर के अपनी रोजी कमाता है उसकी बात को सुनने से इन्कार किया और उसमें एक बड़ा थ्योरैटिकल एकोनामिस्ट (बौद्धिक अर्थशास्त्री) का प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) ले आये और आज भी वित्त मंत्री ने कहा कि जो टैक्सेशन इनक्वायरी कमिशन की रिपोर्ट थी, उस पर जो इकोनामिस्ट का पैनेल था उन्होंने यह राय जाहिर की है कि कमिशन की राय बहुत अच्छी राय है और उसे सरकार को मान लेना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी वित्त मंत्री महोदय ने जो बाजार में बैठ करके दुकानदारी करता है क्या कभी उससे भी पूछा है कि इसमें क्या संशोधन किया जाना चाहिय ? मैं इस सदन के सामने बड़े जोर से कहना चाहता हूं कि कोई भी इस बात से गुरेज नहीं

करता कि सरकार को सेल्स टैक्स से पूरा-पूरा टैक्स मिलना चाहिये, जितना ज्यादा से ज्यादा टैक्स हमें जमा करना है और जितना रुपया सेल्स टैक्स से मिलना चाहिये, वह मिले बगैर इवैजन के और जो यह छोटे-छोटे दुकानदार या उनके चैम्बर्स हैं, उन्होंने एक मत होकर और एक राय से कहा है कि हम सरकार को वह तरीका बताने को तैयार हैं जिससे कि उनको जितना वह सेल्स टैक्स लगाना चाहते हैं, वह पूरा-पूरा मिल सके, मगर उनकी बात कभी नहीं मानी गयी और उनकी कभी सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई इस मामले में उन लोगों की हुई है जिनको कि सेल्स टैक्स का क्या असर पड़ता है, उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं हैं। यह मैं बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं और मैंने पहले भी अपने भाषण में एक बात कही थी कि यह जो संशोधन आप कर रहे हैं उससे एक दूसरा असर यह पड़ेगा कि यह जो तकलीफ डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर्स (वितरण केन्द्र) की थी, जैसे मैंने बतलाया दिल्ली या और बड़े शहर जो कि दूसरे प्रदेशों से एक मुश्त थोक में सामान मंगा कर दूसरे इलाकों को बांटते हैं, वितरण करते हैं, उनको इस संशोधन के बावजूद भी दुबारा टैक्स देना पड़ेगा। बात तो असल में यह थी कि यह जो बार-बार इंटरस्टेट व्यापार में टैक्स देना पड़ता है वह कम किया जाता मगर हम देखते क्या हैं कि ऐसा करने के लिये इसमें कोई भी चीज नहीं रखी गई है और बावजूद इसके कि हम वह संशोधन ला रहे हैं, दिल्ली शहर वालों को बार-बार फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। एक बार तो तब देना पड़ेगा जब वह दिल्ली शहर से यहां सामान मंगायेंगे और दूसरी बार तब टैक्स देना पड़ेगा जब दूसरे शहरों में उस सामान को फिर से बेचेंगे। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री कुछ ध्यान दें। मुझे अफसोस है कि उस दिन वह सदन में नहीं थे और अगर वे होते तो वह उस चीज पर जरूर गौर करते और कुछ न कुछ उसका हल निकालते। वह यह कहेंगे कि इस संशोधन के बाद एक दूसरा विधेयक हमारे सदन के सामने आयेगा जिसके अनुसार सेल्स टैक्स के बारे में जो कुछ हम करना चाहते हैं वह शायद हो सकेगा, मगर मेरा यह ख्याल है कि इस संशोधन के पास करने के बाद उनके हाथ बंध जायेंगे और जो टैक्सेशन इनक्वायरी कमिशन की रिपोर्ट है कि हर एक इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस (अन्तर्राज्यीय व्यापार) में एक फीसदी तक टैक्स लगना चाहिये, उसको वह नहीं कर पायेंगे और वह टैक्स लगाना पड़ेगा और जिसका कि नतीजा यह होगा कि अगर कोई सामान इंटरस्टेट में आता है और वह बार-बार वहां से आये और फिर उसको निकाला जाये तो उस पर एक फीसदी टैक्स हुआ करेगा और वह बार-बार लगेगा। इसके बाद मैं समझता हूं कि ऐसा ही होगा और उससे बचने का वित्त मंत्री को कोई रास्ता नहीं मिलेगा।

एक बात मैंने कही थी, जिस को मैं दोहराना ठीक समझता हूं, कि मैंने वित्त मंत्रियों की मीटिंगों में चर्चा सुनी कि सरकार इस बात पर गौर कर रही है कि बहुत-सी चीजों पर शायद एक्साइज ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) लगा दी जाये, बजाय इसके कि वह सेल्स टैक्स से बंधी रहे। इस दिन शाह साहब ने बताया था कि सरकार इस पर गौर कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर सरकार इस विषय पर गौर कर रही है तो कौन-कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिन पर सेल्स टैक्स न लग कर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और अगर वह लगेगी तो उसकी दर क्या होगी, साथ ही और क्या वित्त मंत्री उसके लिये सदन में कोई नया विधेयक लायेंगे या कोई दूसरा कदम उठायेंगे। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इसके बारे में भी कुछ रोशनी डालेंगे।

मुझे सिर्फ एक बात और कहनी है, और वह यह कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ६ चीजें ऐसी समझी गई हैं जो कि इन्टरस्टेट ट्रांजेक्शंस के लिहाज से इम्पार्टेंट समझी जायेंगी। उन्होंने अभी यह बताया कि यह मुमकिन हो सकता है कि सदन इस बात को सोचे कि खाने-पीने की चीजें भी इस में मिला ली जायें। ठीक है, शायद वह खाने-पीने की चीजें इसमें मिला ले, मगर सिर्फ इस लिस्ट में उन चीजों को जोड़ लेने से और जब नया विधेयक आयेगा उसमें उनको

[श्री बंसल]

शामिल कर लेने से, आजकल प्रान्तीय सरकारों ने उन चीजों पर जो सेल्स टैक्स ले रखा है उनका क्या होगा ? मैं इस संशोधन में कोई ऐसी चीज नहीं देखता कि इस को रैट्रौस्पेक्टिव एफैक्ट मिलेगा । इसकी भाषा, जैसा मैंने पहले कहा, वैसी ही है जैसी कि २८६ की तीसरी धारा की, और अगर इस में कोई फर्क है तो मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री मुझे बतायें कि किस धारा के मुताबिक वह इस चीज को रिट्रौस्पेक्टिव एफैक्ट देने के लिये तैयार हो सकते हैं ?

इतना कहने के बाद मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यह एक ऐसा बिल आया है जिसने कि देश में जितनी आशायें बंधी थीं कि कांस्टिट्यूशन में एक संशोधन आयेगा, उन पर पानी फेर दिया है । मैं इस का स्वागत हर्गिज नहीं कर सकता, और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस बात को सोचेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि राज्यों की सरकारों को फिर से लिखें और इस मामले पर उनसे फिर से चर्चा करें, और हो सके तो जल्दी से एक दूसरा संशोधन सदन के सामने रखें ।

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री सी० सी० शाह)** : बिक्री कर समस्त राज्यों के लिये राजस्व का बड़ा महत्वपूर्ण साधन है । संविधान में किये जाने वाले इस संशोधन का विशेष महत्व है ।

मेरे पूर्ववक्ता ने उप खण्ड (३) पर विशेष आपत्ति की है, परन्तु इस संशोधन से अनुच्छेद २८६ और अच्छा हो जायेगा । वास्तव में बिक्री कर राज्यों का विषय है किन्तु इस के व्यवहार में अनेक राज्यों में कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं । अन्त में यह आवश्यक समझा गया कि जहां तक अन्तर्राज्यीय बिक्री का प्रश्न है उन पर कर लगाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया जाये, क्योंकि किसी राज्य द्वारा अन्तर्राज्यीय कर लगाया जाना उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है ।

बिक्री कर का अर्थ केवल वस्तु विक्रय अधिनियम में दी गई परिभाषा से ही नहीं है, बल्कि राज्य से बाहर आयात अथवा निर्यात में जो सौदा होता है उस पर निश्चय कर के अन्तर्राज्यीय बिक्री कर लगाया जायेगा ।

अब मैं उपखण्ड (३) को लेता हूं । इसके अधीन केन्द्र को अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यक वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर लगा सकता है । माननीय वित्त मंत्री का यह मत है कि केन्द्रीय सरकार अच्छे प्रबन्ध के साथ अन्तर्राज्यीय बिक्री कर की वसूली में अधिक सफल नहीं हो सकती और इसीलिये अन्तर्राज्यीय कर में कुछ रियायत की गई है । इस बात को तो मैं मानता हूं कि राज्यों के विधान मण्डल इस काम को भली भांति कर सकते हैं और यथावश्यकता बिक्री कर लगा सकते हैं फिर भी मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण किसी न किसी रूप में सदैव बना रहना चाहिये । वैसे तो विधान मण्डलों को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होने पर कोई भी कर लगाने का अधिकार है और मैं भी यही चाहता हूं कि राजस्व में वृद्धि के लिये जन साधारण की क्षमता को ध्यान में रखते हुए जितने कर लगाये जा सकते हैं उतने बराबर लगाये जायें; किन्तु केन्द्र और राज्यों में पारस्परिक सहयोग आवश्यक है और अन्तर्राज्यीय करों में समन्वय होना आवश्यक है और उनमें जो भी कठोरतायें आ गई हों उन्हें दूर किया जाना चाहिये । इस विषय में कर जांच आयोग ने अनेक सुझाव दिये हैं । उदाहरण के लिये यह कहा गया है कि समस्त राज्यों में बिक्री कर मंत्रणा समितियां होनी चाहियें और एक अन्तर्राज्यीय कराधान परिषद् होनी चाहिये ताकि राज्यों में बिक्री कर के विषय में समन्वय स्थापित किया जा सके । इनके अतिरिक्त कुछ सुझाव मैं स्वयं भी देने को उत्सुक हूं । मेरी यह इच्छा है कि अन्तर्राज्यीय बिक्री के सिद्धान्तों की जो परिभाषा इस विधेयक

†मूल अंग्रेजी में ।

में निश्चित की जाने को है, वह अविलम्ब इसी संसद् द्वारा निश्चित की जानी चाहिये। जो विशेष महत्व के प्रश्न हैं उनका भी निश्चय कर लिया जाना चाहिये।

संविधान में दो स्थानों पर अर्थात् अनुच्छेद २६९ और २८६ में इन सिद्धान्तों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। वास्तव में हम अनुच्छेद २८६ के उपखण्ड (२) में 'या, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य' शब्द जोड़ सकते थे ताकि एक विधान बन सके। राज्यों में विक्रय कर विधान के बारे में हम जिस एकरूपता का विचार करते हैं, उसकी प्राप्ति प्रायः असम्भव है। केन्द्र को यह देखना चाहिये कि जीवन की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कुछ एकरूपता रहे। इन सुझावों के साथ यह विधेयक एक स्वागत विधान है।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर): संविधान (दसवां) संशोधन विधेयक, जिस पर हम आज विचार कर रहे हैं, देश में व्यापार और वाणिज्य की भावी स्वतन्त्रता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान बनाने वालों की मूल इच्छा यह थी कि देश में एक स्थान से दूसरे को वस्तुओं के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध न हो। यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त बिना किसी परिसीमा के स्वीकार किया जाना चाहिये। विचाराधीन संशोधन के दो भाग हैं अर्थात् विक्रय कर लगाने का राज्य का अधिकार तथा इस सम्बन्ध में केन्द्र का अधिकार। अब तक जो चर्चा हुई है वह जीवन की आवश्यकताओं तक ही इस दृष्टि से सीमित रही है कि अत्यावश्यक वस्तुओं पर करारोपण होना चाहिये या नहीं। हम यहां इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्राज्यीय सौदों में केन्द्र का क्षेत्राधिकार क्या है, तथा अपने-अपने राज्यों में विक्रय कर लगाने के सम्बन्ध में राज्यों का क्षेत्राधिकार क्या है।

संविधान के लागू होने से पहिले भी विभिन्न राज्यों में अत्यावश्यक महत्व की वस्तुओं पर कर था। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५२ के लागू होने के बाद अत्यावश्यकता की अधिकाधिक वस्तुओं पर कर लगाया गया है। हमने अभी तक यह नहीं सुना है कि किसी अत्यावश्यक वस्तु पर कर लगाने के राज्य के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी। अतः विधेयक में निहित और कर जांच आयोग द्वारा सिफारिश किया गया सिद्धान्त—कि राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार में कर लगाने का अधिकार होना चाहिये—पूर्णरूपेण स्वीकार किया जाना चाहिये। राज्यों को यह जानना चाहिये कि कौन-सा कर लगाया जाना चाहिये और कौन सा नहीं। अतः मैं इस प्रस्ताव से सर्वथा सहमत हूं कि जिन करों का सम्बन्ध केवल राज्यों से है वे पूर्णतया राज्य-सरकारों के क्षेत्राधिकार में होने चाहियें और उनमें केन्द्र द्वारा अन्तःक्षेप नहीं होना चाहिये। किसी कर का प्रभाव गरीबों पर पड़ता है या अमीरों पर, यह उनका उत्तरदायित्व है।

अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य का उत्तरदायित्व केन्द्र पर रखा गया है। परन्तु कर जांच आयोग ने अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य को फिर दो भागों में विभक्त कर दिया है: एक तो वे वस्तुएँ जो अन्तर्राज्यीय व्यापार में महत्व रखती हैं और दूसरी वे वस्तुएँ जिनका महत्व नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस विभाजन का आधार क्या है।

इसके अतिरिक्त, वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार में विशेष महत्व की वस्तुएँ घोषित करने में तीन विशेषतायें बताई हैं। अन्तर्राज्यीय व्यापार में महत्व व बिना महत्व की वस्तुओं का विभाजन करने से फिर भ्रम पैदा होगा। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने वाली समस्त वस्तुओं पर केन्द्रीय नियन्त्रण होना चाहिये। इससे सारे देश में विक्रय-कर में एक

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मुहीउद्दीन]

सामान्य एकरूपता आ जायेगी तथा देश के एक भाग से दूसरे भाग को वस्तुओं के आने जाने का मुक्त वातावरण बन जायेगा । मैं यह जानता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव के लिये एक अन्तर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की आवश्यकता होगी, और इसका सारे देश के भविष्य के लिये कुछ महत्व होगा । अतः मैं सिफारिश करता हूं कि विधेयक में विशेष महत्व की वस्तुओं सम्बन्धी उपबन्ध न रखा जाये तथा यह उपबन्धित किया जाये कि अन्तर्राज्यीय व्यापार की सारी वस्तुओं का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से होगा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (पटना—पूर्व) : विधेयक एक स्वागत योग्य विधान है क्योंकि इसमें इस देश में विक्रय कर में एक बहुत बड़ी कमी को दूर करने का प्रयत्न किया गया है । सारे राज्यों में विक्रय कर के विभिन्न विधान हैं और इससे यह भ्रम और अधिक हो जाता है कि कर निर्धारण करने के लिये कोई वस्तु विशेष किस वर्ग में आती है । अतः अन्तर्राज्यीय व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तुओं पर केन्द्रीय देख भाल रखने से विक्रय करारोपण की एक बहुत बड़ी कमी को दूर करने का प्रयत्न किया गया है । परन्तु मुझे बाध्य हो कर यह कहना पड़ता है कि इस विधेयक में पूर्ण समस्या के केवल एक अंग का उल्लेख किया गया है । इसमें विक्रय कर के लागू होने के पूर्ण प्रश्न का, जिसके पूर्ण साज-सँवार की आवश्यकता है, पूर्ण उल्लेख नहीं किया गया है । कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने की आवश्यकता है और उनमें एक बात यह है कि विक्रय कर में भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाये तथा अल्पतम प्रयत्न से अधिकतम राजस्व कैसे प्राप्त हो ।

कर जांच आयोग ने एक सिफारिश यह भी की है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार को नियमित करने का उत्तरदायित्व स्वयं केन्द्र को अपने ऊपर लेना चाहिये । यह एक बहुत अच्छा समाचार है कि सरकार ने इस उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेने के लिये विधेयक प्रस्तुत किया है । परन्तु इसके साथ बहुत से विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण विषय हैं और जब तक उनके बारे में कुछ नहीं होता तब तक मैं नहीं समझती कि विक्रय कर की यह पद्धति इस देश में सन्तोषजनक रूप में कार्यान्वित होगी । क्योंकि विक्रय कर कराधान का एक अति अधिक महत्वपूर्ण विषय है, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूं कि वह यह जानने का प्रयत्न करें कि इस में क्या-क्या अभाव हैं और वे कैसे दूर किये जा सकते हैं । अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह राष्ट्रीय परिषद् की दृष्टि से इस पर विचार करें । बिक्री कर अत्यन्त विवादास्पद विषय है । अतः वित्त मंत्री यह विचार करें कि क्या मेरा सुझाव व्यावहारिक है अथवा नहीं ।

मेरे पूर्व वक्ता ने सुझाव दिया कि कर जांच आयोग का अन्तर्राज्यिक कर परिषद् सम्बन्धी सुझाव पर विचार किया जाना चाहिये था । मेरा विचार है कि अन्तर्राज्यिक कर के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में एकरूपता लाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अन्तर्राज्यिक कर परिषद् का उपबन्ध विधेयक में होना चाहिये । लेकिन ऐसा नहीं किया गया है । ऐसा करने का अभी भी अवसर है । उन्हें शीघ्र ही इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये जिसमें विभिन्न राज्यों और वाणिज्य प्रतिनिधि भी रहें ।

आजकल वस्तुओं के बिलों में बिक्री कर का अलग उल्लेख रहता है । इसका ग्राहक पर प्रभाव पड़ता है । वह अनुभव करता है कि मैंने कर के रूप में इतनी राशि अतिरिक्त दी है । किन्तु यदि बिक्री कर की यह राशि वस्तु के मूल्य में पहले से जोड़ दी जाये तो लोगों को वैसी अनुभूति नहीं होगी ।

राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया जाये कि बिल देना अनिवार्य कर दिया जाये और बिक्री कर का अलग उल्लेख न किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मैंने विधेयक पढ़ा है किन्तु इससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ। केन्द्र किस प्रकार कर का संग्रह करेगा, क्या केन्द्र कर का संग्रह कर फिर उसे विभिन्न राज्यों में वितरित करेगा अथवा कैसी प्रक्रिया रहेगी यह कुछ स्पष्ट नहीं है।

करारोपण की क्या दर रहेगी? वित्त मंत्री कहेंगे यह गुप्त रखी जायेगी। ठीक है, किन्तु बिक्री कर की दर के मापदण्ड का आधार तो मालूम होना ही चाहिये। यदि एक व्यक्ति किसी एक वस्तु का व्यापार दो भिन्न-भिन्न राज्यों--बंगाल और बिहार--में करता है तो इस अवस्था में क्या होगा। केन्द्र द्वारा इस नियन्त्रण से ऐसे व्यक्ति कहां तक प्रभावित होंगे। क्या केन्द्र द्वारा लगाये कर का और निर्यातकर्ता राज्य में व्यापारी द्वारा स्थानीय बिक्री के लिये दी जाने वाली दर में एकरूपता रहेगी। क्या विशेष महत्व की निर्दिष्ट वस्तुओं पर प्रथम अथवा अन्तिम चरण में केवल एक स्थल पर ही कर लगेगा? क्या उत्पादन की प्रथम अवस्था में कर लगेगा? व्यापारी विशेष के पास वस्तु के पहुंच जाने पर कर लगेगा।

इसके पश्चात् राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले बहुसूत्री कर और केन्द्र द्वारा लगाय जाने वाले कर में समन्वय का प्रश्न है। मुझे इस सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्टीकरण चाहिये।

कुछ व्यापारियों का मुनाफा नगण्य सा है। अतः वह सदैव कर से बचने का प्रयत्न करते हैं। राज्य सरकारें इस कठिनाई का सामना कर रही हैं और केन्द्रीय सरकार को भी इसका सामना करना पड़ेगा। बिना बिल के चीजें बेचने की प्रवृत्ति को इसी लिये प्रोत्साहन मिला है। वह "कैश मैमो" नहीं देते हैं। दुकानदार सरकार को संतुष्ट करने की अपेक्षा ग्राहक को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करता है। कृपया बिक्री कर प्रथम चरण में लगाइये। कर उस समय लगाइये जब कि वस्तु उत्पादन-कर्ता, निर्माता, थोक विक्रेता अथवा आयातकर्ता के पास है। इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें हैं जिन पर वित्त मंत्री तथा संसद् को विचार करना है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगी कि बिक्री कर के लिये एक जांच समिति अलग से नियुक्त की जाये।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : एक माननीय सदस्य ने कहा था कि करारोपण में एकरूपता बनाने के लिये सभी वस्तुओं पर केन्द्र का नियन्त्रण होना चाहिये। किन्तु उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारा संविधान संघीय संविधान है। हमारा राज्य एकात्मक राज्य नहीं है। संघीय संविधान में करारोपण की शक्तियां, राजनैतिक शक्तियां, तथा अन्य प्रकार की शक्तियां, केन्द्र तथा राज्यों में बांटनी पड़ेंगी। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का विचार नहीं है कि संविधान में संशोधन किया जाये। करारोपण सम्बन्धी शक्तियों के बारे में कुछ स्पष्ट शक्तियां मिली हैं तथा उनका क्षेत्राधिकार सीमित है। यह देखना चाहिये कि संविधान ने जो शक्तियां दी हैं उनको किसी भी प्रकार से हड़पना नहीं चाहिये।

इस विधेयक में केन्द्र तथा राज्यों के बीच करारोपण की शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। अत्यावश्यक वस्तुओं पर नियन्त्रण का अधिकार अब तक केवल केन्द्र के पास था। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि अब आगे से इस अधिकार का प्रयोग केन्द्र को नहीं करना चाहिये। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५२ के अनुसार, समाज के लिये आवश्यक वस्तुओं पर जब राज्य कर लगाना चाहता है तो उसे भारत सरकार से आज्ञा लेनी चाहिये। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि यह अधिकार अब केन्द्र से ले लेना चाहिये। विधेयक का उद्देश्य यह है कि सम्पूर्ण अन्तर्राज्यीय व्यापार को संघ सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन लाया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

कुछ सदस्यों ने बताया था कि अत्यावश्यक वस्तुओं को इस विधेयक के अधीन रखा जाये। अत्यावश्यक वस्तुओं पर अर्थात् जो वस्तुएं जीवन के लिये अत्यावश्यक हैं; अनुचित कर नहीं लगना चाहिये। साधारण जनता का यह मत है। एक दूसरा मत और भी है जिसका उल्लेख वित्त मंत्री ने किया है और जिसका अनुसमर्थन विभिन्न राज्य सरकारों ने करारोपण जांच आयोग ने, तथा अर्थशास्त्रियों ने किया है। मेरा विचार है कि इन दोनों मतों के बीच समझौता होना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि खाद्य वस्तुएँ केन्द्र के अधीन होनी चाहियें जो संसद् के क्षेत्राधिकार में आयें। मैं यह इसलिये कहता हूं कि कुछ राज्य, इन विधियों को लागू करते समय कितना कर मिलेगा इसकी सम्भावना करने तथा उसका समाज पर क्या आपात होगा यह मालूम करने में असफल रहे हैं। एक बात और भी है। बिक्री कर अधिकतर शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गांवों में जो व्यक्ति क्रय-विक्रय करते हैं वे बिक्री कर बचाते हैं। उन पर कोई कर नहीं लगता। इस प्रकार व्यक्ति व्यक्ति में भेद-भाव किया गया है और एक प्रकार से उनके साथ अन्याय किया गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधनों की आवश्यकता है। नये करों अथवा अतिरिक्त करों के बारे में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच सामूहिक रूप से विचार करना चाहिये। दुर्भाग्य से करों के बारे में केन्द्र तथा राज्यों के बीच कोई समन्वय अभिकरण नहीं है। करारोपण का प्रभाव क्या होगा इसकी जांच करने के लिये कोई मशीनरी नहीं है। मेरे विचार से इसी कमी की पूर्त्ति कर देनी चाहिये।

अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य का दायित्व केन्द्र का है न कि राज्य का। व्यापार की एकरूपता की दृष्टि से यह अत्यावश्यक है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आये। इसलिये मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण भारत में एकसा करारोपण लगाने के लिये वित्त मंत्री को प्रयत्न करना चाहिये यदि करारोपण के मामले में एकरूपता की गई तो बिक्री कर विधान से विभिन्न राज्यों में जो अन्याय हुआ है वह कम हो जायेगा और मुझे विश्वास है कि बिक्री कर की अच्छी व्यवस्था हो जायेगी।

†**श्री डाभी** (कैरा—उत्तर): इस विधेयक का प्रथम उद्देश्य संविधान बनाने वालों के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। इसका दूसरा उद्देश्य एक राज्य से दूसरे राज्य में बेची जाने वाली वस्तुओं पर केन्द्र द्वारा कर लगाने के अधिकार को वापस लेना है। वर्तमान खण्ड के स्थान पर रखे जाने वाले नये खण्ड ३ का उद्देश्य अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में केवल विशेष महत्व की वस्तुओं पर ही केन्द्र द्वारा कर लगाने की व्यवस्था करना है, इस प्रकार अन्तर्राज्यीय कर के मामले में केन्द्र के अधिकारों को सीमित करना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो वस्तु जीवन के लिये अत्यावश्यक समझी जाती है वह विशेष महत्व की वस्तु नहीं मानी जाती जैसे कि नमक, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न आदि।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में जो वस्तुएँ विशेष महत्व की हैं उन में प्रायः तैयार वस्तुओं के लिये कच्चा सामान ही गिना जायेगा।

आयोग ने सिफारिश की है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में विशेष महत्व की वस्तुओं पर राज्यों द्वारा कर लगाने के अधिकार पर संसद् का अधिकार बना रहना चाहिये। संविधान निर्मातागण राज्यों पर संसद् का नियन्त्रण क्यों रखना चाहते थे? राज्य सरकारों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर व्यय करने के लिये आय का मुख्य साधन बिक्री कर ही है। इस बात को सभी लोग

†मूल अंग्रेजी में।

स्वीकार करते हैं। किन्तु द्वितीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये ही क्यों न सही, यदि राज्य सरकारों को खाद्यान्न, तेल अथवा नमक पर कर लगाना पड़ता है तो कल्याणकारी राज्य की बात करने का कुछ भी तात्पर्य नहीं रहेगा।

मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि यदि खाद्यान्नों को सम्मिलित कर लिया जाये तो उन्हें सन्तोष होगा। किन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह नमक को सम्मिलित नहीं करना चाहते क्योंकि नमक का अपना इतिहास है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं ने तो खाद्यान्न, मोटा कपड़ा और भूसा इन तीन चीजों का उल्लेख किया था।

†**श्री डाभी** : श्री राघवाचारी ने कहा था कि हमें राज्यों के बारे में सन्देह नहीं करना चाहिये। संविधान निर्माताओं को यह बात मालूम थी कि मूलभूत पदार्थों पर कर लगाकर कोई भी ख्याति प्राप्त सरकार खतरा मोल नहीं लेगी? उन्होंने यह भी उचित समझा था कि राज्यों पर भी कुछ नियन्त्रण होना चाहिये।

कृषि की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में विधियां बनाने की शक्ति राज्यों को प्राप्त है। फिर भी संविधान के अनुच्छेद ३१क में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य को ऐसी विधियों को लागू करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। ठीक इसी प्रकार यहां भी संसद् का कुछ नियन्त्रण रहना चाहिये। मुझे सारभूत पदार्थों की सूची के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु संसद् को विधि बनाने की शक्ति है और यही कारण है कि उसमें कमी करके हम उसमें कुछ ही पदार्थ रख सकते हैं।

मंत्री जी ने कहा है कि राज्यों और केन्द्र में कुछ आपसी समझौता किया गया है अतः उन शब्दों को इस प्रक्रम में बने रहने देना सम्भव नहीं। इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् सरकार उन पदार्थों पर कर नहीं लगायेगी जो समुदाय के जीवन के लिये सारभूत समझे जायेंगे। अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण शब्दों में वह अर्थ न लाया जा सका तो मैं सुझाव दूंगा कि मंत्री जी राज्यों को भविष्य में संविधान में कुछ संशोधन करने के लिये सहमत करें।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) से होकर आया है मैं उसका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सेल्स टैक्स ने व्यापारी जगत में बड़ी उथल-पुथल कर रखी है और इसकी वजह से काफी कठिनाई अनुभव की जा रही है। मिसाल के वास्ते जैसे उत्तर प्रदेश में जो पहली अप्रैल से आर्डिनेन्स (अध्यादेश) लागू किया उसके कारण कपड़े और गल्ले का व्यापार करीब-करीब बन्द हो रहा है, कई दिन तक समस्त प्रदेश में हड़ताल रही और बाजार बन्द रहे और काले झंडों के जलूस निकाले गये और गवर्नमेंट को बुरा-भला कहा गया। इस आर्डिनेन्स की वजह से वहां व्यापार को बड़ा धक्का लगा है। सेल्स टैक्स ऐसी चीज है जो आम जनता से सम्बन्ध रखता है क्योंकि प्रत्येक को चाहे वह गरीब हो या अमीर अन्न और वस्त्र की आवश्यकता होती है। परसों मैं आगरे में था। वहां के कपड़े के थोक के और खेरीज के व्यापारी मेरे पास आये थे और उन्होंने बतलाया कि जो सेल्स टैक्स उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है उसका परिणाम यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के कपड़े का व्यापार दूसरे राज्यों में, जैसे दिल्ली में, राजस्थान में और मध्यभारत में जा रहा है। बहुत से लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं। वे बिना परचे के कपड़ा ले आते हैं और यहां लाकर बगैर सेल्स टैक्स के बेच देते हैं।

†मूल अंग्रेजी में।

[सेठ अचल सिंह]

इससे गवर्नमेण्ट को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है और आम जनता को बड़ी अड़चन महसूस होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो भी सेल्स-टैक्स लगाया जाये वह सब राज्यों में एक समान होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि एक स्टेट में कुछ हो और दूसरी में कुछ हो । ऐसा न होने से यानी सेल्स-टैक्स में विविध राज्यों में अन्तर होने से व्यापार को बहुत धक्का लगता है। अगर सम्भव हो तो सेल-टैक्स को इन्डाइरेक्ट तरीके से वसूल किया जाय उसका परिणाम यह होगा कि पूरा टैक्स वसूल होगा । जनता में बैचेनी भी न होगी ।

पिछली मर्तबा मुझ को मंत्री जी ने बताया था कि वे जुलाई के सेशन में कोई ऐसा बिल लावेंगे जिससे कि ये दिक्कतें दूर हो जायेंगी। मेरा सुझाव है कि जो चीजें जीवन के लिये बहुत आवश्यक हैं उन पर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिये। इसकी वजह से आम जनता को, खास तौर से गरीब जनता को बहुत तकलीफ होती है ।

इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे देश में जो प्रजातन्त्र है उसको मुश्किल से आठ वर्ष हुए हैं। यहां के लोग प्रजातन्त्र के तरीकों से पूरी तरह वाफिक नहीं हैं। जो कानून बनता है उससे बचने की कोशिश करते हैं और बचने के रास्ते निकाल लेते हैं और इस प्रकार उस कानून को विफल बना देते हैं। इंग्लैंड और अमरीका में सैकड़ों वर्षों से डिमाक्रेसी चल रही है। वहां के लोग समझ गये हैं कि डिमाक्रेसी क्या है। वहां के लोग डाइरेक्ट टेक्सेशन (प्रत्यक्ष करारोपण) को समझते हैं और उसको अदा करते हैं लेकिन यहां की जनता डाइरेक्ट टेक्सेशन को बुरा समझती है। इसके अलावा यहां के लोगों की आमदनी भी बहुत थोड़ी है जब कि दूसरे देश के लोगों की औसत आमदनी यहां से दस, पन्द्रह और बीस गुनी ज्यादा है। इसलिये भी यहां के लोगों को डाइरेक्ट टेक्सेशन अखरता है। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस समय जो व्यापारी जगत में सेल्स-टैक्स की वजह से बैचेनी और उथल-पुथल हो रही है उसको दूर करें नहीं तो सारे देश में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में कपड़े और गल्ले का व्यापार पट हो जायेगा ।

मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के गल्ले के व्यापारी एक कानफरेंस (सम्मेलन) कर रहे हैं जिसमें वे गल्ले के बाजार को लगातार बन्द रखने का निर्णय करेंगे। वहां पर गल्ले पर मल्टीपिल (बहुस्थानीय) सेल्स-टैक्स लागू किया गया है जिसका हर दुकानदार को हिसाब रखना पड़ेगा । परन्तु एक मामूली दुकानदार के लिये उस हिसाब को रखना और उस टैक्स का अदा करना बहुत कठिन कार्य है। आज वहां की जनता की मांग है कि केन्द्रीय सरकार इसमें दखल दे। आज जो इस टैक्स के कारण नई-नई दिक्कतें पैदा हो गयी हैं उनके कारण लोग पापुलर (लोक प्रिय) सरकार को बुरा-भला कह रहे हैं। इसलिये हमको कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिये जिसमें सांप मरे पर लाठी न टूटे, यानी हमको टैक्स भी मिल जाये और जनता में भी असन्तोष पैदा न हो । मैं आशा रखता हूं कि इन सब बातों का ख्याल रख कर मंत्री महोदय ऐसा बिल लावेंगे जिससे ये जो दिक्कतें हो रही हैं वे दूर हो जायेंगी ।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई—उपनगर): मैं इस प्रकार के उपबन्ध का स्वागत करती हूं। संविधान के अनुच्छेद २८६ के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में बड़ी कठिनाइयां महसूस की गई थीं और विशेषकर अनुच्छेद २८६ (१) (क) की व्याख्या के निर्वचन के बारे में क्योंकि इसमें अनेक प्रशासनीय कठिनाइयां थी। अतः इस संशोधन से दुकानदारों और अन्तर्राज्यिक व्यापार में सहायता मिलेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारत जैसे विशाल देश में करारोपण के मामले में एक निश्चित और समान नियम बना सकना कठिन है। अतः हमें राज्य विधान सभाओं पर विश्वास रख कर यह देखना चाहिये कि उपभोक्ताओं और दुकानदारों पर अनावश्यक भार न पड़े।

हम आशा यह करते हैं कि पंचवर्षीय योजना के विभिन्न कार्य-क्रमों को राज्य सरकारें भी चलायें। राजस्व का प्रमुख स्रोत बिक्री कर है। आसाम और बिहार के बिक्री कर के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि राजस्व का प्रमुख अंश इसी से प्राप्त होता है।

श्री बंसल का कहना है कि कर का भार छोटे-छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर अधिक पड़ेगा। किन्तु ऐसी बात नहीं है। १५,००० रुपये से अधिक उत्पादन करने वालों पर इसका भार पड़ेगा। अतः यह कहना ठीक नहीं कि सभी दुकानदारों पर इसका भार पड़ेगा।

उपभोक्ताओं के बारे में मुझे यह कहना है कि अमीर और गरीब सभी को समान समझा जायेगा। इन पदार्थों के प्रत्येक खरीदार को कर देना पड़ेगा।

विभिन्न राज्यों की सम्मति के बारे में भी मुझे कुछ जानकारी है। उदाहरण के लिये मद्रास के मुख्य मंत्री ने कहा है कि सारभूत पदार्थ अधिनियम, १९५२ के लिये संविधान में उपबन्ध होते हुए भी उसे पारित नहीं करना चाहिये था। हम अपनी विधान सभाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। इसी प्रकार बम्बई के मुख्य मंत्री भी इस बात से सहमत हैं कि भारत जैसे देश में समान करारोपण हैं उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र के लिये यह सम्भव नहीं कि वह कपड़ा सस्ता करने के लिये कपास पर आयात शुल्क और कपड़े पर उत्पादन शुल्क न लगायें, इसी प्रकार राज्यों से भी बिक्री कर छोड़ देने की बात भी नहीं कही जानी चाहिये।

यह विधेयक केवल यह सुधार करना चाहता है कि इस मामले में प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयां न रहें। इस संशोधनकारी विधेयक को प्रस्तुत करने का एक मात्र ध्येय यही है। अतः इस संशोधन को पारित करना लोगों के हित में होगा और करारोपण के सम्बन्ध में जो आज अनेक कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं, उनमें सुधार हो सकेगा।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर--मध्य) : कांस्टिट्यूशन (संविधान) के संशोधन के लिये जो यह बिल लाया गया है वह दो-एक बातों में तो बहुत अच्छा है परन्तु सेल्स-टैक्स के सम्बन्ध में जो आशा की गई थी, अर्थात् उसमें सुविधायें होंगी, यूनिफार्मिटी (समानता) लाई जायेगी आदि-आदि जो बातें थीं, वह बहुत कुछ इस पर निर्भर करेंगी कि जो सेल्स-टैक्स का बिल आयेगा उसमें क्या-क्या बातें रखी जायेंगी। इस विधेयक में जो बातें हैं उनमें एक बात तो साफ कर दी गई, और वह इन्टरस्टेट ट्रेड (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार) के सम्बन्ध में है। अभी तक यह था कि पार्लियामेंट इस सम्बन्ध में जो जो कानून बनायेगी और जिस तरह से उनको लागू करेगी, उस तरह से वह अमल में आयेगा। परन्तु अभी तक न पार्लियामेंट ने इस सम्बन्ध में कुछ किया और न कुछ हुआ। नतीजा यह हुआ कि स्टेट्स ने कई प्रकार के टैक्स लगाये और फिर कोर्टबाजी हुई। यह बड़े सन्तोष की बात है कि इस कांस्टिट्यूशन ऐमेंडमेंट (संशोधन) में यह बात स्पष्ट कर दी गई है। क्लाज ४ के सब-क्लाज ३ में इंटरस्टेट का जो मामला है वह एकदम से साफ हो गया, परन्तु उसमें भी दो बातें हैं। एक तो यह कि जो चीजें स्पेशल इम्पार्टेंस (मुख्य महत्व) की बतलाई गई हैं उनके अतिरिक्त यदि कोई चीजें हुईं तो उसके सम्बन्ध में क्या होगा। यदि इस तरह की कोई चीज इन्टरस्टेट ट्रेड में आई और एक जगह से दूसरी जगह पर गई तो उसके सम्बन्ध में क्या होगा ?

[श्री झुनझुनवाला]

दूसरी बात यह है कि जो चीजें स्पेशल इम्पार्टेंस की हैं उनमें फूडग्रेन्स (खाद्यान्न) आदि आयेंगे या नहीं, जो कि बहुत ही आवश्यक चीज है। इसको हमारे भाई पंडित ठाकुर दास जी भार्गव ने अच्छी तरह से समझाया है और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमिशन की जो राय है वह भी उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ कर सुनायी कि उसका कभी भी यह अभिप्राय नहीं था कि जो चीजें कम्यूनिटी की जिन्दगी के वास्ते बहुत आवश्यक हैं उन सब पर कर लगाया जाय। लेकिन स्पेशल इम्पार्टेंस की जो चीजें दी गई हैं यहां पर, उनमें यह बात साफतौर से नहीं दी गई है। मेरी राय में यह बात साफ कर देनी चाहिये, साथ ही यह भी साफतौर से यहां पर बतलाना चाहिये कि जो चीजें स्पेशल इम्पार्टेंस की नहीं हैं उन के सम्बन्ध में क्या स्थिति होगी।

अन्य जो बातें उनके सम्बन्ध में कुछ लोगों ने यह कहा है कि यह स्टेट्स का मामला है, हमारे कुछ भाइयों ने संविधान की बातें कहीं कि हमारी गवर्नमेंट यूनिटरी नहीं है, यह फेडरल गवर्नमेंट है। उन्होंने बहुत-सी कानूनी बातें बतलाईं और कहा कि जो हमारी पार्लियामेंट है वह उनमें कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? परन्तु मेरा निवेदन यह है कि जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय स्टेट्स के ही लोगों ने आ करके उसे बनाया था और उस समय यह बात आवश्यक समझी गई थी कि जो चीज जनता के उपयोग की हो, जैसे खाना है, उसके ऊपर टैक्स न लगाया जाय, और यदि लगाया जाय तो प्रेजिडेंट की रजामन्दी ली जाय। बहुत सोच-विचार करके यह बात आर्टिकल २८६ के क्लाज ३ में रखी गई थी। मेरी समझ में नहीं आता कि जब इतनी छानबीन करके उस समय यह बात रखी गई थी तो अब क्या परिवर्तन हो गया है कि स्टेट्स के लोग हमारे वित्त मंत्री के पास आये और उनको कोई नई बात समझाई जिसके कारण हमारे वित्त मंत्री आज कहते हैं कि स्टेट्स के लोगों के साथ समझौता हो गया है कि इस बात में केन्द्र की तरफ से इंटरफिअर (हस्तक्षेप) नहीं किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे वित्त मंत्री ने इस बात की अच्छी तरह से तहकीकात की है कि जो दशा हमारी मासेज (जनता) की उस समय थी वैसी अब नहीं है। जैसा हमारे पूज्य टंडन जी भी कई बार कह चुके हैं, बाज एरियाज (क्षेत्रों) में आज लोगों की ऐसी स्थिति है कि उनको शाम का खाना भी नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के ऊपर टैक्स लगाना, नमक पर टैक्स लगाना चावल पर टैक्स, दाल पर टैक्स, गेहूं आदि पर टैक्स उचित नहीं है। जिन लोगों का हजार रुपये महीने का खर्च है....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दो मिनट में खत्म करने का यत्न करें क्योंकि मुझे मिनिस्टर साहब को बुलाना है।

श्री झुनझुनवाला : मैं इतनी ही देर में खत्म करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि दो-एक मिनट और लग जायें। तो मैं कह रहा था कि जिन लोगों का हजार रुपये महीने का खर्च होता है बेकार की चीजों में, उनके लिये शायद यह टैक्स बहुत न मालूम हो। अगर देखा जाय तो खाने में हमारा २०० रु० मासिक से अधिक नहीं खर्च होता है। ८०० रु० हमारा चूंकि फैशन आदि की चीजों के लिये खर्च होता है इसलिये हम को मालूम होता है कि क्या हुआ यदि फूडग्रेन्स (खाद्यान्नों) पर थोड़ा-सा टैक्स लग गया। लेकिन हम लोगों को गांव के उन लोगों की कभी भी याद नहीं आती जिन का खर्च २ आ० रोज का है। जो लोग ४ या ५ रु० महीना खर्च करते हैं यदि उन के ऊपर २ आ० भी टैक्स लग गया तो उन की हालत क्या होगी यह मेरी समझ में नहीं आता। यह ठीक है कि हमारे लिये कर लगाना जरूरी है, जो हमारी सेकेन्ड फाइव-इअर प्लैन (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) है उसको हम को सफलीभूत करना है, उसके लिये हम को रुपये की आवश्यकता है। परन्तु मैं वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने विचार कर देखा है कि हमारी जो फर्स्ट फाइव-इअर

प्लैन या सैकेन्ड फाइव-इअर प्लैन है उसका **इंसिडेंस आफ बेनिफिट** हमारी मासेज तक कितना पहुंचा है ? (उससे हमारी जनता को कितना लाभ पहुंचा है) आप जब कर लगाते हैं तो उन के पास चले जाते हैं, सोचते हैं कि क्या हुआ अगर नमक पर थोड़ा-सा कर लग गया, दाल पर आधा पैसा कर लग गया, और हाउस में आकर कह देते हैं एक किसान पर कुल मिला कर शायद चार आने का फर्क पड़ेगा। परन्तु हम लोग यह कभी नहीं सोचते कि फर्स्ट फाइव-इअर प्लैन के लिये जो आप उससे चार आने लेते हैं और उससे जो बेनिफिट (लाभ) आप को मिलता है उससे क्या लाभ उन लोगों का होता है। किसी खास जगह की बात तो मैं कहता नहीं, परन्तु जैनरली अभी तक उन भागों में इसका कोई लाभ नहीं पहुंचा है और न इस सम्बन्ध में कोई भी हमारी रिपोर्ट कुछ कहती है। मैं यही बात पूछ रहा था कि फर्स्ट फाइव-इअर प्लैन में जो इंसिडेंस आफ बेनिफिट हुआ है वह किस क्लास के लोगों पर हुआ है। मैं कहता हूं कि आप टैक्स लगाइये, सबों पर लगाइये, हम लोगों को रुपया चाहिये क्योंकि रुपये के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जैसी कि आजकल रुपये की एकानमी हो गई है, परन्तु ऐसे आदमियों के ऊपर, जिन को दो वक्त खाना नहीं मिलता, दो क्या एक वक्त भी पूरी तरह से खाना नहीं मिलता, उनको उस का कुछ लाभ मिलना चाहिये। मैं जिस कांस्टिट्यूएंसी (निर्वाचन क्षेत्र) से आता हूं वह एक देहात की कांस्टिट्यूएंसी है, मैं वहां की हालत जानता हूं, यहां पर जो टैक्स लगता है उसका हाल भी मैं जानता हूं। कहा जाता है कि सैकेन्ड फाइव-इअर प्लैन में बहुत कुछ होगा, लेकिन गांवों के लिये विशेष कुछ नहीं जान पड़ता है।

ऐसी हालत में हमारे वित्त मंत्री जी को स्टेट्स गवर्नमेंट वालों को समझाना चाहिये कि कर लगाने की जो पावर (शक्ति) है वह सेन्टर में रहनी चाहिये ताकि उन लोगों पर कुछ अंकुश रहे और वह लोग मनमाने टैक्स न लगा सकें जिससे गरीबों को तकलीफ हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना तो बहुत था लेकिन इतना ही कह कर मैं वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जैसा उन्होंने कहा था कि फूडग्रेन्स वगैरह इन्क्लूडेड (सम्मिलित) होंगे, वैसा ही करें।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रतीत होता है कि इस सभा में चर्चा के दौरान में जो विचार व्यक्त किये गये हैं और विशेषकर चीजों की अत्यावश्यकता के बारे में उन के पीछे जो विचारधारा है वह स्थिर तथा जड़वत है, जबकि हमारा वास्ता अस्थिर परिस्थितियों और गतिशील स्थितियों से है। जब संविधान बनाया गया था, तब मैं वहां उपस्थित नहीं था, किन्तु मुझे विश्वास है कि उस समय राज्य सरकारों के विचारों को बड़ा महत्व दिया गया था। किन्तु प्रतीत होता है कि हम उस स्थिति से परे हठ गये हैं और अब संसद् में इस आशय की ध्वनि उठाई जाती है कि संसद् के लिये राज्य सरकारों के विचारों और भावनाओं का उल्लंघन करना युक्तियुक्त है। इस मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार करना ठीक नहीं है।

जैसा कि मैंने कुछ समय पूर्व कहा था, यह राज्यों और केन्द्र के बीच सौदे करने की बात नहीं है। हम पुरानी कठिनाइयों का नवीन हल निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं और जब मैंने कहा कि मैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मेरा यह अभिप्राय था कि मैं ऐसा हल बता रहा हूं, जिस के पक्ष में अधिकतर राज्य हैं। इसीलिये मैंने कहा कि यदि हम इसके बारे में पीछे हटेंगे, तो हम सरकार के रूप में इस विधान को आगे बढ़ाने में उचित नहीं होंगे। निस्संदेह संसद् अपने संविधान परिवर्तक प्राधिकार के अनुकरण में संविधान में अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकती है। इसका अनुच्छेद ३६८ के सीमित अर्थों तक सम्बन्ध है जिस का इस अत्यावश्यकता के प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं है। इसका सम्बन्ध संशोधन की आवश्यकता और अनुसूचियों में परिवर्तन से है, अर्थात् केन्द्र और राज्यों

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सी० डी० देशमुख]

के बीच कार्यपालिका और विधायिनी शक्तियों के वितरण से सम्बन्ध है। किन्तु जहां तक इस विधान के सार का सम्बन्ध है, संविधानिक कठिनाइयां हमारे मार्ग में बाधक नहीं हैं, बल्कि यह अनुभूति बाधक है कि अब सरकार जो कुछ करने जा रही है, उस हल के बारे में सब सहमत हैं।

सौदा करने की बात के बारे में मैं कहूंगा कि जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, वे इस प्रणाली में व्यवस्था लाने के हेतु थोड़ा सा त्याग कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय का ध्यान रखते हुए पहले, उनके लिये हानि की बात के बारे में, वे निस्संदेह अनुभव करते हैं कि उनके लिये अन्तर्राज्य सौदों की चीजों के क्रय और विक्रय पर कर लगाना सम्भव नहीं होगा। समाज के जीवन के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में उपबन्ध है और यह बात राज्य की अपेक्षा केन्द्र के पक्ष में है। यह राज्यों के विपरीत है। इस विधेयक का एक छोटा पहलू है, जहां राज्यों ने करारोपण की अपनी कुछ शक्तियों में कुछ कमी करना स्वीकार कर लिया है। मैं संशोधित पाठान्तर के अनुच्छेद २८६ के उप-अनुच्छेद (२) के वास्तविक शब्दों का यहां उल्लेख नहीं कर रहा। किन्तु मैं यह कह रहा हूं कि अब हम अपनी नवीन शक्तियों के अनुसार जो अन्तर्राज्य विक्रय कर लगायेंगे, वह भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा और यदि हम राज्यों में इस समय विद्यमान दरों से कम दरों पर कर लगायें, तब, उस सीमा तक वे दर घटाने होंगे। इसलिये उन राज्यों को कुछ बलिदान करना पड़ेगा, यद्यपि मैं इस प्रकार की बात को कोई महत्व नहीं देता। विक्रय कर और अभिनवीकरण के सामान्य, प्रश्न के बारे में, वह इतना व्यापक प्रश्न है कि हम उसे यहां नहीं उठा सकते, जब हम केवल संविधान में परिवर्तन कर रहे हैं और इस नवीन संविधान (संशोधन) विधेयक के उपबन्धों के अनुसार वास्तव में कोई विधेयक नहीं बना रहे हैं।

तीन मामलों का उल्लेख किया गया है, परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति, अन्तर्राज्य-करारोपण आयोग की स्थापना और समय-समय पर एकरूपता लाना।

पहले मामले के बारे में, करारोपण जांच आयोग की सिफारिशें राज्यों को भेजी जा चुकी हैं, और इन विशिष्ट सिफारिशों को राज्यों के ध्यान में लाने के लिये हम राज्यों के साथ समय-समय पर होने वाले सम्मेलनों के अवसरों का लाभ उठायेंगे।

विक्रय कर की सामान्य जांच आदि के बारे में, यह कहना ठीक नहीं है, कि कोई जांच नहीं हुई है जब कि करारोपण जांच आयोग ने इस पर खूब विचार किया है। किन्तु स्पष्टतः जांच एक दृष्टिकोण विशेष से हुई है, करारोपण के सामान्य दृष्टिकोण से, और करारोपण भार के सामान्य दृष्टिकोण से भी। विस्तृत प्रक्रिया और प्रशासन से सम्बन्धित कुछ मामले हैं, विशेषकर कर के प्रभावकारी प्रशासन के बारे में, जो करारोपण जांच आयोग के निदेश निबन्धनों में अच्छी तरह नहीं आते थे। मेरा इरादा है और मैंने राज्यों के साथ यह मामला उठाया है कि विक्रय कर के विशेषज्ञों का एक छोटा दल विभिन्न राज्यों में भेजा जाये जो विक्रय कर की प्रणालियों का अध्ययन करे और उन में सुधार करने में सहायता देने का प्रयत्न करे। सब राज्यों से उत्साहवर्द्धक उत्तर प्राप्त हुए हैं। मुझे राज्यों के कुछ अनुभवी अफसरों की सेवायें भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मैं इस दल के लिये विशेषज्ञ चुनूंगा। मुझे आशा है कि बहुत शीघ्र ही हम ऐसी एक विशेषज्ञ पार्टी भेज सकेंगे। कोई अधिक जांच की आवश्यकता होगी या नहीं, यह बात, इस विशेषज्ञ दल द्वारा की जाने वाली जांच के परिणाम पर निर्भर होगी।

†श्री स० स० शाह : कवल विधान निर्माण के लिये नहीं बल्कि प्रशासन के लिये भी।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** मैंने प्रभावी प्रशासन भी कहा था। श्री बंसल ने एक प्रश्न पूछा था कि कपड़े पर वर्तमान विक्रय कर को उत्पादन शुल्क में परिवर्तन कर देने के प्रस्ताव का क्या हुआ है ?

†**श्री बंसल :** मैंने कपड़े के बारे में विशिष्ट रूप से नहीं कहा था।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** जहां तक कपड़े का सम्बन्ध है, हमने यह प्रस्ताव एक विशिष्ट रूप में राज्य सरकारों को भेजा है, और उन के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। जब इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उनकी सहमति प्राप्त हो जायेगी, तो सम्भव है कि हमें इसे क्रियान्विति करने का कोई अवसर मिल जायेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक बैठक में एक से अधिक राज्य मंत्रियों द्वारा, मुख्य मंत्री ने या वित्त मंत्री द्वारा, इसका समर्थन किया गया है। मैं समझता हूं कि यदि हम कपड़े जैसी एक आधारभूत वस्तु के सम्बन्ध में यह परिवर्तन कर सकें, तो सम्भव है अन्य क्षेत्रों में भी इसे लागू करना हमारे लिये सम्भव हो सकेगा। इस विषय में हमारे विचार अभी स्पष्ट नहीं हैं, और मेरे विचार में अभी से ही कोई अन्तिम निर्णय करना आवश्यक नहीं है। हम राज्यों की प्रतिक्रिया से और अपने वास्तविक अनुभव से लाभ उठायेंगे ।

अब मैं झगड़े के मुख्य विषय अर्थात् अनुच्छेद २८६ (३) को लेता हूं। मेरे विचार में श्रीमती जयश्री ने वित्त मंत्री सम्मेलन, जो कि अक्तूबर, १९५२ में संसद् द्वारा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम १९५२ पारित किये जाने के बाद हुआ था, की कार्यवाही की ओर निर्देश किया है। उन्होंने मद्रास के मुख्य मंत्री के भाषण का उद्धरण दिया। मैं यह पढ़ कर सुनाना चाहूंगा कि बम्बई के मुख्य मंत्री ने क्या कहा था :

> "भारत जैसी स्थिति तथा परिस्थिति वाले देश में, करारोपण में एकरूपता लाना सम्भव नहीं था। देश के कुछ भाग कृषि प्रधान हैं और कुछ उद्योग प्रधान हैं। जबकि कपड़ा सस्ता करने के लिये केन्द्र के लिये रुई पर से आयात शुल्क और कपड़े पर से उत्पादन शुल्क हटाना सम्भव नहीं था, तो फिर राज्यों से विक्रय कर हटाने के लिये क्यों कहा जाये ? अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५२ की अनुसूची में जो मदें बढ़ाई गई हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी हैं, जिन्हें अत्यावश्यक नहीं कहा जा सकता है।"

अन्य वित्त मंत्रियों ने भी लगभग इसी तरह की बातें कही थीं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा था कि अत्यावश्यक वस्तु की परिभाषा करना कठिन था और राज्य सरकार को यह छूट प्राप्त होनी चाहिये कि वह जितना विक्रय कर आवश्यक समझे लगाये।

†**श्री डाभी :** किन्तु बम्बई सरकार ने मोटे कपड़े और नमक और तेल जैसी अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं पर कर नहीं लगाया है।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** मैं उन की सम्मति का निर्देश कर रहा हूं, कार्यों का नहीं। इसलिये हमें स्वीकृत हलों के आधार पर चलना चाहिये, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रवर समिति से कहा था कि इस विधेयक पर विचार करना, और इसके साथ-साथ राज्य सरकारों को इस सदन की राय से अवगत कराना हमारे लिये वांछनीय होगा। जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें किसी वाक्बद्धता का प्रश्न नहीं है बल्कि एक समझौते का प्रश्न है, जोकि कराधान जांच आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों पर आधारित है। एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि ऐसा दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया है। मैं उनका ध्यान कराधान जांच आयोग की रिपोर्ट के तृतीय खण्ड के पृष्ठ ५० से ५५ तक की

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सी० डी० देशमुख]

ओर दिलाता हूं। रिपोर्ट काफी लम्बी और जटिल है और इस में से लम्बे उद्धरण दे कर मैं सदन का समय नहीं लूंगा। तात्पर्य यह है कि जहां तक आन्तरिक खपत का सम्बन्ध है, कराधान जांच आयोग की दृष्टि में राज्यों को कर लगाने के लिये स्वतन्त्र कर देना चाहिये। और हमें राज्य विधान मण्डलों की, जिन्हें राज्य अनुसूची में दिये गये विषयों के बारे में संसद् के साथ समान क्षेत्राधिकार प्राप्त था, राय में विश्वास करना चाहिये। इस दृष्टिकोण को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों ने पसन्द किया था और इसी के फलस्वरूप यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। तथापि कम से कम मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, चाहे यह उन्मुक्ति का प्रश्न हो या साधारण करारोपण का या एकरूपता का प्रश्न हो, जिनके सम्बन्ध में बहुत से लोगों की निश्चित राय हैं, नये विचारों पर सदैव ध्यान देने के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये। ऐसे विषयों का यह महत्व कभी कम नहीं होगा।

इसलिये मैंने इस सदन के और इस के सदस्यों की राय राज्य सरकारों तक पहुंचाने का काम अपने हाथ में लिया है। जब मुझे राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठकों के सम्बन्ध में, उनसे मिलने का अवसर मिलेगा, जो वर्ष में एक बार से अधिक मिलता है, तो मैं उनसे इन विषयों पर चर्चा करूंगा। यह जानने के लिये कि क्या इन अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में काफी सहमति है या नहीं इस समय कोई अलग सम्मेलन करना आवश्यक नहीं है।

इस बीच में, उनके दृष्टिकोण से भी, जो अनुच्छेद २८६ (३) को बनाये रखने के लिये अनुरोध करते हैं, स्थिति ऐसी नहीं है कि उसमें सुधार ही न किया जा सके, क्योंकि उन वस्तुओं की सूची में, जो अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के लिये विशेष महत्व की है, मदें बढ़ाई जा सकती हैं। मुझे अभी एक राज्य सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझ से अपीलें की गई हैं कि "वस्तु" जैसे सामान्य शब्द के स्थान पर "कच्चा माल" शब्द पुनः रख दिये जायें। इससे केवल यह प्रकट होता है कि इस सम्बन्ध में उनकी क्या आशंकायें हैं। वे आशंकायें यह हैं कि कहीं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की तरह संसद् अपनी उदारता के कारण उन वस्तुओं की एक बहुत लम्बी सूची न बना दे, जो अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के लिये विशेष महत्व की है। इसलिये मैं कोई झूठी आशायें उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं। तथापि मैं खाद्यान्न जैसी वस्तुओं के सूची में सम्मिलित किये जाने की सम्भाव्यता पर रोक भी नहीं लगाना चाहता हूं विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि उचित मूल्य की दुकानों के लिये या मूल्य नियन्त्रण के लिये खाद्यान्नों का बड़े पैमाने पर लाना ले जाना आवश्यक है।

ऐसी परिस्थितियां सरलता से उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें यह सिद्ध करना कठिन नहीं होगा कि अन्तर्राज्यिक वाणिज्य और व्यापार में खाद्यान्नों का एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना कितना महत्व रखता है। यदि ऐसा है, तो मुझे इस सन्देश को राज्य सरकारों तक पहुंचाने में कोई कठिनाई होने की आशा नहीं है। मंत्रि मण्डल में मेरे कुछ साथियों का भी यही मत है। इसलिये मेरी यह राय है कि हम इस विषय को यहीं छोड़ कर हमारे समक्ष जो विधान है इसे पारित करने के लिये कार्यवाही करें।

संशोधनों पर विचार करते समय एक-दो और विषय हमारे सामने आयेंगे। शायद पंडित भार्गव ने अनुच्छेद ३०४ और समस्त भाग १३ की ओर निर्देश किया था। हमारा विचार है कि विशेष रूप से भाग १३ की ओर निर्देश करना आवश्यक नहीं है। जहां तक अनुच्छेद ३०४ का सम्बन्ध है मैं इसका जो अभिप्राय समझता हूं वह पंडित भार्गव के बिल्कुल विपरीत है उनका कहना है कि अनुच्छेद ३०४ के खण्ड (ख) के अनुसार कर के अनुचित रूप से अत्याधिक स्तर का अर्थ वाणिज्य और व्यापार की स्वतन्त्रता पर उचित निर्बन्धन लगाना हो सकता है। मैं उनका ध्यान अनुच्छेद ३०४ के उपखण्ड

(क) की ओर दिलाता हूं जो विशेष रूप से कराधान के बारे में है। छोटा शीर्षक है "राज्यों के पारस्परिक व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन"। यह कराधान के बारे में है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अतः मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि कर सम्बन्धी सभी मामले उपखण्ड (क) में आ जाते हैं और उपखण्ड (ख) का सम्बन्ध कर सम्बन्धी किसी मामले से नहीं है। वे तो केवल संविधान द्वारा कर पर आरोपित किये जाने वाले परिसीमन हैं। अतः हम अनुच्छेद ३०४ के अन्तर्गत किसी भी अन्य प्रकार का कर लगा सकते हैं।

यह पूछा गया था कि प्रस्तावित विधेयक का क्या रूप होगा? अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। विधेयक का क्या स्वरूप होना चाहिये इस पर चर्चा करने के लिये लोक-सभा को काफी अवसर मिलेगा। कुछ भी हो, मेरा विचार है कि स विधेयक को पारित किये जाने का समर्थन करने का निश्चय करने के लिये लोक-सभा को विधेयक के उपबन्धों को जानना आवश्यक न हीं है। हमारे विचार निश्चित हैं, और हमने ब्योरे के बारे में भी विचार किया है जैसे कि क्या पंजीबद्ध और अन्य विक्रेताओं के लिये दरें अलग होनी चाहियें; विशेष और अन्य वस्तुओं में क्या अन्तर होना चाहिये और संग्रह वितरण आदि का क्या ढंग होना चाहिये हमने इस विषय पर विचार किया है और मेरे विचार से वर्तमान प्रयोजन के लिये यह जानना कि स विधान का स्वरूप क्या होगा आवश्यक नहीं है।

मैंने एक माननीय सदस्य के इस सुझाव पर विचार किया है कि दो- ीन विधेयकों को स्नत करने की बजाये उन सब को एक ही में मिला दिया जाये। स्पष्ट है कि इस से सुविधा होगी। एक विधान में अनुच्छद २६९ के प्रयोजनों के लिये अन्तर्राज्यिक वाणिज्य और व्यापार सम्बन्धी परिभाषायें दी जा सकती हैं और अनुच्छेद २८६ के खण्ड (१) के प्रयोजनों के लिये इस विषय से सम्बन्ध रखने वाली परिभाषायें दी जा सकती हैं कि क्या वस्तुयें बाहर जा रही हैं अथवा क्या उनका निर्यात किया जा रहा है। हम अन्तर्राज्यिक वाणिज्य तथा व्यापार में काम आने वाली वस्तुओं का उल्लेख नहीं कर सकते। एक विधान प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें केवल प्रारूप तैयार करने और सुविधा का ही प्रश्न है।

एकरूपता के इस सामान्य प्रश्न के बारे में मैं राज्य सरकारों के विचार बता चुका हूं और मेरा विश्वास है कि परिस्थितियां ऐसी हो जायेंगी कि राज्यों को शुल्क की दरें एक-सी करनी पड़ेंगी क्योंकि सदा किसी न किसी राज्य को शिकायत ही रहती है। एक माननीय सदस्य ने एक उदाहरण दिया था कि उत्तर प्रदेश में कुछ खौंचे वालों को हानि पहुंचती है क्योंकि दिल्ली में दरें कुछ कम हैं। सभी जगह ऐसी ही बात है। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि क्योंकि हमको विश्वास है इसलिये विक्रय कर का अभिनवीकरण होगा परन्तु यह कार्य किसी भावना अथवा विक्रय कर सम्बन्धी किसी सिद्धान्त के कारण नहीं होगा।

हम से पूछा जाता है कि विभिन्न करों का आपात अभिलिखित करने के लिये कौन-सी मशीनरी है। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड हमारा आर्थिक विभाग और रक्षित बैंक निरन्तर इसका अध्ययन करता रहता है। करों के आपात का अध्ययन हमारे कराधान जांच आयोग ने बड़े पैमाने पर किया है। स्पष्ट है कि जैसे-जैसे हमारे कर बढ़ते जायेंगे हमें अपने पास विस्तृत आंकड़े रखने होंगे ताकि हम लोक-सभा को उन करों का औचित्य बता सकें। दूसरे शब्दों में, जैसे कि मैंने पहले एक दिन कहा था लोक-सभा

[श्री सी० डी० दशमुख]

को इस बात का पता लगाने के लिये अधिक ध्यान रखना पड़ेगा कि अतिरिक्त कराधान की प्रक्रिया से किन्हें हानि हो रही है। इसका दायित्व वित्त मंत्रालय पर पड़ता है। उस प्रयोजन के लिये एकत्र किये गये आंकड़ों को हम सम्पूर्ण बनाने का प्रयत्न करेंगे। माननीय सदस्य जिन कठिनाइयों का अनुभव करते उनका मैं ने स्पष्टीकरण कर दिया है, अतः मैं प्रस्ताव लोक-सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन को पहले मतदान के लिये लोक-सभा के समक्ष रखूंगा।

†**श्री वल्लाथरास** : मैं संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये सभा के समक्ष रखूंगा। प्रश्न यह है -

"कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ३४२ और विपक्ष में ६।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ।

अब खण्डशः विचार प्रारम्भ होगा।

खण्ड—२ सातवीं अनुसूची का संशोधन

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या १ और ३ का प्रस्ताव करता हूं।

मैं अपने नोट में यह बता चुका हूं कि इन संशोधनों का आधार क्या है। मैं आज सुबह बता रहा था कि संविधान के निर्माता चाहते थे कि समस्त देश में व्यापार और वाणिज्य और समागम अबाध रहे और यह कि संविधान को कई भागों में विभाजित किया गया है। मैंने कहा था कि इस प्रविष्टि को संविधान के भाग १३ के उपबन्धों के अधीन होना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद ३०१ में लिखा है कि "इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा।" यही नहीं अनुच्छेद ३०७ में इसको प्रभावी बनाने का उपबन्ध है कि "संसद् विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जैसा कि वह अनुच्छेद ३०१, ३०२, ३०३ और ३०४ के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये समुचित समझे।" अस्तु संविधान के निर्माताओं ने इस उपबन्ध को व्यर्थ ही सम्मिलित नहीं किया है, वरन् वे उसको कार्यान्वित भी करना चाहते थे।

"भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा," शब्दों का क्या अर्थ है? उनका अर्थ यही है कि जब तक लोकहित के लिये आवश्यक न हो। समस्त भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये। मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता। भारत की एकता ऐसे कानूनों से बनाई रखी जा सकती है। जब तक लोग समस्त

†मूल अंग्रेजी में।

देश को अपना नहीं समझते मैं समझता हूं कि समस्त भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम को अबाध नहीं कहा जा सकता ।

माननीय वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में मेरा ध्यान अनुच्छेद ३०४ (क) और (ख) की ओर आकर्षित कराया । मैं भी उनका ध्यान अनुच्छेद ३०६ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । जिसमें भाग 'ख' के राज्यों में करों का उल्लेख है । अनुच्छेद ३०४ के उपखण्ड (क) में भी राज्य द्वारा वस्तुओं के करारोपण पर एक अन्य प्रतिबन्ध का संकेत है । इसलिये यही एक प्रतिबन्ध नहीं है जिसकी कल्पना यह भाग करता है । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह एक प्रकार का प्रतिबन्ध है । अनुच्छेद ३०४ से भी यही सिद्ध होगा कि करारोपण को एक प्रकार का प्रतिबन्ध माना गया है । यह सर्वथा सही है कि अनुच्छेद ३०४ (क) में एक ऐसा कर है जो भेदभाव की प्रकृति का है । यदि इस प्रकार का कर एक प्रतिबन्ध है तो प्रत्येक अन्य प्रकार का कर भी प्रतिबन्ध समझा जायेगा यदि वह दिये हुए मापदण्ड को सन्तुष्ट नहीं करता । अनुच्छेद ३०१ में यह स्पष्ट है कि संसद् तभी कोई प्रतिबन्ध लगा सकती है जब वह लोकहित में हो । मैं यह नहीं कहता कि यह विधेयक लाना लोकहित में नहीं है । मैं स्वयं उसे लोकहित का समझता हूं । मैं चाहता हूं कि विधेयक में यह लिखा जाना चाहिये कि ऐसा लोकहित में किया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रत्येक विधान में भाग १३ को लागू बनाना आवश्यक है । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर सरकार मुझ से सहमत होगी कि भाग १३ लागू होता है । यदि ऐसा है तो मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह अन्तर्निहित को स्पष्ट बनाना है । हमें ऐसे प्रत्येक विधेयक में यह देखना चाहिये कि वह लोकहित के लिये आवश्यक हो । जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, वे केन्द्रीय सरकार की अनुमति से उचित प्रतिबन्ध लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं । यदि ऐसा है तो संविधान ने ऐसे परित्राणों का उपबन्ध पहले ही कर दिया है जैसे हम चाहते हैं । यदि यह निर्वचन सही है तो वित्त मंत्री जो कुछ कर रहे हैं वह सर्वथा ठीक है । वह राज्यों से भी कह सकते हैं कि वे बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के कानून नहीं बना सकते । ऐसे परित्राण मौजूद हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाय क्योंकि उनमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं इस सम्बन्ध में पहले ही कुछ कह चुका हूं । मैं मानता हूं कि हमारा दृष्टिकोण यह है कि संविधान का संशोधन करते समय यह निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है कि उस पर संविधान का कोई खास भाग खास तौर से लागू होता है । यह कहना आवश्यक नहीं है कि किसी सूची की कोई खास प्रविष्टि अमुक भाग के अधीन है क्योंकि जब कभी पाठ में इसकी अपेक्षा होगी वह अधीन रहेगी ही चाहे हम उसे स्पष्टत: कहें या नहीं । उदाहरणार्थ, प्रविष्टि संख्या ४२, अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य को ले लीजिये । वहां भी मैं कहूंगा कि वह भाग १३ के अधीन है । इस कारण मैं यह प्रविष्टि आवश्यक नहीं समझता ।

दूसरी बात छोटी सी है कि इस भाग का अर्थ करते समय कोई व्यक्ति करारोपण का निर्देश उस सीमा तक ही करेगा जहां तक अनुच्छेद ३०४ (क) और अनुच्छेद ३०६ में जैसा कि माननीय सदस्य ने संकेत किया, उसका सामान्यत: निर्देश है । मैं यह तो नहीं कहूंगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी जब किसी अन्य प्रकार के करारोपण का अर्थ इसके अन्य भाग का उल्लंघन न हो । इस मामले में उनके साथ सहमत होना आवश्यक नहीं है । परन्तु फिर भी मेरा यह मत है और मेरे कानून सलाहकारों ने यह सलाह दी है कि इसका निर्दिष्ट उल्लेख आवश्यक नहीं है । इसलिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपने संशोधन वापिस ले लें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपने संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड २ में कोई संशोधन नहीं है । मैं समस्त खण्डों पर एक साथ ही मतदान लूंगा यदि कोई माननीय सदस्य अन्यथा इच्छा न प्रकट करें । खण्ड २ पर मतदान अभी रुका रहेगा और हम खण्ड ३ को लेंगे ।

खण्ड ३—(अनुच्छेद २६९ का संशोधन)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरे दो संशोधन हैं संख्या ४ और ५ । परन्तु मैं उन्हें रखना नहीं चाहता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य कोई संशोधन इस खण्ड में नहीं है । इस पर मतदान अभी रुका रहेगा और हम खण्ड ४ लेंगे ।

खण्ड ४—(अनुच्छेद २८६ का संशोधन)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपने संशोधन संख्या ७, ९, १०, ११, १२ व १३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : मैं संशोधन संख्या ८ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री झुनझुनवाला** : मैं संशोधन संख्या १७ तथा १९ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब ये सभी संशोधन सभा के सामने हैं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं इस समय इन संशोधनों के बारे में कुछ न कहता हुआ संशोधन संख्या ७ के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

वित्त मंत्री जी ने हमें बताया है कि वह कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदन को क्यों स्वीकर कर रहे हैं । उन्होंने बताया है कि वह कोई सौदाबाजी नहीं कर रहे हैं, अपितु कोई ऐसा निर्णय करना चाहते हैं जो कि सारे देश के लिये हितकर सिद्ध हो । इसके बारे में मेरा उनसे यही निवेदन है कि वह देश के किसी भी भाग में जाकर वहां की जनता की राय पूछें । उनमें से ९९·९ प्रतिशत जनता की वही राय होगी जो कि मेरी राय है । इससे पहले मैं सदा यही विचार करता था कि जीवन की अत्यावश्यक वस्तुओं पर कर नहीं लगना चाहिये, परन्तु अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा अन्य प्रकार की परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जब तक मध्यम वर्ग के लोगों पर भी कर न लगाया जायेगा तब तक योजना को सफल न बनाया जा सकेगा । इसीलिये मेरा यह निवेदन है कि उसमें "अत्यावश्यक" (essential) शब्द रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । संशोधन संख्या ७ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विषय को दो भागों में विभक्त कर दिया जाये । वर्तमान संशोधन उसका भाग (क) बना दिया जाये और मेरा संशोधन उसका भाग (ख) बना दिया जाये ।

मैं समझता हूं कि प्रस्तावित संशोधन के द्वारा संसद् से एतत्सम्बन्धी सभी अधिकार ले लिये जायेंगे । अब मेरे इस संशोधन के अनुसार, मैं समझता हूं, कि राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले सभी करों

†मूल अंग्रेजी में ।

पर संसद् का नियन्त्रण रहेगा । अब संसद् तथा केन्द्रीय सरकार को राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले करों पर पूरा अधिकार होगा ।

जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, मैं नहीं चाहता कि राज्यों की स्वतन्त्रता छीन ली जाये । परन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि कराधान के सम्बन्ध में सभी राज्यों में एक समानता हो । यदि सारा भारत एक है और सभी राज्य भारत के ही अंग हैं, तो मेरा यही निवेदन है कि सभी राज्यों में कराधान के बारे में एक समानता हो और जीवन की अत्यावश्यक वस्तुओं पर कर न लगाया जाये ।

यदि ऐसा नहीं किया गया तो सभी राज्यों में एक पारस्परिक होड़-सी पैदा हो जायेगी, जैसी कि इस समय पंजाब और दिल्ली में हो रही है । अतः यह आवश्यक है कि सभी राज्यों में इस बारे में समन्वय रखा जाये । यह समन्वय तथा समानता केन्द्रीय सरकार ही उत्पन्न कर सकती है । अतः मैं समझता हूं कि जनता के मौलिक अधिकारों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में समस्त अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथ में हों । राज्य सरकारों को इस बात का भय नहीं होना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार उनके साथ अन्याय करेगी । मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार ही समस्त राज्यों में एक सच्चा तथा न्यायपूर्ण समन्वय उत्पन्न कर सकेगी ।

बिना किसी प्रकार के समन्वय के सभी राज्य अपनी मनमानी करते रहेंगे । मैं समझ नहीं सका कि इसमें क्या तर्क है कि पंजाब से बम्बई जाने वाली रुई पर कर लगेगा, परन्तु बम्बई से बाहर जाने वाले मोटे कपड़े पर कोई कर न लगेगा । मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के भेदभाव को दूर कर देश के सभी राज्यों के लिये एक समान नीति बनायी जाये ।

अतः सभा से मेरा निवेदन है कि इस सारे खण्ड को दो भागों में बांट दिया जाये और एतत्सम्बन्धी इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाये । ये संशोधन खण्ड में कोई भारी उथल-पुथल नहीं कर देंगे ।

यदि ये इसी समय स्वीकार न भी किये जा सकें, तो भी यदि वित्त मंत्री जी हमें यह आश्वासन दे दें कि इन सभी बातों पर अच्छी प्रकार से विचार किया जायेगा, तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक से हमें बहुत कुछ लाभ हो सकेगा ।

श्री झुनझुनवाला : जब मैं जनरल डिसकशन (सामान्य चर्चा) के समय बोला था तो मैंने इन दोनों बातों के बारे में कहा था । मैं चाहता हूं कि इसमें "or essential requirements of life" (अथवा जीवन की अत्यावश्यक वस्तुएँ) यह रहना चाहिये । हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वह आश्वासन तो नहीं दे सकते परन्तु हो सकता है कि जब बिल आवे तो उसमें फूडग्रेन्स (खाद्यान्न) और कुछ दूसरी आवश्यक चीजें शामिल की जायें । इसलिये मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे मेरे अमेंडमेंट (संशोधन) नम्बर १७ को स्वीकार कर लें ।

मैंने अपने अमेंडमेंट नम्बर १९ में कहा है कि क्लाज (खण्ड) ३ सेक्शन (धारा) २८६ को क्यों हटा दिया गया है । उसे रखा जाना चाहिये । इसमें तो उन लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है कि वे लोग कानून बनावें उसे प्रेसीडेंट की रजामन्दी की जरूरत हो । अभी तक जब भी आवश्यकता हुई है और स्टेट वालों ने कानून बनाये हैं तो राष्ट्रपति की रजामन्दी ली गयी है और वह दी गयी है । अभी जो उत्तर प्रदेश में लॉ बना दिया गया है और आवश्यक चीजों पर कर लगा दिया गया है जिससे वहां बड़ा भारी आन्दोलन हो रहा है । यदि ऐसे मामलों में प्रेसीडेंट के हाथ में रजामन्दी रहे तो स्टेट वालों पर एक अंकुश रहेगा और जो चीज इन्साफ की होगी और ठीक होगी वह मंजूर की जायेगी । इसलिये मेरी राय है कि इस क्लाज को रखना चाहिये ।

†**श्री साधन गुप्त** : मैंने खण्ड ४ के बारे में संशोधन ८ प्रस्तुत किया है । मैं इस सम्बन्ध में पंडित ठाकुरदास भार्गव के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं । वह कराधान आदि के बारे में सारे देश के लिये एक समान नीति लागू करने के पक्ष में हैं । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि संघवाद का सिद्धान्त जिस पर हमारा संविधान आधारित है, इस प्रकार का है कि देश के भिन्न भागों के लिये भिन्न प्रकार का प्रशासन और अलग विधियां होंगी ।

मेरे माननीय मित्र ने भेदभाव का प्रश्न भी उठाया है । इस प्रकार की विधि अमरीका में भी पाई जाती है । यह होते हुए भी विभिन्न राज्यों के मध्य और विविध राज्यों के अन्तर्गत अनेक प्रकार के स्थानीय उपबन्धों में विविधता के रहते हुए भी उसे संविधान का उल्लंघन नहीं समझा जाता और सभी विधियों की रक्षा की जाती है ।

देश के प्रशासन की सुविधा के लिये विभिन्न भागों को अलग रखने के कारण यह अनिवार्य है कि उनकी विधियों तथा करों में भी अन्तर होगा । प्रत्येक राज्य के कर उस राज्य विशेष के संसाधनों के ऊपर निर्भर रहते हैं । किसी राज्य में विकास हो जाने के कारण अधिक कर लगाये जा सकते है तो किसी में कम । अतः राज्यों में सामान करारोपण के लिये यहां जोर देने का कोई अर्थ नहीं है ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव ने जो कुछ कहा उस पर मुझे यही आपत्ति है । किन्तु जहां तक सारभूत पदार्थों का सम्बन्ध है, उनके तर्क में कुछ शक्ति है । उनका कहना ठीक है कि सारभूत पदार्थों पर करारोपण में समानता होना इसलिये और भी आवश्यक है कि ऐसा न होने से विभिन्न भागों से विशेषकर पड़ोसी राज्यों से माल चोरी-छिपे लाया लेजाया जा सकेगा । इसका देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । अतः करारोपण के सम्बन्ध में समानता आदि लाने के लिये संसद् को कुछ शक्ति देना वांछनीय है । इसी प्रकार अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य वाले विशेष महत्वपूर्ण पदार्थ के बारे में भी कुछ न कुछ समानता लाना आवश्यक है ।

इस दृष्टि से अनुच्छेद २८६ में जो नया खण्ड ३ प्रस्तावित किया गया है, उससे पुराने खण्ड में सुधार हो जाता है । पुराने खण्ड ३ में यह सब से बड़ी कमी थी कि जब कभी इस प्रकार की कोई विधि राज्य सरकार द्वारा बनाई जायेगी तो उसके लिये राष्ट्रपति अर्थात् केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी होगी । ऐसी विधि के बारे में यह पता लगाना कठिन था कि किसी निधि पर अपनी अनुमति देने में केन्द्रीय सरकार किस सिद्धान्त का पालन करती है । इससे एक लाभ यह अवश्य होगा कि अब राज्यों को ही दरों का निर्णय आदि करना होगा और केन्द्रीय सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी । इस प्रकार खण्ड ३ के द्वारा वास्तव में सुधार हुआ है । किन्तु मेरे विचार से यदि समुदाय के लिये सारभूत पदार्थ इसमें सम्मिलित कर लिये जायें तो अच्छा होगा । इसी कारण मैंने संशोधन संख्या ८ का सुझाव दिया था ।

ऐसे पदार्थों पर बिक्री कर यदि लगाना हो तो बड़ी सावधानी से लगाना चाहिये क्योंकि कई बार गरीबों पर इसका बहुत भार पड़ता है जिससे जनता का जीवन-स्तर गिर जाता है । यदि जीवनोपयोगी वस्तुओं पर कर लगा दिया जाता है तो उनका जीवन-स्तर, जो पहले से ही गिरा हुआ है, और भी गिर जायेगा । यदि कर लगाना भी हो तो किन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर लगाना चाहिये जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच चोरी-छिपे उन पदार्थों को लाया और लेजाया न जा सके । इससे जनता को और भी कष्ट उठाना पड़ेगा । अतः मैं सिफारिश करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा। सर्वप्रथम मैं पंडित ठाकुर-दास भार्गव के संशोधनों को लूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७, ९, १०, ११, १२ और १३ मतदान के लिये रखे गये जो अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री झुनझुनवाला के संशोधन संख्या १७ और १९ हैं। क्या माननीय सदस्य उन्हें सभा के मतदान के लिये रखवाना चाहते हैं ?

†**श्री झुनझुनवाला** : मैं उन्हें वापस लेना चाहूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत किया गया जो अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सभी खण्डों को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, ३ और ४ विधेयक के अंग बनें।"

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : अधिनियमन सूत्र और नाम के बारे में क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसके लिये केवल बहुमत चाहिये।

†**श्री साधन गुप्त** : नाम में संशोधन होना चाहिये। इसका नाम संविधान (छठा संशोधन) विधेयक होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां।

मैं खण्ड २, ३ और ४ रखूंगा जिसके लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। खण्ड १ के लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, मैं खण्ड १ को अलग से रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, ३ और ४ विधेयक के अंग बनें।"

सभा में मत विभाजन* हुआ। पक्ष में ३२८ मत; विपक्ष में २ मत।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ है।

खण्ड २, ३ और ४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

*इस मत विभाजन का परिणाम खण्ड २, ३ और ४ पर अलग-अलग लागू होता है।

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम)

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति ३ में "Tenth Amendment" ["दसवां संशोधन"] के स्थान पर "Sixth Amendment" ["छठा संशोधन"] रखा जाये ।

मुझे परामर्श दिया गया है कि पारित किया जाने वाला, वास्तव में. यह छठा विधेयक होगा। छान बीन करने से यह दसवां न होकर छठा होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति ३ में "Tenth Amendment" ["दसवां संशोधन"] के स्थान पर "Sixth Amendment" ["छठा संशोधन"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ३३३ मत, विपक्ष में २ मत ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ है। विधेयक, संशोधित रूप में, पारित होता है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० की ३० सितम्बर, १९५४ से ३१ मार्च, १९५६ तक की कार्यान्विति सम्बन्धी सांख्यिकी पर विचार किया जाये ।"

अभी-अभी सभा के सम्मुख रखा गया प्रस्ताव बड़ा सीधा-सादा है । इसमें नीति सम्बन्धी कोई बड़ा प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । मुझे सभा के सम्मुख कुछ तथ्य रखने का अवसर दिया गया है जिन्हें सभा समय-समय पर मुझ से चाहा करती थी । मैं केवल सभा के आदेशों का पालन करता रहता हूं । मुझे यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने में हर्ष होता है क्योंकि मुझे काफी समय से इसके लिये प्रतीक्षा करनी पड़ी थी । कई बार मुझे इसके लिये निराश होना पड़ा था, किन्तु अन्ततोगत्वा आज वह अवसर आ ही गया और मैं आशा करता हूं कि मैंने जो जानकारी दी है उससे माननीय सदस्य सन्तुष्ट होंगे । यहां तक कि श्री कामत को भी इस पर कोई आपत्ति न होगी । (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : आप धीरे-धीरे इसे जान लेंगे ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : जहां तक निवारक निरोध के सिद्धान्त का सम्बन्ध है, इसे, संविधान द्वारा मान्यता मिली हुई है । निवारक निरोध के विनियमन के लिये उसमें जो नियन्त्रण और निर्बन्धन निर्धारित किये गये हैं उनकी विशद व्याख्या निवारक निरोध अधिनियम में की गई है जो १९५० में पारित किया गया था । यह मामला सभा के सम्मुख अनेक बार रखा जा चुका है । मैं समझता हूं कि पांच बार से अधिक इस विषय पर पूरी चर्चा की जा चुकी है । पहले तो जब संविधान पारित हुआ था तब चर्चा हुई थी, उसके पश्चात् संशोधन रखने के समय और तब जब मूल अधिनियम समय-समय पर बढ़ाया गया । पिछली बार दिसम्बर, १९५४ में इस पर चर्चा हुई थी जब कि इसका समय तीन वर्ष बढ़ा दिया गया था । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, निवारक निरोध के सिद्धान्त को लागू करने के लिये जिन शर्तों की आवश्यकता होती है, उन्हें संसद् ने बड़ी सावधानी से रखा है । सभी जिलों में जिला पदाधिकारियों द्वारा निरोध के लिये आदेश दिया जा सकता है, किन्तु बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद जैसे बड़े-बड़े नगरों में पुलिस के आयुक्तों को यह प्राधिकार दिया गया था किन्तु उन्हें पांच दिनों के भीतर निरोध के कारण बताने पड़ते थे और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा १२ दिनों के भीतर उस आदेश का अनुसमर्थन न कर दिया जाये तब तक उसे व्यपगत समझा जाता था । तत्पश्चात् सरकार को स्वयं ३० दिनों के भीतर परामर्शदात्री निकाय को उसका निर्देश करना पड़ता था और केवल परामर्शदात्री निकाय की सहमति से ही १२ मास से अधिक काल के लिये निरोध की अनुमति नहीं की जा सकती थी । परामर्शदात्री परिषद् अथवा बोर्ड में तीन व्यक्ति होते हैं अर्थात् वे जो उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश हैं अथवा रह चुके हैं अथवा जिन्हें इस कार्य के लिये अर्हता प्राप्त है । बोर्ड का सभापति दोनों में से प्रत्येक दशा में उच्च-न्यायालय का स्थानापन्न अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश होगा । अतः व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये उचित सावधानी बरती गई थी ।

यह ठीक है कि ऐसी सावधानी बरती जानी चाहिये थी । हम सब इस बात के इच्छुक हैं कि वाक्, कार्य और सन्था के बारे में, केवल जब तक कि वह उचित सीमा को लांघ कर अधिकाधिक अथवा जनसमुदाय की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप न करने लगे, दी जानी चाहिये । केवल तभी प्रत्येक नागरिक उन मूल अधिकारों का उपयोग कर सकेगा जो संविधान द्वारा इस देश के सभी व्यक्तियों

†मूल अंग्रेजी में ।

[पंडित जी० बी० पन्त]

को दिये गये हैं । इसी भावना से और इस सभा द्वारा सहमत सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, यह अधिनियम लागू किया गया है ।

मुझे किसी घटना विशेष का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है । हाल ही में खड़गपुर में हुई घटनाओं पर यहां कल चर्चा हुई थी ।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़––पश्चिम व जिला राय बरेली––पूर्व) : आज कालका में उससे भी गम्भीर घटना घटी है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (जिला बनारस––मध्य) : वहां चार व्यक्ति मरे और छः घायल हुए ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : वहां और भी अधिक भयानक हिंसात्मक कार्य हुए । अतः इन आंकड़ों की जांच करते समय और उस दायित्व को ध्यान में रखते हुए जो इस देश के लोगों और संविधान के प्रति है, हमें किसी भी ऐसे वक्तव्य से सावधान रहना चाहिये जिस से और अधिक ऐसी भावना उत्पन्न हो जो विदेशी हो और जो आज कुछ भागों में फैल गई है । मैं वैयक्तिक मामलों पर वाद-विवाद नहीं करूंगा, जैसा कि मैं कह चुका हूं ।

१ अक्तूबर, १९५४ को इस महान देश में, इस संघ के प्रत्येक राज्य को मिलाकर, १३२ से अधिक व्यक्ति निरुद्ध नहीं हुए ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : जब संख्या इतनी कम है तो फिर इस अधिनियम की आवश्यकता क्या है ?

†**पंडित जी० बी० पन्त** : यह संख्या कम अवश्य है, किन्तु इस बात की सावधानी रखी गई थी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का निरोध न किया जाये जिसका निरोध करने के लिये पर्याप्त कारण नहीं है । अतः १३२ से अधिक यह संख्या नहीं है । कुछ माननीय सदस्यों को इस बात से यदि सदमा नहीं पहुंचा तो निराशा अवश्य हुई है कि अधिकारियों ने इतनी सावधानी से काम लिया । १ अक्तूबर, १९५५ को यह संख्या १२३ से अधिक नहीं थी, अतः यह संख्या १ अक्तूबर, १९५४ से कुछ कम थी । १ जनवरी, को यह संख्या १३१ हो गई ।

अब मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि १ अक्तूबर, १९५४ से आरम्भ होने वाले और ३० सितम्बर, १९५५ के अन्त तक ३२५ व्यक्तियों का निरोध किया गया । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, निरोध एक वर्ष से अधिक काल के लिये नहीं किया जा सकता और निवारक निरोध अधिनियम की धारा (३) में वर्णित किन्हीं भी कारणों पर आदेश जारी किये जा सकते हैं । भारत की सुरक्षा अथवा सम्भरण और सेवाओं के लिये नियमों की उन्नति जारी रखने के लिये शांति और व्यवस्था बनाये रखना भी उसका कारण हो सकता है । इन सब श्रेणियों को देखते हुए इन वर्षों में, जैसा कि मैं विशेष दिनों पर बता चुका हूं, कुल इतने ही व्यक्ति निरुद्ध किये गये थे । गत वर्ष की पिछली तिमाही के तीन महीनों के दौरान में ६४ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया और ५६ व्यक्तियों को विमुक्त किया गया । इस वर्ष की प्रथम तिमाही में १६० व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था और ९६ व्यक्तियों को विमुक्त किया गया ।

पिछले वर्षों के आंकड़ों को आप देखें । १९५० में १०,९६२ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था । १०,९६२ की अपेक्षा नजरबन्द किये गये व्यक्तियों के आंकड़े ५ प्रतिशत भी नहीं हैं । इसमें

†मूल अंग्रेजी में ।

काफी कमी आ गई है। १९५१ में नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या २,३१६ रह गई थी, जब कि १९५२ में उनकी संख्या १,११६ रह गई थी। इन आंकड़ों से आपको यह पता चल जायगा कि प्रगति ठीक हो रही है। समय की प्रगति के साथ-साथ नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या कम हो रही है। १९५२-५३ में उनकी संख्या ७३६ थी। अतः प्रतिवर्ष कुछ न कुछ सुधार हो रहा है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि देश के बहुत से राज्यों में से केवल कुछ राज्यों में ही नजरबन्दी के आदेश जारी किये गये हैं। कभी भी आधे राज्यों से अधिक राज्यों में नजरबन्दी नहीं होती थी अर्थात् सारे वर्ष में आधे राज्यों से अधिक राज्यों में एक भी व्यक्ति की नजरबन्दी नहीं होती थी। केवल कुछ स्थानों पर ही अधिक संख्या में नजरबन्दी के आदेश जारी किये जाते थे और वे भी प्रायः हिंसात्मक कार्यों अथवा हिंसा कार्य करने के लिये उकसाने के विरुद्ध जारी किये जाते थे। यदि आप विवरण देखें तो आपको ज्ञात होगा कि १९५४-५५ में नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या ३०७ रह गई थी। जैसा कि विवरण संख्या ११, पृष्ठ १५, में दिखाया गया है कि इन में से १०६ व्यक्ति हिंसात्मक कार्यवाहियों, हिंसात्मक कार्य करने अथवा हिंसा का पाठ पढ़ाने, ४१ गुन्डागर्दी, १११ साम्प्रदायिक कार्यवाहियों, ५ जासूसी, ८ आपराधिक कार्यवाहियों तथा ३६ डाकुओं को शरण देने के सिलसिले में नजरबन्द किये गये थे। मेरा विचार है कि जिन कार्यवाहियों के लिये उन व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है उन कार्यवाहियों से इस सभा में किसी को भी कोई सहानुभूति नहीं होगी। हिंसा में किसी को भी रुचि नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति गुंडागर्दी से आंख नहीं मूंदेगा चाहे वह किसी भी शक्ल में क्यों न हो। मैं समझता हूं कि यहां कोई भी साम्प्रदायिक हिंसा अथवा साम्प्रदायिक कार्यवाहियों के समर्थन के लिये व्यक्तियों को प्रोत्साहन नहीं देगा। इसी प्रकार जासूसी करना भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आपराधिक कार्यवाहियों से भी किसी को सहानुभूति नहीं होगी। डाकुओं को शरण देना भी आपराधिक कृत्य समझा जायेगा और कोई भी उनका समर्थन नहीं करेगा। ये आदेश बड़ी सावधानी और उपयुक्त कारणों के आधार पर जारी किये गये हैं और वे इस प्रकार के हैं कि पंथ, उद्देश्य, सिद्धान्त अथवा धर्म के आधार पर कोई भी उनका विरोध नहीं करेगा।

मैं यह भी बता दूं कि इसके कारण विशेष थे। १९५४-५५ में पंजाब में सभी प्रकार के संगठित विरोध किये गये थे, मोर्चे लगाये गये थे और उसके लिये १०० व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था। इसी प्रकार मध्य भारत में डाकुओं द्वारा हमले किये गये थे और हानि पहुंचाई गई थी। इसलिये डाकुओं तथा डाकुओं को शरण देने वालों से जनता की रक्षा करने के लिये उपाय किये गये। यदि आप इन आंकड़ों को निकाल दें तो नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या बहुत कम रह जाती है। जिन कार्यवाहियों का मैंने उल्लेख किया है, समाज की रक्षा के लिये उन्हें रोकना आवश्यक था और इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। शांति और प्रशांति रखी गई। लोग अपने रोजगारों में लग सके और डाकुओं तथा हिंसा के द्वारा वर्तमान व्यवस्था को भंग करने वाले व्यक्तियों से समाज को बचाया गया।

मैंने केवल उसी अवधि का उल्लेख किया है जिससे कि हमारा सम्बन्ध है। इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि गत वर्ष की पिछली तिमाही के तीन महीनों में भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी। इस अवधि में ६४ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था। २६ राज्यों में से १८ राज्यों में एक भी व्यक्ति को नजरबन्द नहीं बनाया गया था। डाकुओं को शरण देने के सिलसिले में मध्य भारत ने ११ व्यक्तियों को नजरबन्द बनाया था। पंजाब में कुछ व्यक्तियों को साम्प्रदायिक विभाजन तथा उससे अनुवर्ती परिणामों के लिये नजरबन्द बनाया गया था। राजस्थान में ११ व्यक्तियों को हिंसात्मक कार्यवाहियों के लिये नजरबन्द बनाया गया था और इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों

[पंडित जी० बी० पन्त]

को इधर-उधर गुंडागर्दी आदि के लिये भी बन्दी बनाया गया था। नजरबन्द किये गये ६४ व्यक्तियों का ब्योरा विवरण में इस प्रकार दिया गया है; ३० हिंसात्मक कार्यवाहियों के लिये, १२ गुंडागर्दी के लिये, १० साम्प्रदायिक उपद्रवों के लिये, १ जासूसी तथा ११ डाकुओं को शरण देने के लिये नजरबन्द किये गये थे। इस वर्ष की प्रथम तिमाही में नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या पहले दी जा चुकी है। हिंसात्मक कार्यवाही करने के लिये १३४ व्यक्तियों को, आपराधिक कृत्यों के लिये ३, डाकुओं को शरण देने के लिये ११ और ३ को अन्य कार्यों के लिये नजरबन्द बनाया गया। उस वर्ष लगभग १०० व्यक्तियों को विमुक्त किया गया। परामर्शदाता बोर्ड ने नजरबन्द व्यक्तियों के उन सभी मामलों पर विचार किया जो उसको भेजे गये थे। बहुत से नजरबन्द व्यक्तियों को सरकार ने परामर्शदाता बोर्ड को उल्लेख किये बिना ही अपने आप विमुक्त कर दिया। परामर्शदाता बोर्ड के आदेशों का प्रत्येक मामले में पालन किया गया। हमें कठिनाइयों का सामना करना है। देश के कुछ भागों में संगठित आन्दोलन हुए हैं जिनसे जनता की शांति और व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। किन्तु फिर भी पदाधिकारियों ने सराहनीय धैर्य से कार्य किया। मुझे आशा थी कि ऐसे मामले नहीं उत्पन्न होंगे, किन्तु ऐसे आदेश जारी करने के लिये मजबूर होना पड़ा मेरी इच्छा यह है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को कभी भी नजरबन्द न बनाया जाय। वास्तव में मैं तो यह कहूंगा कि कुछ समय पश्चात हमारा देश इस मामले में दूसरे देशों का पथप्रदर्शन करे और आपराधिक कृत्यों की पुनरावृत्ति तथा दण्ड विधियों का लागू करना भी आवश्यक न हो। किन्तु जब तक नैतिक अन्त:करण अथवा इस प्रकार के लोकतन्त्रीय अन्त:करण का विकास नहीं होता, तब तक समाज के संरक्षण के लिये आवश्यक उपाय और कार्यकलापों की उन्नति के लिये उपबन्ध करने होंगे। जिनसे देश की गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और बेकारी दूर हो। इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये यह आवश्यक है कि ऐसे कार्य किये जायें, जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक हों जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। यह खेद की बात है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण जिनकी चर्चा इन सप्ताहों में हुई है, और विशेषत: खड़गपुर का मामला, जिसके बारे में कल विशेष चर्चा हुई थी, हमें सतर्क रहना पड़ता है। हम सब को अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिये और देखना चाहिये कि हिंसा की भावना बढ़े नहीं तथा कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कार्य नहीं करे जिससे विपत्ति को बढ़ावा मिलता है। अत: मेरा विचार है कि हम में से प्रत्येक का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसा कार्य करे जिससे प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, अच्छा, प्रसन्नचित, स्वतन्त्र एवं भरापूरा जीवन बिता सके। यह हमारा उद्देश्य है और इन उपबन्धों का यह ध्येय है कि हमारे स्वप्नों की पूर्त्ति करने के रास्ते में जो रुकावट डालते हैं उनसे समाज की रक्षा करने के लिये हमारी इच्छा के विरुद्ध भी इन उपबन्धों को अपनाया जाय और मैं आशा करता हूं कि यह सभा इन उपबन्धों का समर्थन करेगी और यह प्रयत्न करेगी कि हिंसा की भावना बिल्कुल ही समाप्त कर दी जाये और दफना दी जाये और हम सब लोग शांति से रहें तथा सद्भावना, और मित्रता के वातावरण में रहें।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : मैं संशोधन संख्या १ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री कामत** : मैं संशोधन संख्या २ और ३ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा झालावाड) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह प्रस्ताव रखा जाये :

"This House having considered the statistical information on the working of the Preventive Detention Act, 1950, during the period 30th September,

†मूल अंग्रेजी में।

1954 to 31st March, 1956 is of opinion that there is ample justification for continuing the Act up to the specified period."

["निवारक निरोध अधिनियम, १९५० की ३० सितम्बर, १९५४ से ३१ मार्च, १९५६ तक की कार्यान्विति सम्बन्धी सांख्यिकी पर विचार करने के बाद इस सभा की यह राय है कि इस अधिनियम को विशिष्ट अवधि तक चालू रखने में पर्याप्त औचित्य है ।"]

†**श्री रघुबीर सहाय** (जिला एटा—उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व) : मैं संशोधन संख्या ५ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : मैं संशोधन संख्या ६ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब ये संशोधन सभा के सामने प्रस्तुत हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : माननीय गृह-मंत्री ने कहा है कि लोकतन्त्रीय भावना की रक्षा करने की दृष्टि से इस प्रकार के उपबन्ध बनाना अत्यावश्यक है ताकि गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिये हम आगे बढ़ सकें । उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करेगा । बिल्कुल ठीक है कि कोई भी गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करेगा । मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या अवैध कार्यवाहियों को दबाने के लिये विधि नहीं हैं ? यदि कोई विधि ऐसी नहीं हैं तो इससे तो अच्छा यह है कि ऐसी सरकार ही न रहे । हम यह नहीं कहते किसी बुरे कार्य के लिये किसी को दण्ड नहीं दिया जाये अथवा उस पर नियन्त्रण न रखा जाय । न्यायालय भी हैं । प्रत्येक मामले की खुली एवं निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिये । मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि क्या पाकिस्तान की अपेक्षा हम भारत में अधिक कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं ?

डा० खान साहब ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि निवारक निरोध अधिनियम का निरसन करने के लिये वह एक आवश्यक विधेयक ला रहे हैं । उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे अधिकारों से कोई मोह नहीं है जिनका दुरुपयोग होता है । उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार साधारण नागरिक तथा राजनैतिक विरोधियों के डर तथा सन्देहों को निकालने के पक्ष में है ।

पाकिस्तान तक में डा० खान साहब ने कहा है कि वह साधारण लोगों और विरोधी पक्ष के दिलों से भय और आशंका को निकालने के लिये उत्सुक हैं, इसलिये वह निवारक निरोध अधिनियम को हटाना चाहते हैं । यहां भी सत्तारूढ़ दल का पूर्ण बहुमत है, और वह इसे हटाना नहीं चाहता ।

साम्यवादी दल संसार के बहुत से भागों में अवैध घोषित किया गया है, और पाकिस्तान में भी अवैध है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हमें निवारक निरोध जारी रखना चाहिये ।

मध्य-भारत में निवारक निरोध अधिनियम गुण्डों और डाकुओं को दबाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विरोधी पक्षों को दबाने और कुचलने के लिये जारी किया गया था ।

यह कहना गलत है कि दबाने से कोई आन्दोलन दब जाता है । वास्तव में कुछ नीतियों के बदल जाने से लोगों में भी परिवर्तन आ जाता है । यही कारण है कि आज कांग्रेस सरकार समझती है कि जनता का आन्दोलन दबाने से दब जायेगा । किन्तु यह बहुत बड़ी गलती है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

इस समय इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, जबकि यह संसद् का अन्तिम वर्ष है, जिसने यह अधिनियम बनाया था। अब हमें घोषित कर देना चाहिये कि इन असाधारण शक्तियों की आवश्यकता नहीं है और हमें इनको त्याग देना चाहिये।

सरकार ने एक चाल का सहारा ले रखा है और जहां कहीं भी कोई हड़ताल या सत्याग्रह हो, चाहे किसी भी कारण से, उसे हिंसात्मक घोषित कर देती है। इस चाल का सरकार यदाकदा प्रयोग करती रहती है। कोई भी राजनीतिक दल हिंसा में विश्वास नहीं रखता। इसलिये पंडित नेहरू का यह कहना सारहीन है कि प्रत्येक राजनीतिक दल को हिंसा के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये।

यदि कहीं हिंसा होती है, तो उसका प्रत्युत्तर गोलियों से देना कदापि अहिंसात्मक नहीं है। ऐसी अवस्था में अहिंसा के राग आलापने का कोई लाभ नहीं है।

३० सितम्बर, १९५४ से १ अक्तूबर, १९५५ तक इस अधिनियम का उपयोग कार्मिक संघों की कार्रवाइयों को कुचलने के लिये किया गया। और जब न्यायालयों ने राजनीतिक दलों को छोड़ दिया तब सरकार ने अपने अभियोग को पक्का बनाने के उद्देश्य से हिंसा का आरोप लगाना शुरू कर दिया।

इसमें सन्देह नहीं कि नजरबन्द व्यक्ति को नजरबन्दी के कारण बताये जाते हैं और अभिवेदन देने का अधिकार होता है, परन्तु उन्हें साक्षियों से जिरह करने का अधिकार नहीं होता। परामर्शदाता बोर्ड उनको यह भी नहीं बताता कि सूचना देने वाले ने क्या सूचना दी है। यदि लगाया गया दोष वास्तव में सच्चा हो, तब उसे न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिये ताकि अपराध करने वाले लोगों का देश को पता चले। परन्तु सरकार ऐसा न करके राजनीतिक विरोधी पक्ष के लोगों के विरुद्ध हिंसा का आरोप लगा कर उनको जेल में ठूंसती रहती है। यदि हिंसात्मक कार्रवाइयों के दोषारोपणों पर गिरफ्तार किये गये लोगों और राजनीतिक नजरबन्दों की संख्या ली जाये तो दोनों संख्यायें समान होंगी। उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हिंसा का आरोप लगा कर राजनीतिक विरोधी लोगों को नजरबन्द किया जाता है। विभिन्न राज्यों में २१ व्यक्ति नजरबन्द किये गये हैं और उन सब पर हिंसात्मक कार्रवाइयों का आरोप लगाया गया है। लोक-शांति बिगाड़ने और राज्य की सुरक्षा को भंग करने के आरोप में ३१० व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था, जिनमें १९६ लोग राजनीतिक कैदी थे। डा० काटजू कहा करते हैं कि गुण्डों और डाकुओं को रोकने के लिये इसका उपयोग किया जाता है, परन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि इसका उपयोग राजनीतिक हेतुओं के लिये किया जाता है।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम) : हिंसा के दोष का निर्णय न्यायालय में होता है न कि दूसरे दल के सदस्यों के चिल्लाने से। हम बहुत देर से उनकी बातें सुन रहे हैं। अब उन्हें चुप रहना चाहिये। यदि वे चिल्ला सकते हैं तो हम भी चिल्ला सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को अन्तर्बाधा नहीं करनी चाहिये।

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्नूर) : पिछले चार वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि जब निवारक निरोध अधिनियम के बारे में चर्चा होती है तब कोई न कोई अन्तर्बाधा या शोर होता है, जो सर्वथा अनावश्यक है। जब सरकारी पक्ष के लोग बोल रहे हों, तब हम चुप रहेंगे, और जब हम बोलें तब अन्य सदस्यों को चुप रहना चाहिये। कल हम लोग चुपचाप सरकारी पक्ष के सदस्यों को सुनते रहे हैं। परन्तु आज जब हम बोल रहे हैं तो बहुत अन्तर्बाधा हो रही है।

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे श्रीमती रेणु चक्रवर्ती या अन्य सदस्यों को बोलने दें, जो कुछ वह बोलना चाहते हैं। हमें उनकी मन्त्रणा को सुन कर लाभ उठाना चाहिये, क्योंकि इस सभा में विचार विनिमय के द्वारा ही हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं और हम विरोधी पक्ष से भी यही आशा करते हैं।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : अब बहुत देर हो चुकी है, अतः सभा को विसर्जित होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय महिला सदस्य कल अपना भाषण जारी रखेंगी। अब आध घण्टे की चर्चा होगी।

पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही

†**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य से दुखी होकर हमें आध घण्टे की चर्चा की मांग करनी पड़ी।

हम इस प्रतिवेदन के बारे में विचार न करके यह जानना चाहते हैं कि उन अफसरों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है, जो राजधानी में इतने अधिक लोगों की मृत्यु और बीमारी के लिये उत्तरदायी हैं।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि संयुक्त जल तथा नाली बोर्ड के सदस्य सचिव ने जल के दूषित होने के बारे में समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचना नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप इतना भयानक कांड हो गया।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यह मामला बोर्ड की शक्ति और सामर्थ्य के अन्दर होने के कारण सरकार द्वारा कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। क्या यह बोर्ड संसद से भी बड़ा है जिस के बारे में संसद पूछताछ नहीं कर सकती ? प्रतिवेदन सम्बन्धी चर्चा के दौरान सब सदस्यों ने यह राय प्रकट की थी कि उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कारवाई की जानी चाहिये। सदस्य सचिव को केवल चेतावनी दी गई है। क्या इतनी मृत्यु और बीमारी के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को चेतावनी देना पर्याप्त दण्ड है ? इस सभा का यह मत था और है कि इन व्यक्तियों को कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

श्री काटवाला के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बोर्ड इस बात से सन्तुष्ट है कि उन्होंने पीलिया जांच समिति के सामने जो शब्द कहे, उनका वह अभिप्राय नहीं था। यह कितनी विचित्र बात है कि एक अफसर समिति के सामने साक्ष्य दे और फिर जब उसे दण्ड मिलने लगे तब कहे कि उसका वह अभिप्राय नहीं था। किसी अपराधी अफसर को बचाने के लिये यह तर्क करना सर्वथा अनुचित एवं अवांछनीय है। समिति ने इस बारे में कहा है कि श्री काटवाला ने जल को शुद्ध करने और अपना उत्तरदायित्व समझने में ही चूक नहीं की, बल्कि उन्होंने दूसरे लोगों पर उत्तरदायित्व थोपने का बार-बार प्रयत्न किया। उन्हें दूषित जल की सूचना स्वास्थ्य अधिकारियों को देनी थी, परन्तु वह उस में चूक गये, जिसके फलस्वरूप इतनी अधिक मृत्यु हुई और इतनी भयानक बीमारी फैली। साक्ष्य समिति द्वारा ऐसे अफसर के अपराध के बारे में की गई स्पष्ट घोषणा को इस प्रकार लेना बहुत अनुचित

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री भागवत झा आजाद]

है। बोर्ड को उसे चेतावनी तो क्या देनी थी, उसे बचाने के लिये कह दिया कि उसका यह अभिप्राय नहीं था, जो उसने लिखित रूप में समिति को दिया था।

भविष्य में इसी तर्क का सहारा लेकर लोग छूट जाया करेंगे। इस सभा की एकमत से यह राय है कि इतने घातक अपराधों के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिये। इस बोर्ड को, जिसने इस सभा के सुझाव की अवहेलना की है, तुरन्त समाप्त कर दिया जाये और उसके सभापति को तुरन्त पद छोड़ने के लिये कहा जाये। और इन दोनों अफसरों को कड़ी सजा दी जानी चाहिये। स्वास्थ्य मंत्री का विवशता प्रकट करना निरर्थक है यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि अपराधी व्यक्तियों को दण्ड दे और अपराधियों के छोड़ने वाले बोर्ड को भंग करे। इस मामले की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये और अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध कारवाई की जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** नियम यह है कि प्रस्तावक महोदय छोटा वक्तव्य दें और मंत्री उसका उत्तर दें। तथापि अध्यक्ष दूसरे सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकता है, परन्तु उनको एक या दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर लेना चाहिये श्री डी० सी० शर्मा भाषण आरम्भ करें।

†**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जांच समिति के प्रतिवेदन पर क्या कार्रवाई की है, और इतने बड़े काण्ड के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को क्यों छोड़ दिया गया है ?

†**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर) : दिल्ली के लोगों की यह धारणा है कि सरकार ने जल दूषित होने और परिणामस्वरूप बीमारी और मृत्यु के लिये उत्तरदायी अफसरों को दण्ड देने के बारे में आवश्यक गम्भीरता नहीं दिखाई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस धारणा को दूर करने के लिये सरकार क्या करना चाहती है।

कई बार कहा गया है कि गन्दगी को बाहर निकालने के लिये बहुत से नाले हैं। इतनी दुखद घटना होने के उपरान्त भी बहुत से गन्दे नाले यमुना में गिरते हैं और पानी को दूषित करते हैं। सरकार इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : संसद ने एकमत से मांग की थी कि सरकार उत्तरदायी अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई करे और इस मामले की नवीन जांच करवाये। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या प्रभाव हुआ है और क्या कार्रवाई की गई है ?

†**बिना विभाग के मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने जो पत्रादि हैं, उनसे प्रकट होता है कि आज शाम की कार्यवाही उस प्रश्न का उत्तर देने तक सीमित है, जो मंत्रालय ने इस भारी आपत्ति से सम्बन्धित तीन पदाधिकारियों के बारे में दिया था। यह स्वाभाविक है कि इस प्रश्न के उठाये जाने पर अन्य मामलों के गुणावगुणों का उल्लेख भी किया गया है। इसलिये मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है कि पहले जो भाषण हुए हैं उनका क्षेत्र बहुत विस्तृत है।

मुझे आशा है कि यदि मैं इन प्रश्नों के क्रम को बदल दूं, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। इस सदन में जिस गम्भीरता से यह प्रश्न उठाया गया है, उससे प्रकट होता है कि जनता इस मामले में कितनी रुचि ले रही है और वह नागरिक उत्तरदायित्व को कितना महत्व देती है। यद्यपि इस समय हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें क्या दण्ड दिया जाये, तथापि वास्तव में लोगों को

†मूल अंग्रेजी में।

चिन्ता यह है कि इस प्रकार की दुर्घटना को भविष्य में होने से कैसे रोका जाये। मुझे विश्वास है कि कोई भी सदस्य यह नहीं चाहता होगा कि केवल यन्त्रणा देने के लिये दण्ड दिया जाये। वे यह चाहते हैं कि दण्ड भविष्य में गलत कार्यवाही को रोकने के लिये दिया जाये। उनके सामने इस समस्या की वह गम्भीरता है जिसके फलस्वरूप ८४ मौतें हुई हैं और लगभग ३,००० व्यक्ति रोगग्रस्त हुए।

हमारा ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि भारत जैसे देश में पुरानी यान्त्रिक व्यवस्थाओं के कारण ऐसी घटनायें अचानक होती ही रहेंगी। पुराने जमाने में जब हम कुओं से पानी निकालते थे, तो उसकी शुद्धता की जांच और तरीकों से की जाती थी, प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से उसकी जांच करता था, आधुनिक तरीकों से नहीं; क्योंकि उस समय परिस्थितियां भिन्न थीं। पानी और नालियों की व्यवस्था भी नहीं थी। अत्यधिक उन्नत देशों में भी जीवाणुओं द्वारा नहीं वाईटस द्वारा उत्पन्न होने वाले संक्रामक रोगों के प्रभाव को रोकना कठिन है। तथापि किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण से उन लोगों को, जो मर चुके हैं, पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, और न ही इस प्रकार का स्पष्टीकरण सरकार को उसके नैतिक उत्तरदायित्व से मुक्त ही कर सकता है। यदि सरकार के प्रतिनिधि ऐसे नैतिक उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेने से इन्कार करें, तो वह दिन शासन की संसदीय प्रणाली के लिये एक बुरा दिन होगा। मैं इस समय अपने अनुपस्थित सहयोगी, स्वास्थ्य मंत्री, की सराहना करता हूं, कि उन्होंने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। किन्तु जब मंत्री खड़े होकर यह कहे कि वह उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है तो यह भी समझ लेना चाहिये कि यह उत्तरदायित्व संविधान के उपबन्धों द्वारा और राज्य के विधि पदाधिकारियों के परामर्श द्वारा सीमित हो जाता है। स्थिति यही है।

इसलिये मैं मूल समस्या को लेता हूं, जो कि पानी की गंदगी के कारण फैले संक्रामक रोग के बारे में हैं। यह संक्रामक किसी भी कारण से हो सकता है। इस दुर्घटना के फलस्वरूप एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसने कुछ सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों के अनुसरण में एक और विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। मुझे सदन को यह बताने में हर्ष होता है कि पीलिया जांच समिति की बहुत-सी सिफारिशों में से अधिकांश स्वीकार कर ली गई हैं और मुख्य सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्य सिफारिशें १३ हैं--

†**श्री भागवत झा आजाद :** यह आधे घण्टे की चर्चा केवल इस बात तक सीमित है कि उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और दोषी पाये गये अधिकारियों को क्यों दण्ड नहीं दिया गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैं बिल्कुल सहमत हूं। वर्तमान अभियोग-पत्र मैंने नहीं बनाया है। माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है। मैं उन्हें उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूं। यदि सदन चाहे तो मैं इन मामलों का उल्लख न करूं और दूसरे मामले को लूं।

सम्बन्धित अधिकारी तीन हैं--सचिव इंजीनियर, कारखाने का अधीक्षक और तीसरा रासायनिक। आपके निर्णय के अनुसार मैं अपना उत्तर केवल इस बात तक सीमित रखूंगा कि क्या कार्यवाही की गई है।

†**श्री नम्बियार :** (मयूरम) : माननीय मंत्री को यह भी कहने दिया जाये कि कौन-कौन-सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और क्या कार्यवाही की गई है जिससे कि हम अन्य बातों के सम्बन्ध में निर्णय कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हम चर्चा के क्षेत्र को बढ़ा नहीं सकते । प्रस्तावक ने एक निश्चित वक्तव्य दिया है यद्यपि और बातों की ओर भी निर्देश किया गया था तथापि मंत्री महोदय को अब एक निश्चित उत्तर देना है ।

†**श्री कृष्ण मेनन :** सरकार को वाद-विवाद में इन मामलों के लाये जाने के सम्बन्ध में कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि इसके पास सदन को जानकारी देने के और तरीके भी हैं-- जैसे कि जानकारी को पटल पर रखना । किन्तु पहले भाषणों में बहुत से प्रश्न उठाये गये थे और आशंकायें प्रकट की गई थीं । मैं नहीं चाहता कि सदन यह समझे कि इनका कोई उत्तर है ही नहीं और कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई है । मंत्री स्पष्टीकरण के लिये या तो बहुत अधिक कह देते हैं या बहुत कम कहते हैं । इसलिये इस वाद-विवाद के लिये जो कुछ भी आवश्यक था उसे ही मैं बता रहा था ।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, कि जांच समिति ने सम्बन्धित व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ आलोचना की थी । पहले व्यक्ति ने चिकित्सा प्राधिकारियों को सूचित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की थी; यद्यपि विधि के अनुसार ऐसा करने का दायित्व उस पर नहीं था, तथापि यदि वह इससे कुछ पहले स्वास्थ्य निदेशक को सूचना दे देता तो अच्छा होता ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात की जांच करना कि इस विषय में बोर्ड के कृत्य क्या हैं मेरा, मंत्रालय या सरकार का काम नहीं है । इन आरोपों की जांच करना बोर्ड का काम है, जो कि इस समय दिल्ली के मुख्य आयुक्त के अधीन काम करता है । हमने इस विषय में कानूनी राय ली है, और यद्यपि हम उत्तरदायित्व को किसी और पर नहीं डालना चाहते हैं, तथापि यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को इस मामले में प्रत्यक्षतया इन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । मुझे बताया गया है कि संसद् जो चाहे कर सकती है । यह ठीक है, किन्तु संसद् ने स्वयं इस प्राधिकार को बनाया था और स्वयं उसी ने उसे ये शक्तियां दी थीं । संसद् ने ही भारत के उच्चतम न्यायालय को भी गठित किया है और यदि यह संसद् की राय के विरुद्ध कोई निर्णय देता है, तो आप यह नहीं कह सकते कि आप उन्हें रद्द करके नये निर्णय देंगे । इस प्राधिकार ने उन संविहित शक्तियों के अन्तर्गत जिनके आधार पर उसे गठित किया गया था, कार्यवाही की है । और दण्ड देने का अधिकार उसे नियमों और उपविधियों की धारा २७ और धारा २८ के अन्तर्गत उसी को दिया गया है । सदस्यों को हटाने, दण्ड देने आदि क सब अधिकार उस प्राधिकार, को उन उपविधियों के अन्तर्गत प्राप्त हैं । जिसे संसद् द्वारा अधिनियमित संविधि के अन्तर्गत बनाया गया है । विधियों में केवल विधिक रूप से ही परिवर्तन किया जा सकता है । हमें कई बार ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो विधि में त्रुटियां होने के कारण उत्पन्न होती हैं । किन्तु उनका सामना हमें उचित वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार करना पड़ता है । अतः यह तर्क देना संगत नहीं है कि संसद् सर्वप्रभुत्व-सम्पन्न है और वह जो चाहे कर सकती है ।

सदन को जो चिन्ता है, उसकी ओर ध्यान दिलाया गया है और मैं यह वचन देता हूं कि जो कुछ भी आज यहां कहा गया है, उसको और सदन की भावनाओं को मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों तक पहुंचा दिया जायेगा । हम संविधि का उल्लंघन किये गये बिना प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते; ऐसा करना उस विधिक परामर्श के, जो हमें दिया गया है और सामान्य सरकारी प्रक्रिया के प्रतिकूल होगा । इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि स्वयं मंत्रालय को ही इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ती, तो वह इससे कोई भिन्न कार्यवाही करता । एक अपीलीय न्यायालय की राय इस सम्बन्ध में कि क्या किया जाना चाहिये था भिन्न हो सकती है, किन्तु इस मामले में हम कोई

†मूल अंग्रेजी में ।

अपीलीय न्यायालय भी नहीं हैं। वर्तमान विधि के अन्तर्गत मंत्रालय को उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (जिला बनारस—मध्य) : तो किस को यह अधिकार प्राप्त है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यही मैं स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं। दिल्ली राज्य का अधीक्षक इंजीनियर और दिल्ली जल सम्भरण तथा नाली संयुक्त बोर्ड का एक सदस्य सचिव है। सदस्य-सचिव का तीन-चौथाई वेतन बोर्ड देता है और एक-चौथाई दिल्ली राज्य सरकार। उसके ऊपर दो प्राधिकारी, बोर्ड और आयुक्त हैं। आयुक्त ने इन निर्णयों का अनुमोदन किया है और कहा है कि किसी अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस बात की जांच की है कि इस मामले में अधिकार किस को प्राप्त है और मैंने देखा है कि केन्द्रीय सरकार केवल १९५१ के भाग 'ग' राज्य अधिनियम की धारा ४०, के अन्तर्गत जो राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां देता है, हस्तक्षेप कर सकती है। किन्तु ये शक्तियां वर्तमान प्रयोजनों के लिये प्रयोग में नहीं लाई जा सकती हैं ये शक्तियां संविधान को स्थगित करने जैसे मामलों के लिये हैं। इस मामले का निर्णय इस प्रकार के वाद-विवाद में नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिस से कि मंत्री समिति के, जिसे विधि और उस के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार दंड देने का अधिकार दिया गया है, निर्णयों को रद्द कर सके। सम्भव है कि संसद् इस स्थिति को बहुत असंतोषजनक समझे और इस पर विचार करना चाहे। इस मामले की जांच की जा सकती है। किन्तु सदन को यह अच्छी तरह मालूम है कि यदि यह सदन राज्यों के चाहे ये भाग 'क', 'ख', या 'ग' में के राज्य हों—मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, तो अनेक कारणों से बहुत शोर गुल मचेगा।

इस दुर्घटना के बारे में सारे देश में जोश है और सदन दिये गये दंड को पर्याप्त नहीं समझता है। जैसा कि मैंने कहा सम्भव है कि मंत्रालय के विचार भिन्न हों किन्तु उसके लिये एक ऐसे मामले में अपनी राय देना, जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है, व्यर्थ है। संविधि के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण हैं; और यह संविधि मान्य है। इसमें कुछ उपबन्ध किये गये हैं। सम्बन्धित व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार दिये गये हैं। स्थिति को स्पष्ट करने के लिये कानूनी पहलुओं की जांच कर ली गई है, और हमें बताया गया है कि सम्बन्धित कार्यवाही दिल्ली के मुख्य आयुक्त को करनी है। सामान्यतया केन्द्रीय सरकार को मुख्य आयुक्त को निदेश देने का अधिकार है। किन्तु यह एक ऐसा मामला है जिस में कोई निदेश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि निदेश तो निर्णय के दिये जाने से पहले ही दिया जा सकता है। हम कैसे जान सकते हैं कि वह क्या निर्णय देने को है या क्या निर्णय नहीं देने को थे। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सके।

मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि उन सभी पत्रादि की जांच से, जिनको मैंने देखा है, यह प्रकट होता है कि इन पदाधिकारियों को अधिक कड़ा दंड मिलना चाहिये था। किन्तु विधि द्वारा आरोपित सीमाओं और संसदीय दायित्वों के प्रति निष्ठा रखने के कारण, मैं इसके बारे में कोई राय देने के सक्षम नहीं हूं। मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया और स्थिति को समझने में गलती की है और अपना उत्तरदायित्व दूसरों पर डालने की चेष्टा की। इस सदन में संकल्प द्वारा नहीं बल्कि भाषणों में उनकी जो निन्दा की गई है और दिल्ली के नागरिकों में बीमारी फैलाने में उनका जो हाथ है, उसके लिये उन्हें भी निश्चय ही घोर पश्चाताप होगा। मेरे विचार में यही पर्याप्त दण्ड है। यदि सदन और कोई कार्यवाही करना चाहे तो यह एक ऐसा मामला होगा जिसे इस कार्य के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही करना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री भागवत झा आजाद** : स्वयं माननीय मंत्री ने माना है कि दिया गया दण्ड अपर्याप्त है। क्या सरकार संसद् के द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करेगी जिससे कि बोर्ड से शक्ति ले ली जाये और उन्हें और तरीकों से दण्ड दिया जाये। (**अन्तर्बाधायें**)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय सदस्य और तरीकों से इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही कर सकते हैं। (**अन्तर्बाधायें**) अब अगला काम शुरू किया जायेगा।

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश प्राप्त हुआ है :

"मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का आदेश मिला है कि राज्य-सभा ने अपनी २६ मई, १६५६ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित कर दिया है :—

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा निर्वाचित ग्राम-प्राधिकारियों और तत्सम्बन्धी विषयों के लिये मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन, १६४७ को संशोधित करने वाले विधेयक को, जो राज्य-सभा द्वारा २१ सितम्बर, १६४७ को पारित किया गया था और लोक-सभा के पटल पर २३ दिसम्बर, १६५४ को रखा गया था, लोक-सभा द्वारा वापिस लिये जाने की अनुमति देने में सहमत हो।"

इसके पश्चात् लोक-सभा ३० मई, १६५६ के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २९ मई, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१४३–४४

निम्नलिखित विवरणों जिन में प्रत्येक के सामने दिखाये गये सत्र में मंत्रियों द्वारा विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाई गई है, एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई ।

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ३	लोक-सभा का बारहवां सत्र १९५६
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६	लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५
(३) अनुपूरक विवरण संख्या १०	लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १६	लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५
(५) अनुपूरक विवरण संख्या २२	लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४
(६) अनुपूरक विवरण संख्या ३०	लोक-सभा का छठवां सत्र, १९५४
(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३५	लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ४१४४

बत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ४१४४

सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ४१४४

पन्द्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

काजू के कारखानों में तालाबन्दी के बारे में वक्तव्य ४१४४–४५

श्रम मंत्री (श्री खण्डू भाई देसाई) ने मध्य त्रावणकोर काजू के कारखानों में कथित हड़ताल और तालाबन्दी के बारे में वक्तव्य दिया ।

सदस्य का बन्दीकरण और रिहाई ४१४५

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उनको सुपरिटेंडेंट पुलिस, लुधियाना की ओर से दिनांक २६ मई, १९५६ का एक पत्र मिला है, जिसमें बताया गया है कि श्री सैयदुल्ला खां रजमी, संसद् सदस्य, को २५, मई, १९५६ को ६ बजे

पृष्ठ

शाम को लुधियाना पुलिस ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा ९ और भारतीय दंड संहिता की धारा ५०६ के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन सिटी लुधियाना के एफ० आई० आर० संख्या १८९ और संख्या १९० दिनांक ३१ मार्च, १९५६ के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया और उनको उसी दिन शाम को साढ़े सात बजे जमानत पर रिहा कर दिया।

विधेयक पारित ४१४६–८६

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ हुई। खण्ड २ से ४ और १ स्वीकार किये गये और विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया।

सरकारी प्रस्ताव चर्चाधीन ४१८७–९३

निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ की गयी। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घण्टे की चर्चा ४१९३–९८

श्री भागवत झा आजाद ने पीलिया के बारे में २ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर से उत्पन्न हुई बातों पर आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ की। बिना विभाग के मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

राज्य-सभा से सन्देश ४१९८

सचिव ने बताया कि राज्य-सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक को वापस लिये जाने की अनुमति देने में सहमत हो।

३० मई, १९५६ के लिये कार्यावलि—

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार। निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी प्रस्ताव, पूर्वी-पाकिस्तान से भारत की ओर हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण और भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपातकालीन भर्ती सम्बन्धी नियमों पर चर्चा।

M147LSD—190—20-1-58—GIPF